


Volume 3, Issue 1 & 2. January-June 2017 ISSN : 2395-7468

UGC Approved Journal No. 48457

THE Equanimist

A peer reviewed journal



Volume Editor

Nisheeth Rai

The Equanimist

... A peer reviewed journal

Chief Editorial Board

Dr. Manoj.Kr.Rai (Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Dr.Virendra.P.Yadav (Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Dr. Nisheeth Rai (Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Dr. Roopesh.K.Singh(Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Mr. Ravi S. Singh (Post Doctoral Fellow. Delhi University)

Editorial Board

Prof. S. N. Chaudhary (Barkatullah University, Bhopal)

Prof. R. N. Lohkar (University of Allahabad)

Prof. U.S. Rai (University of Allahabad)

Prof. D.P.Singh (TISS,Mumbai)

Prof. V.C.Pande. (University of Allahabad)

Prof. Anand Kumar (J.N.U.)

Prof. Nisha Srivastava (University of Allahabad)

Prof. Siddarth Singh (Banaras Hindu University)

Prof. Anurag Dave (Banaras Hindu University)

Dr. H. S. Verma (Lucknow)

Dr. Vijay Kumar (An.S.I. Jagdalpur)

Mr. Rajat Rai (State Correspondent, U.P. India Today Group)

Dr. Pradeep Kr. Singh (University of Allahabad)

Dr. Shailendra.K.Mishra (University of Allahabad)

Dr. Ehasan Hasan (Banaras Hindu University)

Mr. Dheerendra Rai (Banaras Hindu University)

Mr. Ajay Kumar Singh (Jammu University)

Assistant Editorial Board

Shiv Kumar (Res. Sch. M.G.A.H.V.) Abhisekh Tripathi (Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Shreekant Jaiswal (Res. Sch. M.G.A.H.V.) Shiv Gopal (Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Vijay.K. Kanaujiya (Res. Sch. M.G.A.H.V.) Jitendra (Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Managerial Board

Mr. K.K.Tripathi (Managing Editor) (M.G.A.H.V.)

Mr. Uma Shankar (M.G.A.H.V.)

Mr. Rajesh Agarkar (M.G.A.H.V.)

Mr. Manoj Kumar (M.G.A.H.V.)

Mr. Arvind Kumar (M.G.A.H.V.)

The Equanimist

Volume 3, Issue 1 & 2. January-June 2017

S.NO.	Content Editor's Note शोध पत्र	Pg. No. II-IV
1.	किसानों की समस्याएँ एवं उनका संघर्ष (विशेष सन्दर्भ: उत्तर प्रदेश और बिहार) धीरेन्द्र कुमार राय और अनिल कुमार राय	1-24
2.	भारतीय ग्रामीण समस्याओं के निराकरण में गांधीवादी अवधारणा की भूमिका विजय कुमार मिश्र	25-32
3.	मध्य भारत की आदिवासी महिलाएं एवं वर्तमान स्वास्थ्य चुनौतिया रत्नेश कुमार यादव	33-39
4.	‘धार’ उपन्यास में अभिव्यक्त पर्यावरण, विस्थापन और आदिवासी जीवन स्कन्द स्वामी नारायण सिंह	40-44
5.	समकालीन संस्कृति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध निशीथ राय, वीरेन्द्र प्रताप यादव और रवि शंकर सिंह	45-49
6.	संदिग्ध हिंदी वाक्य संरचना का विश्लेषण प्रवेश कुमार द्विवेदी	50-57
7.	नवजात शिशु स्वास्थ्य पर सरकारी योजनाओं का प्रभाव विजय शर्मा एवं श्याम सिंह	58-65
8.	स्व-सन्तुष्टि एवं ‘शान्ति’: एक दार्शनिक विश्लेषण सुशिम दुबे	66-73
9.	नवल किशोर प्रेस की लोक चेतना(विशेष संदर्भ : माधुरी का पढ़ीस अंक) हिमांशु बाजपेयी एवं शैलेन्द्र कुमार शुक्ल	74-79
	Research Articles	
10.	Aspects Of Social Mobility Of A Dalit Caste: The Poundras Of Bengal In The Early 20 th Century. Soumen Biswas	80-89
11.	River Ganga: Past, Present and Sustainable Future Nidhi Singh, N. K. Sharma, R. K. Mall And M.K..Rai	90-96
12.	A Note on the Discipline observed in the Ancient Valabhī University Vandana Singh	97-101
13.	Marginalisation Of Women From Fishing Community : An Experience From West Bengal Tulika Chakravorty And Sanghamitra Choudhury	102-116

Editors' Note

Dear readers,

This issue of The Equanimist (Volume 3 issue 1 & 2, 2017) coincides with the after math of demonetization. It is a transformational decision taken by the government. It means transforming a form of currency from being a legal tender in this case rupees 500 and 1000 notes were demonetised. As far as the **Intention** and **Idea** behind this process is concerned, it is

beyond doubt that it is to shackle the black money and corruption. The fake currency that was used for funding terrorist and naxal activities has been shot off point blank.

The Equanimist is the person who possesses the quality of Equanimity. Equanimity is, “the quality of having an even mind”. As an English word, it has been used in the context of fairness, or weighing things in the balance, as if it were synonymous with “equity”, a word often offered as a substitute for it.

The word equity, however, has an altogether different Latin root, *aequitas*, meaning “reasonableness”. Equanimity has a Latin counterpart as a root word, *aequanimitas* which has its own roots in Latin: *aequus* meaning “even” and *animus*, meaning “soul, mind”. In Latin, soul and mind are one word with one and the same meaning. In Latin, *aequanimitas* refers to a state of the mind and soul, a balanced state of peace, clarity, health, wisdom and insight.

Although, demonetisation is not new to India. The first revolution came in 1946 when 1000 and 10000 currency notes were demonetised and in 1978 when Morarji Desai government had demonetised 1000, 5000, and 10000 currency notes. The advantages of this process include increase deposit base and savings, improvement in monetary transmission, reduced lending rates and an indirect boost to *Jan Dhan Yojana*. Sizably reducing the parallel economy, the loans will become easier and interest rate will fall. But, an old saying says that ‘nothing comes for free...’. The process came with some technical and logical hitches, be it long queues, shortage of currency notes, changes in RBI rules and XYZ...Though experts and analysts observed that demonetisation failed completely, the common man (who earned Rs. 8000 to 15,000) welcomed the decision. So on the implementation front, the demonetization failed partially. The situation seems to be under control as of now but it is still under control. However, the Supreme Court has questioned the government as to why the exchange of currency is not possible in RBI if the a bank customer has a genuine reason? The government’s reply is also

quite justifiable that enough time has been given and if the court allows to exchange the currency as of now, the motive behind demonetisation will be hindered.

I am leaving this debate to our readers who should rightly judge the demonetization process from the eyes of **Idea, Intention and Implementation.**

This issue of The Equanimist consists of 13 research article out of which 9 are in Hindi and rest in English. The first research article is related to the farmers', our '*Annadata*' problem and conflict the authors have limited their studies to Uttar Pradesh and Bihar. This paper provides a descriptive account of all the articles, news and interviews of persons who had worked on this topic. The role of Gandhian ideology in solving the problem of rural India is dealt in the second research article by giving examples of villages that have adopted the Gandhian philosophy and solve their problems. The third and fourth research article describes the problem and challenges of tribal women and displaced tribal population respectively. Importance of contemporary culture and International Relation is described in the fifth research article. The next article provides example of how the structure of suspicious Hindi sentence can be interpreted by the help of computer. The impact of government schemes on the newly born infant is discussed in seventh research article and self satisfaction with peace is analysed in eight research article. The last research article investigate the public consciousness of *Lok Chetna* Press.

The research articles in English starts with the analysis of social mobility of *poundras* of Bengal in the early 20th century. It is followed by analysis past, present and sustainable future of river Ganga. The penultimate article is a note on the discipline observed in the ancient *Vallabhi* University. The last article is related to the organisation of women from fishing community of West Bengal

The responsibility for the content and the opinions expressed and provided in the Research articles and articles published in this issue of the journal are exclusively of the author(s) concerned. The publisher/editor is not responsible for errors in the contents or any consequences arising from the use of information contained in it. The opinions expressed in the research papers/articles in this journal do not necessarily represent the views of the publisher/editor of journal. Its Chief editors/ editors/Assistant editors and

Managing Editor are not responsible for any of the content provided/ published in the journals.

We are getting enormous suggestions and appreciation from our readers which were incorporated in the previous issues. However, if the readers feels that there are scope for improvement please email us at theequanimist@gmail.com

Dr. Nishheeth.Rai
(Volume Editor)

किसानों की समस्याएँ एवं उनका संघर्ष

(विशेष सन्दर्भ : उत्तर प्रदेश और बिहार)

धीरेन्द्र कुमार राय¹ एवं प्रो. अनिल कुमार राय²

भूमि व्यवस्था एवं सरकारी नीतियाँ :

भारत में खेती की तीन तरह की व्यवस्था थी। एक जमींदारी। दूसरा महलवारी और तीसरा रैयतवारी। दक्षिण भारत में रैयतवारी, पश्चिम भारत में महलवारी तथा बिहार, बंगाल और यूपी में प्रायः जमींदारी व्यवस्था थी। कमोवेश बिहार और उत्तरप्रदेश की खेतिगत संरचना एक ही थी। उत्तर प्रदेश में आगरा की खेतिहर व्यवस्था और नीतियों का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। इन सबका विस्तृत वर्णन इस अध्याय में रखने की कोशिश की गई है।

खेतिगत संरचना :

“पुराने बिहार के तीन प्राकृतिक विभाग थे। गंगा के उत्तर, दक्षिण का मैदान और दक्षिण पठार। उत्तर के मैदान को उत्तरी बिहार, दक्षिण के मैदान को मध्य बिहार और दक्षिणी पठार को छोटा नागपुर-संथाल परगना का पठार कहा जाता था। यह उत्तर में नेपाल से पश्चिम में पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पूरब में बंगाल से घिरा था। 1911 ई. तक यह प्रान्त बंगाल का पश्चिमी भू-भाग था। उत्तर बिहार की आबादी घनी थी। मध्य बिहार में कर्कश जमींदारी प्रथा थी और दक्षिण बिहार की आबादी विरल थी, लेकिन संसाधनों पर जमींदारों, बनियों और बाहरी बाशिन्दों का प्रभुत्व था। 1924 की भयंकर मंदी ने समस्याएँ बढ़ा दी। रही-सही कसर कनूनी और गैरकानूनी जमींदारी शोषणों ने पूरा कर दिया। पठारी क्षेत्रों में जमींदारी और महाजनी शोषण के अलावा मिशनरियों, उद्योगपतियों और यूनियन के नेताओं का प्रकोप भी उसमें जुड़ गया, इससे सम्पूर्ण बिहार की स्थिति और बिगड़ गई।”¹

जिस बारूद के बूते अंग्रेज फ्रांसिसियों पर विजय प्राप्त कर रहे थे उसके उत्पादन की नींव उत्तर बिहार की रेह पर रखी गई थी। जिस अफीम की तिजारत से ब्रिटिश सरकार और उनके दलाल, बम्बई के पारसी और कलकत्ता के मारवाड़ी व्यापारी मालामाल हो रहे थे, उसकी खेती भी उत्तर बिहार में ही हो रही थी। बिहार नील की खेती का भी गढ़ था। और नीलहे धन्नासेठ थे। दक्षिणी पठार के अकूत खनिज भण्डार पर अंग्रेजों और जमींदारों की नजरें गिद्ध दृष्टि गड़ाई हुई थी। करीब उन्नीस सौ बीस के पूर्व तक यही स्थिति थी।

मध्य बिहार के जमींदारों द्वारा डोला, बेगार लेने से किसानों का मान-सम्मान धूमिल हो रहा था। जबरिया लगान वसूली की अनैतिक प्रथा बिहार में खूब फल रही थी। अतः स्वाभाविक रूप से विस्फोट भी वहीं होना था। बिहार से जमींदार, मारवाड़ी, पारसी, बंगाली, अंग्रेज बेशुमार दौलत लूट रहे थे। और यह सब

¹ सहायक प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग(वाराणसी) बीएचयू, संपर्क -09604044567,

dhirugazipuri@gmail.com

² प्रोफेसर, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा.

किसानों के शोषण पर आधारित लूट थी। बिहारी पैमाल थे। मरता क्या न करता। संघर्ष परिस्थितियाँ अनुकूल थी ही। नमक के रूप में स्वामी सहजानंद के अवतरण से आग और धधक गई। 1927 ई. से शुरू हुआ किसान हलचल 1939 ई. में आंदोलन से गुजरते हुए विस्फोट तक पहुँच गया। हालांकि 1927 से 1939 तक का रास्ता काफी पेचीदा है। सीमित कालावधि में "बिहार किसान आंदोलन का प्रचण्ड होना केवल 1920 के दशक के आर्थिक नतीजों का ही प्रतिफल नहीं था। बल्कि यह प्रश्न अनिवार्य रूप से बिहार की कठोर खेतिहर प्रणाली एवं सामाजिक विभत्स प्रथाओं को लेकर किसानों की एक उग्र प्रतिक्रिया थी।"² भावली, दानाबन्दी गैर कानूनी छीना-झपटी ने स्थिति और विकराल कर दिया। इस असन्तोष की स्थिति में आंदोलन का पनपना स्वाभाविक था। सामुदायिक जनचेतना ने इसे असन्तोष के चरमोत्कर्ष पर टिकाए रखा, जिसने तत्कालीन परिस्थिति को विस्फोट तक पहुँचा दिया। हालांकि राजनीतिक दलों की अव्यावहारिक नीति के कारण यह जन उभार क्रांति तक पहुँकर भी लक्ष्य भेदने में असफल रहा। "इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी, रेडिकल लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा हाथ है जिससे क्रांति की दिशा और दशा बिगड़ती चली गई। स्वामी सहजानंद का सामाजिक आधार, विप्लवी संगठित किसान वर्ग की भारी तादाद और सुभाष के क्रांतिकारी नेतृत्व के रहते भारत में राजक्रांति सम्पन्न न हो सकी तो उसका श्रेय भारत के तत्कालीन तथाकथित वामदलों और उनके नेताओं को है।"³ उत्तर प्रदेश और बिहार में तत्कालीन समय के सर्वोपरि किसान नेता सहजानंद थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी विश्वनाथ सिंह मर्दाना, चित्तु पाण्डेय, झारखण्डे राय, जयबहादुर सिंह, सरजू पाण्डेय, दलसिंगार दुबे, रघुवीर चौधरी और पब्बर राम थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े किसान नेता नरेंद्र देव थे। हालांकि किसान संघर्ष के मसले पर उनका सहजानंद से संगठन और पार्टी के स्तर पर वैचारिक मतभेद था। "सहजानंद 'किसान सभा' को पार्टी से स्वतंत्र रखना चाहते थे, जबकि नरेंद्र देव इसे कांग्रेस के एक किसान जनसंगठन के रूप में चाहते थे। दरअसल एक तरह की खेतिगत संरचना रहने के बावजूद बिहार, पंजाब, बंगाल और पुराने मद्रास की तरह यूपी में किसान आंदोलन नहीं धधक पाया तो उसका एक कारण यूपी के नेताओं की यह नीतिगत कमजोरी भी है।"⁴

जमींदार : ब्रिटिश भारत में लगभग सत्तावन प्रतिशत क्षेत्र जमींदारी प्रथा के अंतर्गत था। सैंतीस प्रतिशत क्षेत्र रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत था। पाँच प्रतिशत में महलवारी प्रथा थी और बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश जमींदारी प्रथा के अंतर्गत थे।

जमींदारी प्रथा :

बंगाल - 100 प्रतिशत

बिहार - 100 प्रतिशत

यूपी. - 100 प्रतिशत

उड़ीसा - 81 प्रतिशत

मध्य प्रदेश - 41 प्रतिशत

असम - 9 प्रतिशत

बंबई - 7 प्रतिशत

मद्रास - 27 प्रतिशत

पंजाब में महलवारी तथा बम्बई, महाराष्ट्र, आसाम, मद्रास में रैय्यतवारी प्रथा थी।⁵ जमींदार शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भू-स्वामी। मुगलकाल में भी विचौलिए भू-धारक, भू-स्वामी थे। मगर जमीन पर उनका अधिकार कानूनन नहीं था। यह मालिकाना हक उन्हें सैनिक सेवा, राजस्व उगाही या शान्ति व्यवस्थापक के रूप में प्राप्त थी, जो ग्राम प्रधान के माध्यम से पूरे गाँव का लगान एकमुश्त जमा करते थे। जमीन पर अलग-अलग किसानों का कानूनी हक नहीं था। ग्राम प्रधान लगान की सुविधा के लिए हरपट्टा बाँट अस्थाई तौर पर कर लगान वसूलता था। जमींदार एक मध्यस्थ होता था जो अन्य लोगों की मदद से राजस्व एकत्रित कर एक निश्चित राशि सरकार को देता था। दोषी व्यक्ति की जागीर अपनी मनमर्जी से राजा छीन लेता था। मुगल साम्राज्य की अवनति के समय ग्राम स्तर के ग्राम समूह तथा परगना स्तर के परगना समूह व चकला स्तर के जमींदार मौजूद थे। बड़ी जमींदारियाँ स्वायत्त होती थीं। 1793 ई. के स्थायी बंदोबस्त के तहत निम्न तरह के जमींदार बनाये गये-

(1)- पुश्तैनी प्रभाव अथवा सैनिक सेवा के बदले दी गई जमींदारियों में निम्न नाम प्रमुख हैं:

(क) हथुआ स्टेट	भूमिहार ब्राम्हण	इस्लामकालीन
(ख) दरभंगा स्टेट	मैथिल ब्राम्हण	इस्लामकालीन
(ग) टिकारी स्टेट	भूमिहार ब्राम्हण	इस्लामकालीन
(घ) खड़गडीहा स्टेट	भूमिहार ब्राम्हण	इस्लामकालीन
(ङ) देव स्टेट	सिसोदिया राजपूत	इस्लामकालीन
(च) पवई स्टेट	चौहान राजपूत	इस्लामकालीन
(छ) माली स्टेट	चौहान राजपूत	इस्लामकालीन
(ज) रामगढ़ स्टेट	खरवार	इस्लामकालीन
(झ) कुण्डा स्टेट	खरवार	इस्लामकालीन
(ञ) छोटा नागपुर स्टेट	नागवंशी	इस्लामकालीन
(ट) पलामू स्टेट	चेरो	इस्लामकालीन
(ठ) बेतिया स्टेट	भूमिहार ब्राम्हण	इस्लामकालीन
(ड) नगर उटारी स्टेट	खरवार	इस्लामकालीन
(ढ) गढ़ौ स्टेट	राजपूत	इस्लामकालीन

2.(क) वरारी के ठाकुर (भागलपुर) वकील और छोटे भूस्वामी

(ख) हसुआ के वबुआन	व्यापारी
(ग) मल्हेया स्टेट गया	छोटे भूस्वामी

(घ) मंभवे स्टेट गया	छोटे भूस्वामी
(ङ) साम्बे स्टेट गया	छोटे भूस्वामी
(च) कड़ा का नवाब गया	छोटे भूस्वामी
(छ) शाह साहब गया	अमरिका पठित बुद्धजीवी
(ज) मांझा स्टेट	छोटे भूस्वामी
(झ) अहियापुर	छोटे भूस्वामी

ग्राम स्तर के जमींदार

1. पहरपुरा	गया
2. जयपुर	गया
3. तेलपा	गया
4. बन्धवा	गया
5. चन्दरगढ़	औरंगाबाद
6. फूलडीहा	औरंगाबाद
7. पननीया	गया" ⁶

1931 में सभी प्रकार के जमींदार कुल 1,19,966 बिहार में थे। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक उस समय बिहार की कुल आबादी 3,81,27,122 थी। पचास हजार से अधिक राजस्व वसूलने वाली बड़ी जमींदारियाँ स्टेट कही जाती थीं। छोटी जमींदारियाँ पांच हजार से कम राजस्व वसूलती थीं। ये किसान सह-जमींदार भी होते थे। इनकी आमदनी का जरिया खेती होती थी। जमींदार एक भद्रवर्गीय समूह था जो गाँव में बे-रोकटोक रसूख रखने वाले राजसत्ता की क्षेत्रीय निरंकुशता के बड़े उदाहरण थे। राजनीति उनकी गरिमा और स्वाभिमान के खिलाफ थी। फिर भी कुछ लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते थे। बतौर उदाहरण :

(1) डा. राजेन्द्र प्रसाद	कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार प्रदेश
(2) सर गणेशदत्त	1923 से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मंत्री
(3) डा. अनुग्रह नारायण सिंह	वित्त मंत्री, बिहार (बाद में)
(4) रजनधारी सिंह	अध्यक्ष, प्रांतीय विधायिका, धरहरा स्टेट (1937 के पूर्व)
(5) रामेश्वर सिंह	अध्यक्ष, साम्बे स्टेट, गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (1930)" ⁷

जमींदारों द्वारा वसूली रकम और सरकार को दिया गया राजस्व का प्रतिशत

1. बिहार	7 प्रतिशत
2. असम	6 प्रतिशत
3. प. बंगाल	14 प्रतिशत
4. उत्तर प्रदेश	39 प्रतिशत" ⁸

सीर और खुदकाशत जमीन बिहार में 35 लाख एकड़ थी। जमींदारों की बराबर यह कोशिश रही कि किसानों की बेदखली कर सीर जमीन हथिया लिया जाए। 1931 की जनगणनानुसार बिहार की आबादी 376 लाख थी, जबकि ऋणग्रस्तता 155 करोड़ थी। औसतन प्रत्येक किसान पर 41 रुपये का कर्ज था। 1931 ई. में बिहार में निम्न वर्ग देहात में थी। उदाहरण के तौर पर :

(1) गैर खेतिहर मालिक	1,19,966
(2) खेतिहर मालिक	3,75,126
(3) असामी खेतिहर	88,42,429
(4) खेतिहर श्रमिक	39,70,963

और असामी खेतिहर की आधी संख्या गरीब किसानों की थी।

क. बिहार में खाश जमीन	34070 लाख एकड़
ख. दखलकार रैय्यत	1,94,08,135
ग. गैर दखलकार रैय्यत	3,34,131
घ. उप काशतकार	3,35,055" ⁹

1931 की जनगणनानुसार :

लगानदाता काशतकार	66 प्रतिशत
खेत मजदूर	30 प्रतिशत

जिसमें गया की जमीन का अट्ठासी प्रतिशत दखलकार काशतकार के जिम्मे था। गरीब किसान और खेत मजदूर मिलाकर बिहार की आबादी सत्तर प्रतिशत थी। जबकि, 1931 में बिहार की शहरी आबादी मात्र चार प्रतिशत ही थी।"¹⁰

अपने इलाकों में जमींदारों की सुनिश्चित जवाबदेही :

- (क) राजस्व वसूली एवं नियमित भुगतान
- (ख) शान्ति व्यवस्था
- (ग) सैन्य सहायता
- (घ) खेती आधारित लगान एवं सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि पर खेती सुनिश्चित कराना
- (ङ) प्रशासन की सहायता
- (च) साम्राज्यवाद के स्तम्भ का काम करना
- (छ) राजभक्ति प्रदर्शित करना
- (ज) अपराधियों को न्यायालय में प्रस्तुत करना

जमींदारों ने कानूनी राजस्व वसूली के अलावा वनकर, आपसी कर, परबाना, अबकारी कर, घरद्वारी कर, करचई कर, मत्स्य कर, राहदारी कर के अलावा दस्तूरी, जलकर, नजराना, सलामी, हकूक, नोचा, तलबाना, बेगारी इत्यादि गैरकानूनी कर भी वसूल करना शुरू कर दिया था। राजभक्ति और नियमित कर अदायगी रहने पर जमींदारी का स्वामित्व वंशानुगत होता था। जमींदार की पहचान उसकी कचहरी, गाँव की विशाल हवेली, यातायात के पुराने हाथी, घोड़ा, बग़ी, मैनेजर, नाज़िर, तहसीलदार, गुमाश्ता, वराहिल, अमला की भारी भरकम फौज से होती थी।"¹¹

किसान शोषण और समस्याएँ :

बिहार प्रांतीय किसान सभा ने सहजानंद सरस्वती, यदुनन्दन शर्मा, यमुना कार्थी, और युगल किशोर सिंह की गठित समिति बैठक के बाद चौवालीस तरह की ज्यादतियाँ प्रतिवेदन प्रकाशित किया था ।"¹²

- (1) जेठ की तपती दुपहरी में किसानों को मुश्की दण्डा में बांधकर लू से गरम धरती पर मार देते थे।
- (2) किसान के गले में जूतों की माला डाल, हाथ पैर बाँध धूप में खड़ा कर देते थे।
- (3) अस्तबल में किसान को खम्भा से बाँध देते थे।
- (4) सर पर काला घड़ा रख धार्मिक रिवाज के तहत कलंकित करते थे।
- (5) अन्धेरे कमरे में भूखे-प्यासे बन्द कर देते थे।
- (6) किसान के जानवर खोलकर उसे जमींदार के बाड़े में भूखे रखते थे।
- (7) किसान के घर पर अस्पृश्य दुसाध बैठा देते थे। तब इस जाति से हड्डी तक का छू जाना भी अशुद्ध माना जाता था। फलतः कोई आदमी अन्दर से बाहर अथवा बाहर से अन्दर नहीं आ जा सकते थे। चूँकि उस जमाने में बहुधा किसानों के घर पैखाना (शौचालय) नहीं बना होता था, और उनका परिवार बहुत कष्ट झेलता था।
- (8) अपने हाथी-घोड़ों के लिए खड़ी फसल तक काट ले जाते थे।
- (9) फल, भुट्टा तोड़ ले जाते थे।
- (10) लकड़ियाँ इत्यादि मनमर्जी से ले जाते थे।
- (11) खड़ी बागान के सब्जी तोड़कर ले जाते थे।
- (12) कौड़ी के दाम पर जबरदस्ती खस्सी, बकरा खोल लेते थे। बकरा भाग जाने पर जुर्माना किसान को देना पड़ता था।
- (13) ग्वाला से मुफ्त घी, दूध, दही ले लेते थे और मुफ्त में बेगारी कराते थे।
- (14) मोची से मुफ्त जूता बनवाते थे।
- (15) आधे दाम पर तेली से तेल लेते थे और कचहरी के लिए तेल मुफ्त में लेते थे।
- (16) कुम्हार से एक रूपया में चार हजार खपड़ा लेते थे। शादी में मुफ्त बेगारी भी कराते थे।
- (17) शादी या मरण में मुफ्त सामान लेते थे।
- (18) गड़ेरिया से उनी कम्बल और दरी मुफ्त लेते थे। धोबी से बगैर धुलाई दिए कपड़ा धुलवाते थे।
- (19) लोहार से मुफ्त मजूरी कराते थे।

- (20) पासी को चटाई और टोकरी मुफ्त देनी पड़ती थी।
- (21) बगैर भुगतान बैलगाड़ी प्रयोग करते थे।
- (22) खेती के समय बखेड़ा खड़ा करते थे।
- (23) खलिहान का अनाज और खड़ी फसल जब्त कर नष्ट हो जाने देते थे।
- (24) खुद का खेत जोतने के लिए बेगारी में बैल ले जाते थे।
- (25) खेतिहर के बनिया को रोक कर किसान का नुकसान करते थे।
- (26) गाँव के जमीन पर जमींदार के घोड़े छूटा करते थे।
- (27) अमला किसानों पर दोष गिराकर मनमर्जी से दंडित करते थे।
- (28) किसान को भवन निर्माण, गोशाला के लिए जमींदार की अनुमति लेनी पड़ती थी।
- (29) जमींदार लगान के लिए नालिश कर देते थे और चक्रवृद्धि व्याज से वसूलते थे।
- (30) खिलाफ गवाह को धमकाते थे।
- (31) तहरीर में अमला एक रूपया प्रति हल लेते और अन्य गैरकानूनी वसूलियां करते थे।
- (32) बकाया लगान भुगतान के समय एक रूपया तहरीर लेते थे।
- (33) लगान भुगतान के समय अमला अपना कमीशन अलग से लेते थे।
- (34) प्रोनोट के लिए किसान पर दबाव डालते थे। हैण्डनोट भी दबाव डाल लिखा लेते थे।
- (35) किसान सभा में शिकायत करने पर दण्ड देना पड़ता था।
- (36) किसान खुल्लम-खुल्ला शिकायत दर्ज नहीं कर पाते थे।
- (37) दैनिक श्रमिक को एक ही चौथाई मजदूरी देते थे।
- (38) कोइरी को सब्जी अपने खेत से या खरीदकर देनी पड़ती थी।
- (39) बुनकर को एक थान कपड़ा पाँच रूपया की जगह दो रूपया में देना पड़ता था।
- (40) नाऊ को मुफ्त में बाल बनाना पड़ता था।
- (41) बनिया को एक चौथाई दाम पर कपड़ा देना पड़ता था।
- (42) बेकसूर किसान भी दण्डित किए जाते थे।
- (43) लगान भुगतान वसूली में गए अमला आठ आना से एक रूपया खुराकी लेते थे।

अन्य वसूली

सामान्य छूट	प्रति रूपया डेढ़ आना
कम्पनी छूट	प्रति रूपया डेढ़ आना
तहरीर	प्रति रूपया आधा आना
बकरा	मात्र आठ आना में
दाना बन्दी	फसल उपज मनमानी तय कर आधी अनाज वसूली
रसीद	लगान की रसीद नहीं दी जाती थी
मुकदमा	एक तरफा फैसला करा लिया जाता था

लगान दर	मनमाना बढ़ा लिया जाता था
सूद दर	सूद का भी सूद लिया जाता था
वकील अमीन	अनपढ़ किसान कोर्ट में अक्सर हार जाते थे
डोला	कई जमींदार पहली रात नव विवाहिता के साथ सोने की प्रथा लागू करते थे
वियाह दानी	शादी के वक्त किसान को देना पड़ता था
बेगारी	मुफ्त श्रम
बेदखली	किसान से जमीन छीन ली जाती थी

किसान संघर्ष की आंदोलनात्मक परिणति के मुद्दे :

- (1) विश्वयुद्ध के कारण के कारण आयी मंदी का प्रभाव।
- (2) गल्ले का दाम गिरना और लगान दर बढ़ जाना।
- (3) परम्परागत उद्योग नष्ट होने से खेती पर आबादी का बढ़ना पर खेत ज्यों का त्यों रहना।
- (4) पिछड़ी अर्थव्यवस्था।
- (5) संगठित मजदूर की संख्या कम रहना। 1931 में बिहार की चीनी मील में 16,479, टाटा फैक्ट्री में 23,231 तथा जूट और चावल मिल में कुल 18,443 व्यक्ति कार्यरत थे।
- (6) प्राकृतिक विपदाएँ यथा बाढ़, सूखा, प्लेग, हैजा, चेचक, भूकम्प बदस्तूर जारी थे। साक्ष्य के तौर पर 1934 का भूकम्प और 1935 का भयावह बाढ़ उल्लेखनीय है।
- (7) जमींदारी प्रथा कर्कश थी। किसानों की इज्जत, स्वाभिमान और पेट तीनों पर लात पड़ रहे थे।
- (8) बिहार में 1930 के पहले राजनीति में जमींदारों का ही प्रभुत्व था।
- (9) मध्य बिहार में सत्यनाशी भावली प्रथा प्रचलित थी, जिसमें लगान की वसूली जीन्स के रूप में होती थी, जो खड़ी फसल देखकर अमला मनमर्जी से दानाबन्दी द्वारा अनुमान से तय कर लेते थे। पुराने गया जिले के 67 प्रतिशत, शाहाबाद जिले के 21 प्रतिशत, पुराने पटना जिला के 44 प्रतिशत, पुराने दक्षिणी मुंगेर के 32 प्रतिशत भूमि पर यह प्रथा जारी थी।¹³
- (10) किसान व जमींदार के बीच मुकदमेबाजी लगातार बढ़ रही थी, जिसमें अनपढ़ होने से किसान अक्सर हाँ मुकदमा हार जाते थे।¹⁴ तत्कालीन मुकदमों के कुछ उदाहरण :

मुजफ्फरपुर	32369
सारन	26699
दरभंगा	26608
पूर्णिया	21255
शाहाबाद	1917
पटना	18743
भागलपुर	18662

मुंगेर 17396

गया 10475

(11) बिहार में 1929 से 1933 के बीच मनी सूट, रेन्ट सूट, टाइटिल सूट कुल मिलाकर 1,97,386 से बढ़कर 2,18,785 हो गए।¹⁵

(12) ग्रामीण ऋणग्रस्तता 1911 में कुल 225 मिलियन पौंड थी, जो 1930 में बढ़कर 675 मिलियन पौंड हो गयी। बिहार किसान सभा के प्रतिवेदन अनुसार प्रान्तवार, आबादीवार ऋणग्रस्तता की स्थितियाँ निम्न थीं :

<u>प्रांत</u>	<u>आबादी</u>	<u>कर्ज</u>
बंगाल	501 लाख	100 करोड़
बिहार	376 लाख	155 करोड़
यू.पी.	484 लाख	124 करोड़
मद्रास	465 लाख	105 करोड़

प्रतिव्यक्ति ऋण का बोझ बिहार में 1930 के आस-पास सर्वाधिक था।

इसी तरह हम आज़ादी के वक्रत उत्तर प्रदेश की कृषिगत ढांचा को इस साक्ष्य के माध्यम से समझ सकते हैं:

1. सीर और बकाशत	7436701 एकड़	16.55 प्रतिशत
2. ठेकेदार और गिरवी	931832 एकड़	2.07 प्रतिशत
3. मातहत भूधारी	671545 एकड़	1.49 प्रतिशत
4. तयशुदा दर के काशतकार	821728 एकड़	1.83 प्रतिशत
5. दखलकार काशतकार	12576638 एकड़	27.99 प्रतिशत
6. मौरूशी काशतकार	18939407 एकड़	42.15 प्रतिशत
7. गैर दखलकार	448069 एकड़	1.0 प्रतिशत
8. ज़बरन काबिज	1973923 एकड़	4.39 प्रतिशत
9. बाग-बगीचा	399708 एकड़	0.90 प्रतिशत
10. अन्य	399708 एकड़	0.90 प्रतिशत ¹⁶

इसी प्रकार अगर बिहार में देखें तो :

1. वकाशत और खास	3470268 एकड़
2. दखलकार	19408135 एकड़
3. गैर दखलकार	334131 एकड़
4. उपकाशतकार	335055 एकड़ ¹⁷

किसान हलचल, आंदोलन और क्रांति (1927 - 40) :

स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1927 में पश्चिमी पटना जिला किसान सभा की स्थापना की गई। यह किसान सभा के हलचल अभियान का प्राथमिक चरण था। बिहटा के आस-पास के किसानों की दशा सुधारना इसका मुख्य लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य जमींदारों को समझा-बुझाकर किसानों के लिए कुछ राहत जुटा लेना था। तीसरा लक्ष्य किसान क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण कर उनकी दयनीय दशा पर प्रतिवेदन तैयार कर सरकार और जनता का प्रशिक्षण करना था। चौथा लक्ष्य था पत्र-पत्रिका निकाल कर किसानों की चेतना विकसित करना।

पहले लक्ष्य की पूर्ति हेतु बिहटा में चीनी मील की स्थापना कराई गई। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मील के डायरेक्टर और डालमिया मालिक थे। कृषि क्षेत्र में पूँजी और विज्ञान के प्रवेश से किसानों की माली हालत में सुधार हुआ। स्वामी जी ने भरतपुरा धरहरा, मकसूदपुर के जमींदारों से बात कर किसानों को राहत दिलाई। 1929 के सोनपुर मेला के समय कार्तिक पूर्णिमा के आस-पास बिहार प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई। ब्रज किशोर प्रसाद को छोड़कर सारे कांग्रेसी जमींदार इसके सदस्य बने। डॉ. श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। किसान सभा की स्थापना के मूल में स्वामी सहजानंद, यमुना कार्या, रामदयालु सिंह प्रमुख थे। इसका लक्ष्य कांग्रेस के सामाजिक आधार में बढ़ोत्तरी और विधानसभा में थाड़ी बहुत राहत किसानों को दिलाना था। इस समय तक आंदोलन की बात नहीं थी। हालांकि शुरुआती दिनों में ही सर गणेशदत्त द्वारा प्रस्तुत किये गये जमींदार विरोधी बिल का जबरदस्त विरोध किया गया। भारी विरोध के बाद माहौल खराब होता देख सरकार को बिल वापस लेना पड़ा और बाद में यह संशोधन के बाद ही पास किया जा सका। यह किसान सभा की पहली और बड़ी सफलता थी। 1933 में गया कलेक्ट्रेट के सामने एक लाख किसानों ने प्रदर्शन किया। बल्लभ भाई पटेल के 1933 बिहार दौरे ने आंदोलन को और बल प्रदान किया।

1934 में समूचा बिहार भूकम्प से काँप उठा था। आम जनमानस बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा था। इन हालात में उत्तर बिहार के किसानों पर जमींदारों द्वारा लगातार हो रहे शोषण ने किसानों को उद्वेलित कर दिया था। मध्य बिहार में जमींदारी की कर्कशता पहले से ही चरम पर थी। सहजानंद समेत तमाम किसान नेता किसानों के पक्ष में लामबंद हो रहे थे। इसी दौरान हाजीपुर तृतीय राज्य प्रदेश किसान सभा के सम्मेलन में स्वामी जी ने जमींदारी उन्मुलन का प्रस्ताव रखा, जो बहुमत से स्वीकृत हो गया। 1936 लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गयी, जिसके संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाये गये। इसे जयप्रकाश नारायण, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, इन्दुलाल यागिक, राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, केशव प्रसाद शर्मा, नरेन्द्र देव, सोहन सिंह जोश, अहमदीन, के.एम.अशरफ, एन.जी. रंगा, यदुनन्दन शर्मा, कार्यानन्द शर्मा, मुजफ्फर अहमद, नम्बुदरीपाद, मोहनलाल गौतम जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ।

1936-39 के बीच किसान आंदोलन का लक्ष्य अब लगान कम करने की जगह जमींदारी उन्मूलन हो गया था। इसके लिये प्रदर्शन, जुलूस, बैठक, सभा, पर्चाबाजी, पत्रिका प्रकाशन, लाठी दस्ता, जमीन दखल

इत्यादि कार्यक्रम अपनाए गए थे। किसान सेवक दल और किसान कोश बनाया गया। नियमित रूप से जिला किसान सम्मेलन, प्रांतीय किसान सम्मेलन और राष्ट्रीय किसान सम्मेलन आयोजित किये गये।

17 अक्टूबर 1937 को जहानाबाद में किसान लाठी से लैस होकर 'लठु हमारा जिन्दाबाद' 'लठु किसके लिए, जमींदार के लिए' नारा लगा रहे थे। लाखों की तादाद में किसानों ने पटना विधानसभा का घेराव किया। 1938 में लाख से ऊपर किसानों ने गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन में सहजानंद व उनके प्रमुख साथियों के अलावा डा. केश्वर प्रसाद सिंह (गया), अनिल मिश्रा (बड़हिया), रामदरश पाण्डेय, अनिरुद्ध शर्मा, मनोहर लाल, तुमड़िया बाबा (बधोई, गया) गंगाशरण सिंह, अयोध्या प्रसाद, महावीर सिंह, सुखदेव चौधरी, शिवधारी सिंह, सियाराम सिंह, रामचन्द्र शर्मा, भैरो सिंह, बटुकेश्वर सिंह, कीर्ति नारायण शर्मा, बुद्धन राय वर्मा, महन्थ धनराजपुरी, ब्रम्हदेव सिंह, वी.पी. सिन्हा, अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा जैसे अन्य नेता भी सक्रिय थे।

इस दौर में धनी और मध्यम किसान आंदोलन की मुख्य शक्ति थे। इस समय किसान सभा एक प्लेटफार्म के रूप में कार्यरत था, जिसमें कांग्रेस, कांग्रेस समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी सभी दलों के कैडर थे। तब किसान सभा किसानों के सभी स्तरों का एक संयुक्त मोर्चा था, जिसमें मजदूर किसान से लेकर धनी किसान तक जमींदार के खिलाफ लामबंद थे और वर्ग संघर्ष के रास्ते क्रान्ति का पृष्ठाधार तैयार कर रहे थे।

19-20 मार्च 1940 को रामगढ़ समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन 1937, हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। हरिपुरा के किसान जुलूस की अगवानी नेहरू और सुभाष ने किया था। यह जुलूस पटेलों के गढ़ में भारी विरोध के बावजूद लाखों की संख्या में मीलों मार्च करते हुए निकाली गयी थी। अधिवेशन में अध्यक्ष सुभाष ने पटेल को भारी फटकार किसान और किसान नेता स्वामी सहजानंद के प्रति अपशब्द कहने पर लगाई थी। इस पर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में नेहरू ने सुभाष का साथ छोड़ दिया। जब त्रिपुरी के बाद बगीचे आंदोलन को गति दिलाने के अपराध में सहजानंद और सुभाष पर कारवाई हुई एवं कांग्रेस से ये निकाले गए तब जयप्रकाश और कम्युनिस्ट पार्टी ने गांधी जी का साथ दिया। हालांकि रामगढ़ में स्वामी सहजानंद और सुभाष के प्रति किसानों की एकजुटता ने सहजानंद और सुभाष की जनशक्ति पर मजबूत पकड़ को उजागर कर दिया। साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के लिए सहजानंद को तीन साल जेल की सजा हुई और सुभाष नजरबन्द कर दिए गए। चूंकि यह गांधी नेहरू गुट या सहजानंद सुभाष गुट की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। दरअसल यह दो विश्व दृष्टिकोणों के अलग-अलग सामाजिक वर्गाधार का संघर्ष था, इसलिए संघर्ष में निरंतरता बनी रही और किसान संघर्ष पूरे देश भर में अपने तरीके से जारी रहे।

किसानों के बिगड़ते हालात और आन्दोलन की प्रगति

1920 और 1930 के बीच संभवतः बिहार और इसके आस-पास के पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा निराशाजनक कृषिगत स्थिति भारतीय समाज में नहीं थी। समस्या के तत्व सामाजिक, आर्थिक और

राजनितिक थे। आबादी घनी थी और लगान की प्रथा कर्कश थी। इससे जमींदार और रय्यत का भेद भी उतना ही अधिक प्रबल था। 1930 की आर्थिक मंदी और जमींदारों के गैरकानूनी शोषण ने स्थिति को और विकट बना दिया। किसान बगावती हो गए।

तत्कालीन बिहार के तीन भाग थे:

1. उत्तर बिहार का मैदान
2. दक्षिण बिहार का मैदान
3. झारखंड का पठार

आबादी निरंतर बढ़ रही थी और उत्पादन स्थिर था। मगध क्षेत्र में आबादी सोलह प्रतिशत से ज्यादा थी जबकि अन्य जिलों में औसतन वृद्धि दस के आस-पास थी।¹⁸ “1930 की आबादी में बढ़ोत्तरी तेजी से जारी थी। फसल मूल्य में गिरावट उससे भी तेजी से हुआ और लगान में बढ़ती यथावत जारी रही।”¹⁹

बिहार उत्तर प्रदेश का मजबूत किसान केवल आर्थिक प्रश्न नहीं था, क्योंकि यह समस्या मंदी के कारण संघर्ष में थी। मगर, बिहार यूपी के प्रचण्ड किसान आन्दोलन का कारण खेतिहर समाज के शोषण मूलक, अत्याचार मूलक उस सामन्ती व्यवस्था में थी जो उस समय प्रचलित थी। यह सामन्ती अत्याचार के खिलाफ एक प्रक्रिया थी जो मन्दी के कारण धधक उठी। “दक्षिण बिहार (मैदानी) के खास खास इलाकों में भवली या दानाबंदी की प्रथा प्रचलित थी जिसमें रैयतों का मनमानी शोषण होता था और प्रचलित कानून उन्हें कोई भी सुरक्षा नहीं देती थी। असंतोष की यह स्थिति जिसमें आन्दोलन ठहर और पनप सकता था, वहाँ मौजूद थी। फसल उपज के दाम में आई कमी से नगदी लगान देने वाले किसान तबाह हो गये। यही वो परिस्थितियाँ थी जो प्रारम्भिक राजनीतिक परिस्थितियों से लबरेज थीं।”²⁰ दोनों तरह के किसान परेशान थे। एक जो लगान जीस में देते थे, जिसे मावनी या दानाबंदी कहते थे जिसमें गुमाश्ता फसल का मनमानी आकलन कर लगान लेता था। दूसरा नगदी, जिसमें मंदी के कारण अनाज का भाव काफी नीचे गिर गया था। इसके अलावा जमींदार वर्ग का कानूनी और गैरकानूनी अनगिनत शोषण था। “बिहार में प्रशासनिक सेवा ने कुछ व्यक्तियों को आवश्यक सीढ़ियाँ प्रदान किया जिसमें वो दौलत शक्ति से संपन्न हो गये। ऐसा बनारस में वाकई संपन्न हुआ जिन्होंने गौरांग प्रभुओं को सैनिक सेवाएँ प्रदान किया। उन्हें लगान में छूट और बड़े रियासत दिए गए। इसमें नए उभरते भूधारी भी शामिल हुए जिन्होंने अन्य पेशे से अथाह कर्ज में डूबे हुए भूस्वामियों से ज़मीन प्राप्त किया। उन्नीसवीं सदी में ऐसे व्यक्ति मौजूद थे जिनका भूस्वामित्व का आधार सैनिक पराक्रम से दिगत भी था। ऐसे उद्यमी समूह मानते थे कि ज़मीन बाजारू चीज़ है जिसका आर्थिक मूल्य है, और उन्होंने इसे खरीदने में पूँजी लगा दी थी।”²¹ भागलपुर, वरारी के ठाकुर परिवार व गया, हिंसुआ की ज़मींदारी सैनिक पेशे की कमाई से खरीदी गयी थी। टेकरी राज, हिंसुआ राज की ज़मींदारी सैनिक सेवा के उपलक्ष्य में प्रदान की गई थी। वाल्टर हाउज़र बिहार किसान सभा पर अपनी थीसिस में लिखते हैं : “बिहार में इस गुट का सामाजिक बनावट प्रधानतः भूमिहार ब्राह्मणों का था। क्रम से इस ज़मींदार वर्ग में थोड़े कायस्थ,

मुस्लिम, राजपूत और ब्राह्मण थे। गाँव में इनका मकान आडम्बरपूर्ण किले जैसा था और शहर में इनके रिहायशी मकान थे। यह इनकी बढ़ती दौलत और शक्ति का प्रतीक था।”²²

बिहार में टिकारी, अहियापुर, मोहदी नगर, मल्हेया, सांचे, हथुआ, शेखपुरा, मांझा, बेतिया, पननिया, शहरतेला, पहरपुरा, बंधवा आदि के ज़मींदार भूमिहार ब्राह्मण थे। पलामू के पथरा, आरा सूरजपुरा के ज़मींदार कायस्थ थे। डुमराव, पवाई, देव के ज़मींदार राजपूत थे। दरभंगा और बनैली के ज़मींदार ब्राह्मण थे। कड़ा के नवाब मुसलमान थे। ज़मींदार परिवार राजनीति में भी दखल रखता था। 1923 से लगातार मंत्री रहे सर गणेश दत्त ज़मींदार थे। धरहरा के ज़मींदार रजनधारी सिंह विधान परिषद् के 1934 के पूर्व अध्यक्ष थे। ज़मींदार वर्ग नूतन भूधारी भद्रवर्गीय जमात था, यह छा जाने वाला और ग्रामीण समाज में बेरोक-टोक शक्ति वाला था। यही वर्ग किसानों के प्रहार का प्रथम दौर में लक्ष्य बना। प्रारम्भ में गृहस्थ को किसान कहा गया मगर किसान आन्दोलन के तीव्र और उग्र होने पर किसान की परिभाषा बदल गयी।”²³ 1936 में स्वामी जी ने किसान को इस तरह परिभाषित किया था: “किसान एक गृहस्थ है, वह अपनी जीविका खेती और कृषि से चलाता है, चाहे वह छोटा ज़मींदार हो, रय्यत हो या खेत मजदूर हो।”²⁴ इसी तरह 1949 में सहजानंद ने किसान सभा को इस तरह परिभाषित किया: “किसान सभा उन शोषित और पीड़ित समूह के लिए है जो खेती से सम्बंधित है और जो इसी पर जीवित है।”²⁵ हालांकि 1949 तक आते-आते यह परिभाषा बदल गयी थी: “ये वह सर्वहारा मजदूर है, जो बहुत कम ज़मीन रखते हैं या जिनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं है और छोटे किसान जो किसी तरह ज़मीन से फटेहाली में जी लेते हैं, हमारी समझ में किसान ही हैं।”²⁶

1929 में राजेंद्र प्रसाद, सूर्य नारायण सिंह, शत्रुघ्न शरण सिंह, राम नंदन मिश्रा, कुमार बद्री नारायण सिंह जैसे छोटे ज़मींदार भी किसान सभा में थे। पर 1939 के बाद इसमें सिर्फ गरीब किसान और उनके प्रतिनिधि रह गये। किसान सभा के सचिव श्रीकृष्ण सिंह 1935 के बाद किसान आन्दोलन से अलग हो गये। राजेन्द्र बाबू, रामदयालू बाबू, रामनन्दन मिश्रा इत्यादि भी अलग हो गये। 1939 के बाद नेतृत्व में कार्यानन्द शर्मा, यदुनन्दन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, झारखंडे राय आदि गरीब किसान ही किसान सभा में रह गये। वाल्टर हाउजर ने अपनी थीसिस में, ग्रामीण समाज का विभाजन निम्न तरीके से किया है :

क. लगान काश्तकार	66 प्रतिशत
ख. खेत मजदूर	30 प्रतिशत
ग. किसान मालिक	4 प्रतिशत” ²⁷

1878 में अकाल आयोग के सदस्य कनिंघम ने अपनी गवाही में कहा था: “वकाश में पर्याप्त निश्चितता का अभाव है। ज़मींदार एक उद्धृत असंदिग्ध असंपत्तिवान वर्ग है जो अपने लाभ के लिए एक ओर कानून तोड़ता है और दूसरी तरफ रय्यत वर्ग अपने शासकों की उपेक्षा के कारण अपने अधिकार को लुटा बैठता है। बिहार के जनता की दशा बंगाल प्रशासन पर एक कलंक की तरह है। रय्यत शायद ही कभी इस योग्य होता है कि वह अपने कानूनी अधिकार पर टिक सके।”²⁸ वास्तव में कचहरी ज़मींदार को विशाल

सामर्थ्य प्रदान करते थे और उन्हें प्रेरित भी करते थे ताकि बढ़ा लगान वो माँग सके। "आज़ादी के समय किसान सभा की सदस्यता आठ लाख हो गयी थी। यह 1929 में ढाई लाख थी। 1943 के अकाल ने कृषि अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया।"²⁹ 1938 ई० में किसान सभा की सदस्य संख्या दो लाख पचास हजार थी।"³⁰

बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ई. के कार्तिक पूर्णिमा के मेला के अवसर पर सोनपुर में हुआ। इसका नेतृत्व तिलकवादी राष्ट्रीयता की उपज था और गांधीवाद को राजनीतिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपर्याप्त और अहेतुक समझ निराश होकर वामपंथ की ओर उतरोत्तर अग्रसर होता गया। इस आंदोलन का जन्म आधारभूत तौर पर ग्रामीण समाज की कर्कश शोषणकारी व्यवस्था के दबाव के प्रतिक्रिया में हुआ, जिसे प्रौढ़ता आर्थिक मंदी के दुष्परिणाम से मिली। इन दबावों के प्रतिउत्तर में संगठित और वर्गभाव से भरपूर अलबेले नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने स्वरूप ग्रहण किया।

आंदोलन का चरित्र बदलती परिस्थिति, बदलते मुद्दे, बदलती जरूरत, बदलती राजनीति और सहजानंद के अलबेला नेतृत्व द्वारा निर्धारित हुआ और इसकी प्रवृत्ति निरंतर बदलती रही। यह पूर्ण आजादी बनाम अर्द्ध आजादी, जमींदार-महाजन राजसत्ता बनाम किसान-मजदूर राजसत्ता, सर्वहारा का अधिनायकवाद बनाम गरीबों का सम्मिलित नेतृत्व के द्वंद के रूप में प्रतिबिम्बित हुआ। संगठनात्मक गहराई इतनी नहीं थी जितनी जन समर्थन की गहराई थी। संगठनात्मक गहराई राजनीतिक पार्टियों की पंडागीरी के चलते बाधित होती रही।

द्वितीय विश्वयुद्ध की परिस्थिति में कांग्रेस समाजवादी 1941 के डुमरांव अधिवेशन से अलग हो गए। फार्वर्ड ब्लाकिस्ट 1942 में अलग हो गए और कम्युनिस्ट 1945 में अलग हो गए। कांग्रेस ने 1939 में सहजानंद को छः साल और सुभाष को तीन साल के लिए कांग्रेस से निकाल बाहर किया था और किसानों के प्रदर्शन, हड़ताल, धरना पर रोक लगा दिया था।

स्वामी सहजानंद के उदय के पूर्व बिहार और उत्तर प्रदेश में किसान सभा का नेतृत्व वकील, जमींदार और उनके प्रतिनिधि के हाथ में था। बिहार में स्वामी विद्यानंद और श्रीकृष्ण सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन इसका नेतृत्व बौद्धिक स्तर पर कर रहे थे। जमीनी स्तर पर यू.पी. में नेता बाबा रामचंद्र दास और बिजली पासी थे और बिहार में कार्यानन्द शर्मा थे। सहजानंद के 1927 में पटना जिला किसान सभा और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा गठित करने पर इसमें तेजी आयी और संगठनात्मक ढांचा खड़ा हुआ। सहजानंद ने बेदखली का, महाजनी ऋण का, बेगारी का डटकर विरोध किया। सहजानंद ने मनमानी लगान वसूली का भी विरोध किया। जनवरी 1930 में सहजानंद ने लंबित वकाशत बिल का विरोध किया। किसान सभा में श्रीकृष्ण सिंह के सहयोग से सहजानंद विजयी हुए। श्रीकृष्ण सिंह स्वराज पार्टी के नेता थे। इस विजय ने किसान सभा का औचित्य और प्रमाणिकता सिद्ध कर दिया, और इससे किसानों में गतिविधि के आधार का शिलान्यास हुआ। 1930 के असहयोग

आंदोलन को इससे ग्रामीण भारत का समर्थन प्राप्त हुआ। किसान सभा भी इस प्रक्रिया में एक मजबूत संगठन बन गया।

1920 के आंदोलन में शराबबंदी जैसे गैर आर्थिक मुद्दे थे। यह मुख्यतः टर्की के खलीफा का पक्ष-पोषण कर रहा था। पर 1930-32 के आंदोलन में दो नए आर्थिक मुद्दे साधारण महत्व के थे। असल समस्या जमींदारी उन्मूलन, ऋण माफी, कर में कमी और बेगार की थी। मगर अस्थायी कर बंदी और नमक गौड़ महत्व के होते हुये भी आम जनता से संबन्धित थे। अतः बड़ी संख्या में लोग 1930-32 में शरीक हुए। इस असहयोग का परिणाम बहुत बड़े महत्व का तो नहीं निकला, पर इससे जो जनता में निराशा हुयी, उस असंतोष से किसान आंदोलन को बल प्राप्त हुआ। 1932 में ठप्प हुआ गांधी का आन्दोलन, 1942 के 'भारत छोड़ो' में सिर्फ चौबीस घंटे के लिए शुरू हुआ। 9 अगस्त 1942 को ही प्रायः सारे कांग्रेसियों ने स्वेच्छा से जेल का वरण बगैर कार्यक्रम दिये किया। 1942 को देश का युवा वर्ग व किसान सभा का एक हिस्सा और सुभाषवादी 1946 तक अनवरत चलाते रहे। इसमें अरुणा आसफ अली, क्रांतिकारी समाजवादी दल, सियाराम दास और फार्वर्ड ब्लाक की बड़ी भूमिका रही। कांग्रेसी नेता आगा खां महल, अहमद किला आदि में आराम फरमाते हुये इंतजार करते रहे कि विश्वयुद्ध में कौन जीतता है। कांग्रेस समाजवादी जेल से भागने में लगे रहे, राजनीतिक काम प्रायः नहीं के बराबर किए। सुभाष से प्रभावित कांग्रेस समाजवादी दल का छोटा सा हिस्सा राजनीतिक काम में लगा रहा जैसे योगेंद्र शुक्ला, उषा मेहता, अच्युत पटवर्धन आदि।

साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष करने का जिम्मा अब किसान सभा के सर्वोपरि नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के महानायक सुभाषचंद्र बोस के कंधे पर आया जिसे इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। दोनों इतिहास के सृजनकर्ता और जबर्दस्त हस्तक्षेप करने वाले नेता थे। इतिहास ने उन्हें पैदा किया, गढ़ा, पोषित किया और इन्होंने फिर स्वयं इतिहास की सर्जना की। 1933ई. में किसान सभा का पुनर्गठन हुआ और इसने किसानों की बेहतरी और राहत की मांग की। साथ ही अंग्रेजों और उनके भक्त जमींदारों की विदाई की लड़ाई समझौते विहीन ढंग से लड़ने को तैयार हो गए व और लड़ाई जारी हो गयी। कांग्रेस का भी पुनर्गठन हुआ। अब राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, मौलाना आजाद आदि की जगह जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेन्द्र देव आदि का महत्व बढ़ गया। जयप्रकाश, लोहिया, अच्युत पटवर्धन आदि नेहरू से जुड़ गए।

इस तरह किसान सभा का दूसरा चरण 1933 से प्रारम्भ हुआ जिसमें किसानों के लिए सुविधा नहीं, जमींदारी उन्मूलन और साम्राज्यवाद की विदाई प्रमुख कार्यभार हो गया। अंग्रेजों ने कांग्रेस के समानान्तर जमींदारों की यूनाइटेड पार्टी बनायी जिसे किसान सभा के खिलाफ खड़ा किया। राकेश गुप्ता लिखते हैं- "the leaders of the united party had links with the Hindu Mahasabha. The chairman of the reception committee of united party Sachidanand Sinha was also the chairman of the reception committee of the bihar provincial hindu conference held during 26-28 december 1931. United party was being presented by maharaja of Darbhanga who was

at the same time a leader of All India Hindu Mahasabha which was apposed to class struggle of the kisans, and was with the British."³¹

स्वामी सहजानंद के विरोध में राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद आदि जमींदार परस्त नेताओं के सलाह पर बोगस पीजेंट पार्टी का गठन किया गया।

"In order to gain support for the said compromise a meeting of the bogas peasant body was called at Patna on 15 Jan 1933. In this meeting maharaja of Surajpura (Raja Radhika Raman) was also present."³²

स्वामी सहजानंद को एक साथ कई मोर्चों पर जूझना पड़ा। वे अंग्रेज से भी लड़ रहे थे, जमींदार से भी लड़ रहे थे और कांग्रेस के जमींदार परस्त गांधी गुट के नेताओं से भी जूझ रहे थे। इस लड़ाई में उन्हें जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश का साथ प्राप्त हुआ। जयप्रकाश को इन्होंने गया जिला कमेटी का अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष (1939) बनवाया। प्रारम्भिक दौर में जयप्रकाश ने वर्ग संघर्ष का प्रशिक्षण स्वामी सहजानंद के सानिध्य और देख-रेख में प्राप्त किया।"³³

मगध क्षेत्र के किसान नेता यदुनंदन शर्मा, मुंगेर के कार्यानन्द शर्मा, छपरा के राहुल सांकृत्यायन और रामदेवी सिंह, गया के जयप्रकाश नारायण थे। 1935 ई. से किसान सभा किसानों के मुक्ति संग्राम के लिए भी राजनीतिक मुद्दा के अलावा आर्थिक मुद्दा लेकर संबद्ध हो गया। राकेश गुप्ता लिखते हैं कि -

"In 1935 the government feared that Swami Sahajanand Sarasvati would devoted his attention to kisan sabha organization in Chhapra, Champaran, Purnia, Santhal Parganas apart from other places."³⁵

राकेश गुप्ता लिखते हैं-"In another speech at Dukhan Saraya, police station Paru district Muzaffarpur on 28 January 1935, he repeated almost his Nasirganj speech and addressed the neassity of seperats kisan sabha as a class organization. No tenancy act would be accustable to kisans which was not based on the fundamental rights of the kisans."³⁶

1935 तीसरा मोड़ बिहार आंदोलन में है तब यह राष्ट्रीय आंदोलन के साथ वर्ग संघर्ष और कांग्रेस के समानान्तर संस्था की ओर उन्मुख होता है। "बिहार प्रांतीय किसान सभा की सदस्यता संख्या 1935 में 33 हजार थी। यह 1936 में बढ़कर 70 हजार हो गयी। किसान सभा का मेनिफिस्टो बतलाता है कि किसान सभा का ढांचा और चेतना राजनीतिक के साथ- साथ आर्थिक हो गया। इस मेनिफिस्टो के अनुसार भूमि जोतने वालों की हो, यह प्रश्न जोड़ा गया।"³⁷

किसानों की तत्कालिक मांग निम्न थी-

1. जमींदार को प्रमाणन की शक्ति न हो
2. मावली कर उगाही बंद हो
3. अनार्थिक जोत की कर वसूली बंद हो
4. किसान की कुर्की, जब्ती, गिरफ्तारी बंद हो
5. खेत मजदूर को न्यूनतम जिंदा रहने लायक मजदूरी तय हो
6. गल्ला का न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो
7. चौकीदारी कर बंद हो³⁸

राजनीतिक मांग निम्न थे-

1. अप्रत्यक्ष कर बंद हो (नमक, केरोसिन, माचिस आदि पर)
2. तृतीय श्रेणी के रेल किराया सस्ता होने का प्रावधान हो
3. मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध हो
4. प्रत्येक वयस्क को वोट का अधिकार हो
5. किसान विरोधी, मजदूर विरोधी कानून खत्म हो
6. बेदखली बंद हो और बेदखल किसानों की जमीन वापस हो
7. सिंचाई, जल निकासी का प्रबंध हो
8. उन्नत खाद, बीज उपलब्ध हो
9. गल्ला में बिचौलियों पर लगाम लगे
10. जंगल, बंजर भूमि का उद्धार हो³⁹

1936-39 से किसान आंदोलन का चौथा दौर शुरू हुआ, जब संपत्ति के सामाजिक स्वामित्व और किसान मजदूर द्वारा राजसत्ता दखल को आंदोलन का लक्ष्य बनाया गया। पी.सी. जोशी ने सहजानंद के गांधी और कांग्रेस विरोधी नजरिया का प्रतिवाद किया।

"P. C. Joshi defended the United Front Policy. The main organ of our struggle is National Congress. It is the Congress-Kisan unity which will move the congress forward itself."⁴⁰

"अतः शोषक और शोषित के बीच गठबंधन कभी संभव नहीं है। दो विरोधी वर्ग में सहअस्तित्व नहीं हो सकता। किसान-मजदूर राजसत्ता समर्थक वाम पार्टियों का गठबंधन ही स्वाभाविक और समय का तकाजा है।"⁴¹

“कम्यूनिस्ट पार्टी से सहजानंद का मतभेद निम्न बिन्दुओं पर था-

1. कम्यूनिस्ट पार्टी आत्मनिर्णय के नाम पर पाकिस्तान का समर्थन कर रही थी।
2. कम्यूनिस्ट पार्टी किसान सभा को अपना जनसंगठन मान रही थी।
3. कम्यूनिस्ट पार्टी गरीब-किसान-मजदूर के सम्मिलित नेतृत्व वाले सहजानंद के विचार पर सहमत नहीं थी। वह सर्वहारा के अधिनायकवाद की समर्थक थी।
4. कम्यूनिस्ट पार्टी 'ग्रे मोर फूड' आंदोलन चलाकर ब्रिटिश सेना को अनाज आपूर्ति बढ़ाकर मदद कर रही थी।
5. 1943-45 के बीच कम्यूनिस्ट किसान संघर्ष पर क्रियाशील नहीं थे।⁴²

सहजानंद ने खेत मजदूर और आदिवासी समुदाय को किसान माना। इसका आधार उनकी उत्पादन प्रणाली थी जो कृषि से जुड़ी थी। खेत मजदूर पुस्तक की प्रवेशिका में सहजानंद खेत मजदूर की वकालत करते हुये लिखते हैं-"जब किसान सभा और किसान आंदोलन की लहरें ऊंची उठने लगीं तो उनसे निपटने के लिए जमींदारों और उनकी समर्थक ताकतों ने दो चालें चलीं। एक तो मारपीट, लूट-पाट, गुंडाराज, झूठे मुकदमों आदि के जरिए क्रूर दमन और दूसरे जमींदारों और उनके पैसे, उनकी कोशिश, पैरवी और उन्हीं के बल पर खेत-मजदूर संगठन खड़ा किया गया। असल में बाहरी दुनिया के आँखों में धूल झोकने के लिए ही इस आंदोलन का रूप खड़ा किया गया है। खेत मजदूरों की सेवा से इसे कोई मतलब नहीं है। यह केवल प्रचार और प्रोपेगण्डा के ही लिए इस आंदोलन का रूप खड़ा किया गया है।"⁴³

इस आंदोलन के पीछे बल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने जगजीवन राम को इसे संगठित करने का जिम्मा दिया था ताकि किसान सभा में फूट पड़ जाए। मगर यह हुआ नहीं। जगजीवन राम कागज में ही संगठन बना संतुष्ट हो गए। स्वामी सहजानंद ने अपनी आत्मकथा और खेत मजदूर पुस्तिका में लिखा है- "कौन नहीं जानता कि सरदार बल्लभ भाई पटेल से बढ़कर शायद ही कोई किसान सभा का दुश्मन हो।"⁴⁴ गरीब किसान और खेत मजदूर ही असली किसान है।"⁴⁵

डुमरांव की किसान सभा में जमींदारों ने सभा में व्यवधान हेतु अराजक तत्त्वों का सहारा लिया। लेकिन पचास हजार की भीड़ के सामने लठैत बोगस हो गए। सभा सम्पन्न हुयी। सहजानंद ने पूछा-"बोलो! किसी का सर भी फटा क्या? चिराग लेकर खोजो, वे किराए के लठैत किधर गए? हमारी अहिंसा गांधी जी की अहिंसा से थोड़ी भिन्न है।"⁴⁶

स्वामी सहजानंद ने रानीपरजा, दुबला, हाली, भील, धराला जैसी पीड़ित शोषित जातियों को किसान सभा से जोड़ा व आंदोलन किया तथा पटेल की जमींदार परस्त नीति को गुजरात में ही ध्वस्त किया। सहजानंद गांधी के धर्म और राजनीति के गठबंधन की नीति का विरोध करते थे। वे धर्म को राजनीति से अलग रखने के पक्षधर थे और उनकी मान्यता थी कि "इसका नतीजा आने वाली पीढ़ियों को सूद के साथ भुगतना होगा।" धर्म और ईश्वर शीर्षक से अपनी आत्मकथा में भाग्यवाद का विरोध किया और पुरुषार्थ को प्रतिष्ठित किया। सहजानंद ने 'किसान क्या करें' लिखकर किसानों की वर्ग चेतना को विकसित किया। 'किसान

कैसे लड़ते हैं' और 'किसान सभा के संस्मरण' पुस्तिका में किसानों की लड़ाई का जीवंत वर्णन किया है। किसानों के शोषण की छानबीन कर उसकी सूची 'किसानों की करुण कहानी' में गया जिला में जांच कर तैयार किया। 'क्रांति और संयुक्त मोर्चा' लिखकर क्रांति पर छाए भ्रम के घटाटोप को दूर किया और वामपंथ का संयुक्त मोर्चा बनाने की वकालत की। वस्तुतः यह पुस्तक क्रांति का आधार पत्र है।

किसानों पर हो रहे जुल्म में प्रधानता निम्न शोषण को दिया है-

1. जमीन से बेदखली
2. तरह-तरह के गैर कानूनी वसूली
3. किसानों की ऋणग्रस्तता
4. बेगारी
5. डोला (डोला प्रथा में किसान पत्नी को पहली रात जमींदार घर गुजारनी पड़ती थी।)

“स्वामी सहजानंद आधारभूत किसान समस्या के व्यावहारिक प्रेक्षक थे। वे किसान सभा के सिद्धांतकार, सूत्रकार और संघर्षकार थे।”⁴⁸ हाउजर ने पुनः लिखा है- “सहजानंद ने लगान में कमी, बकाया लगान की मन्सूखी, किसानों के कर्ज की मन्सूखी, दाम वृद्धि, सूद दर वृद्धि, उच्चा नहर लगान, ईख का कमतर दाम, जमींदार अमला द्वारा असबाब वसूली को आक्रमण का लक्ष्य बनाया। सहजानंद ने इन समस्याओं को प्रकाश में लाकर किसानों के खातिर आवाज उठाया। ऐसा करने के लिए उन्होंने किसानों को सामूहिक तौर पर उनकी हालत के प्रति चेतना जगायी और परिवर्तन की संभावना के प्रति जागरूक बनाया तथा परिवर्तन की उन्नति की प्राप्ति के लिए संगठित हलचल किया। सहजानंद का यह टेक्नीक था, यह सरल और असरदार था।”⁴⁹ इसे हलचल से शुरू कर आंदोलन में विकसित किया, उग्र बनाया, निरंतरता दिया और अंत में क्रांति की दहलीज पर पहुंचा दिया। यदि विश्वयुद्ध जनित परिस्थिति नहीं आयी होती तो सहजानंद सुभाष के नेतृत्व में जनवादी क्रांति अवश्य सफल हो जाती। सहजानंद इस आसन्न क्रांति के मेरुदंड थे। मगर विश्वयुद्ध काल में भारत में वाम मोर्चा बिखर गया। एक हिस्सा गांधी की तरफ गया, सुभाष विदेश चले गए, सहजानंद वर्ग संघर्ष के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ, राष्ट्रहित और गांधी विरोध में सुभाष के साथ रहे और इनके बीच झूलते रहे। 1945-46 में वे कम्युनिस्ट पार्टी से अलग-थलग रहे पर तेलंगाना विद्रोह के समय 1947-48 में फिर साथ हो गए। 21 फरवरी 1950 को अठ्ठारह वामदलों से बनी यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष बने पर 21 जून 1950 को दिवंगत होने के कारण वे प्रभावी न हो सके।⁵⁰

19-20 मार्च 1940 रामगढ़ समझौता विरोधी सम्मेलन से सहजानंद सुभाष के नेतृत्व में 'अंग्रेज भगाओ', 'मौत दो या आजादी दो' संघर्ष शुरू हुआ। जिसमें गांधी का अस्थायी अल्पकालिक विलंबित शिरकत 1942 में हुआ। गांधी ने कोई कार्यक्रम नहीं दिया और सत्याग्रह को व्यक्तिगत बनाकर सीमित कर दिया। सुभाष से प्रभावित सेना के विद्रोह ने 1948 की जगह 1947 में ही भारत को आजाद करा दिया।

सत्यकेतु नारायण सिंह लिखते हैं- "आगरा काश्तकारी कानून के अनुसार काश्तकारों की छः श्रेणियाँ थीं"⁵¹ बिहार में तीन श्रेणियाँ थीं। दखलदार और गैर दखलदार तथा शिकमी। जमींदार की अपनी जमीन को जिरात या खुद काश्तकार कहते थे। किसान को दी गयी जमीन वकाशत कहलाती थी। डॉ. महेंद्र प्रताप लिखते हैं- "उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन को परिप्रेक्ष्य देने के लिए आवश्यक था कि राष्ट्रीय आंदोलन के आर्थिक पक्ष को उजागर किया जाए, साथ ही गाँव की गरीबी को विशेष रूप से रेखांकित किया जाए।"⁵²

अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसान आंदोलन चला रहे थे। इससे आकर्षित होकर संयुक्त प्रांत में पं. मदन मोहन मालवीय ने किसानों के कष्टों को दूर करने के लिए प्रयाग में किसान सभा का गठन किया। उनका उद्देश्य होम रूल लीग के लिए जनसमर्थन जुटाना था। होम रूल लीग आंदोलन तिलक के अवसान के बाद ठप्प हो गया। मालवीय जी की किसान रुचि भी समाप्त हो गयी। 1920 के जून में जवाहरलाल ने अवध किसानों की ओर अपना ध्यान बढ़ाया। 1921 ई. में मोतीलाल की अध्यक्षता में यू.पी. में किसान सभा का गठन हुआ। इसमें जवाहरलाल के अवध किसान सभा का विलय हो गया। इस सभा में पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व वाली किसान सभा का भी विलय हो गया।⁵³ जब नेहरू ने 1927-28 में सोवियत संघ का दौरा किया तब उनके दृष्टिकोण में अधिक विस्तार आया। 1930 ई. में अवध में कर बंदी आंदोलन शुरू हुआ। फरवरी 1930 में जवाहरलाल ने रायबरेली के कई किसान सभाओं में शिरकत किया। जमींदार अत्याचारी थे। वह अवैध वसूली और बेगारी करवाते थे। काश्तकारों की बड़ी समस्या बेदखली थी। 1930 ई. में किसान समस्या में रुचि रखने में अहमद खाँ शेरवानी, जवाहरलाल नेहरू, वेंकटेश नारायण तिवारी, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि थे।

इलाहाबाद में आयोजित किसान सभा में 20 अक्तूबर 1930 को 1800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें करबंदी का फैसला लिया गया। इस आंदोलन में रफी अहमद किदवई, गणेश शंकर विद्यार्थी, मोहन लाल गौतम, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि थे। बनारस में सम्पूर्णानन्द और श्रीप्रकाश सक्रिय थे। नैनीताल में करबंदी आंदोलन गोविंद बल्लभ पंत चला रहे थे। आगरा में कृष्णदत्त पालीवाल ने 'सैनिक' पत्र निकालकर ग्रामीण क्षेत्र की दुर्दशा का चित्रण किया। यह आंदोलन साम्राज्यवाद विरोधी था मगर कहीं-कहीं सामंतों के खिलाफ भी आंदोलन का विस्तार हुआ।

1931 में गांधी- इरविन समझौता के बाद शांति हो गयी। भगत सिंह की फांसी का विरोध बड़े नेताओं में सिर्फ सुभाष ने किया। महेंद्र प्रताप लिखते हैं-"कांग्रेस ने किसानों से कहा कि वे अपनी शक्ति के अनुसार अपना लगान भुगतान कर दें।"⁵⁴ इस तरह यू.पी. का करबंदी हलचल विफल हो गया और नेतृत्व तथा संगठन के अभाव में विस्तार न पा सका और कांग्रेस के जमींदार नेतृत्व ने इसका गला घोट दिया। सीतारमैया लिखते हैं-"इस बीच रायबरेली जिले में किसानों के अंदर उग्रवादी विचार फैलने लगे, यह उग्रवादी वर्ग कांग्रेस के नेतृत्व में नियंत्रण के बाहर हो गया।"⁵⁵ हेली ने लिखा है कि-"कांग्रेस के स्थानीय नेता किसानों को भड़का रहे हैं।"⁵⁶ मई 1931 में गांधी ने गवर्नर सर कोल्लन हेली से मुलाकात कर कहा-"काश्तकारों को कर चुकता करने का गांधी ने अनुरोध किया।"⁵⁷ केंद्र के गृह सचिव एच. डब्लू. इमर्सन ने लिखा-"गांधी जी

का दृष्टिकोण अत्यधिक मित्रतापूर्ण एवं तर्कसंगत था।"⁵⁸ गांधी जी ने सरकार को आश्चस्त किया-"जहां तक संभव होगा, वे लगान और मालगुजारी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियों को रोकने का प्रयास करेंगे।"⁵⁹ पुरुषोत्तम दास टंडन ने जमींदारों से अनुरोध किया कि वे अपने अमानुषिक कार्यों को बंद करें।"⁶⁰ सत्यकेतु लिखते हैं-"इस समय किसानों में संगठन और नेतृत्व का अभाव था। इसमें कुछ छोटे जमींदार तथा वकील थे जो किसान समस्या में रूचि रखते थे। वास्तविक काश्तकार करबंदी का आंदोलन स्वयं नहीं चला पाये।"⁶¹ समाजवादी विचारकों ने किसानों की समस्याओं में रूचि लेना आरंभ किया। कहीं-कहीं किसानों ने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी पर नेतृत्व की कमी, संगठन का अभाव, लक्ष्य का अभाव, क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य के अभाव के कारण यू.पी. का किसान आंदोलन कमजोर ही बना रहा।

इसमें गति 1936 के बाद आयी। रामपुर के पास पीलीभीत में 13 नवंबर 1937 को यू.पी. किसान सभा का प्रांतीय किसान कान्फ्रेंस सम्पन्न हुआ। इसमें 50000 व्यक्तियों की व्यवस्था की गयी। गांधी, जवाहरलाल, पुरुषोत्तम दास, नेन्द्रदेव और स्वामी सहजानंद को आमंत्रित किया गया। टंडन जी ने अध्यक्षता की। अब लक्ष्य, कार्यक्रम, राजनीति, परिप्रेक्ष्य, टेकनीक सब कुछ परिभाषित और स्पष्ट हो गया।"⁶² 25 नवम्बर 1937 को हापुड़ आजाद पार्क में विष्णु शरण दुबलिश, योगेश चटर्जी, शचीन्द्र नाथ बख्शी के व्याख्यान हुए।"⁶³ बख्शी ने कहा-"हिंसा के द्वारा हम देश को जिस हद तक ले जाना चाहते थे, उस हद तक वह जाने को तैयार न था। इसलिए हम जनसाधारण से कोई संपर्क न बना सके।"⁶⁴

यू.पी. में स्वामी सहजानंद के साथ टंडन, मोहनलाल गौतम, हर्षदेव मालवीय, झारखण्डे राय, जयबहादुर, जेड.ए. अहमद आदि जुट गए। नेंद्रदेव एकेडेमिक थे। वे और नेहरू किसान सभा के समर्थक रहे। इस तरह यू. पी. में किसान आंदोलन नयी सज-धज के साथ शुरू हुआ। पूर्वाञ्चल में बिहार की तरह अंततः यह धधक गया। किसान सभा में कुँवर मुहम्मद अली अशरफ भी जुट गए।

मोतीहारी, हाजीपुर के किसान सम्मेलन की अध्यक्षता राहुल सांकृत्यायन ने किया। इसमें जेड.ए. अहमद शरीक हुए। यह सम्मेलन 1938 के कांग्रेस-जमींदार समझौते के खिलाफ था। जेड.ए. अहमद लिखते हैं-"कांग्रेस ने जमींदारों को पूर्ण आश्वासन दिया था कि जमींदारी उन्मूलन के लिए होने वाली सभाओं में किसी भी कांग्रेस जन को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इन सभाओं का कांग्रेस विरोध करेगी। किसान विरोधी इस समझौते के खिलाफ बिहार की किसान सभा पूरी ताकत के साथ किसानों को एक जुट कर रही थी। वहाँ के इस तूफानी संघर्ष का नेतृत्व करने वालों में स्वामी सहजानंद, राहुल सांकृत्यायन और कार्यानन्द शर्मा का नाम उल्लेखनीय है। बिहार के लाखों किसान इस आंदोलन में शरीक थे।"⁶⁵

कोमिला की सभा में सहजानंद की अध्यक्षता में 1938 में पारित हुआ कि "किसान सभा का लक्ष्य वर्ग सहयोग या समझौता न होकर वर्ग संघर्ष है, कृषि क्रांति है, उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होगा।"⁶⁶

1938-39 में बलिया, खजूरी के किसान सभा में स्वामी सहजानंद, नरेन्द्रदेव, बैजनाथ शर्मा शरीक हुये। बलिया की एक अन्य सभा में जेड.ए. अहमद, चित्तु पाण्डेय शरीक हुये। पाण्डेय ने कहा-"तिरंगा झण्डा जमींदारों के सुधरने और जुल्म न करने का उपदेश तो देता ही है, किन्तु यदि उन्होंने यदि अपना जुल्म बंद न किया तो इस सभा में जो लाल झंडा लहरा रहा है, वह उन्हें जड़ मूल से नष्ट कर देगा।"⁶⁷ 1942 में चित्तु पाण्डेय ने सचमुच में कमाल कर दिया और समानान्तर सरकार चलायी। आजमगढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व जयबहादुर सिंह ने किया। इन्होंने जमींदारी जुल्मों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत अपने परिवार से ही की थी।

रसूलपुर स्टेट के खिलाफ संघर्ष हुए। छिछोर के जमींदार को सर किया गया। झारखण्डे राय के साथ रामानन्द गुप्त, लेखपाल सिंह, जफर आजमी थे। सगड़ी में दशरथ राय शास्त्री, रामलखन सिंह (महमदाबाद), बच्चे लाल शास्त्री के नेतृत्व में संघर्ष हुए। गाजीपुर में पब्बर राम, रामसुंदर, राजनाथ, बलरूप, सरयू राय नेता थे। सहजानंद स्वयं सुखपाली गाँव गए। किसान आंदोलन से शिवबन लाल सक्सेना और गेंदा सिंह भी जुड़ गए। इस तरह पूर्वाञ्चल के किसान धधकती किसान क्रांति में भारी संख्या में शिरकत किए।

संदर्भ:

1. बिहार किसान सभा : वाल्टर हाउजर, पृ. 5.
2. वही, पृ. 210.
3. बिहार प्रोविन्सियल किसान सभा : पृ. 5-11.
4. शर्देदु मुखर्जी, पृ. 139.
5. भारत में भूमि सुधार : हरिकिशन सिंह सुरजीत, पृ. 1.
6. सर्वेक्षण प्रतिवेदन : स्वामी सहजानन्द सरस्वती शोध संस्थान.
7. कांग्रेस एंड दी पीजेंट मूवमेंट इन बिहार : जी. पी. शर्मा, पृ. 2.
8. भारत में भूमि सुधार, : हरिकिशन सिंह सुरजीत, पृ. 13.
9. कांग्रेस एंड दी पीजेंट मूवमेंट इन बिहार : जी. पी. शर्मा, पृ. 6.
10. वही, पृ. 6-7.
11. वही, पृ. 15.
12. गया जिले के किसानों की करुणा कहानी और काश्तकारी कानून संसोधन, (1935).
13. टैन्नर का प्रतिवेदन, पटना. (1919).
14. बिहार पीजेन्टरी : राकेश गुप्ता, पृ. 33, प्रतिवेदन रिपोर्ट, (1934).
15. वही.
16. भारत में भूमि सुधार : हरिकिशन सिंह सुरजीत, पृ. 15.

17. वही, पृ. 13.
18. फसल प्रतिवेदन 1940-49, कृषि विभाग, बिहार, पटना, पृ. 90.
19. सहजानंद से चारू और अब: चंद्रभूषण, पृ. 60.
20. वही, पृ. 60-61.
21. फाइनल रिपोर्ट आन द सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट 1902-1910 : पी. डब्लू मैथ्यू, कलकत्ता सचिवालय, पुस्तक विभाग, पृ. 25.
22. बिहार किसान सभा : वाल्टर हाउजर, पृ. 63.
23. स्वामी सहजानंद रचनावली खण्ड-2 : सं. राघव शरण शर्मा.
24. सहजानंद से चारू और अब: चंद्रभूषण, पृ. 64.
25. खेत मजदूर: स्वामी सहजानंद सरस्वती, पृ. 10-11.
26. महारुद्र का महाताण्डव: स्वामी सहजानंद सरस्वती.
27. वही, पृ. 67.
28. वही, पृ. 69.
29. पीजेंट स्ट्रगल: ए. आर. देसाई.
30. हिस्ट्री ऑफ दी किसान मूवमेंट: स्वामी सहजानंद सरस्वती, एन. जी. रंगा., पृ. 84.
31. बिहार पीजेन्टरी : राकेश गुप्ता, पृ. 81-82.
32. वही, पृ. 95.
33. गया जिला गजेटियर में दर्ज एवं जयप्रकाश की स्वीकृति, पटना गांधी मैदान का भाषण.
34. बिहार पीजेन्टरी: राकेश गुप्ता, पृ. 100.
35. मुख्य सचिव का पत्र उपपुलिस महानिरीक्षक, सी.आई. डी, बिहार सरकार, फाइल नं. -16/1935.
36. वही, पृ.- 97-98, पुलिस रिपोर्ट के उपरान्त.
37. गृह राजनीति विभाग, फाइल नंबर-6B/1936.
38. बिहार पीजेन्टरी: राकेश गुप्ता, पृ.102.
39. वही, पृ.103.
40. भारत का कृषि आंदोलन: सुनील कुमार सेन, पृ. 282.
41. क्रांति और संयुक्त मोर्चा: स्वामी सहजानंद सरस्वती.
42. स्वामी सहजानंद सरस्वती: राघव शरण शर्मा.
43. खेत मजदूर : स्वामी सहजानंद सरस्वती.
44. वही.
45. महारुद्र का महाताण्डव: स्वामी सहजानंद सरस्वती.
46. ज्योति कलश, पृ. 268.
47. हुंकार, पटना, (1943, जनवरी 31).
48. बिहार प्रांतीय किसान सभा: हाउजर, पृ. 127.

49. वही, पृ.133.
50. लेफ्ट पालिटिक्स इन इंडिया: माडर्न बेनार.
51. सत्यकेतु नारायण सिंह, पृ.14.
52. डॉ. महेंद्र प्रताप, पृ. 191.
53. पॉलिटिकल चेंज इन यूनाइटेड प्रोविन्स, पृ. 115-118.
54. डॉ. महेंद्र प्रताप, पृ. 127.
55. हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस: वी.पी.सीतारमैया, पृ. 66.
56. हेली-इरविन, (1931, मई 20).
57. गांधी मेनिफेस्टो 23 मई 1931 व एपेंडिक्स 19, हेली पेपर्स 20, पृ. 157-58.
58. सत्यकेतु नारायण सिंह, पृ.132.
59. वही, पृ. 132.
60. वही, पृ. 135.
61. वही, पृ. 141-42.
62. हिंदुस्तान, (1937, नवम्बर 14).
63. हिंदुस्तान, (1937, नवंबर 30).
64. हिंदुस्तान, (2007, नवम्बर 30). पुनर्मुद्रित.
65. जेड. ए. अहमद, पृ. 245-248.
66. सहजानन्द का अध्यक्षीय भाषण, कोमिला सभा, (1938).
67. जेड. ए. अहमद, पृ. 255.

भारतीय ग्रामीण समस्याओं के निराकरण में गांधीवादी अवधारणा की भूमिका

विजय कुमार मिश्र¹

प्रस्तावना:

भारत गाँवों का देश है, बल्कि यह कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत गाँवों का ही देश है जो हमें विरासत में मिली है। आजीविका के प्राथमिक स्रोतों का उत्पादन आज भी गाँवों में सबसे ज्यादा होता है। जिसमें कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। हमारे देश की 52 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है एवं 'सकल घरेलू उत्पाद' में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा लगभग 17 प्रतिशत है (सिंह, 2010), जिसके कारण इसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन इतने बड़े समूह (52 प्रतिशत आबादी) का मिलकर 'सकल घरेलू उत्पाद' में केवल 17 प्रतिशत का योगदान चिंतनीय विषय है। इसकी वजह औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण तथा शहरीकरण के दौर में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा है। औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण तथा शहरीकरण का असर ग्रामीण संरचना पर भी हुआ है परंतु बहुत सारे गाँवों में आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेय जल, सड़क आदि जैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी है। औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, शहरीकरण, किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा के कारण गाँवों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का पलायन बड़े स्तर पर शहरों की तरफ हो रहा है। ग्रामीणों के पलायन के कारण पहले से प्रदूषित, भीड़-भाड़ तथा भागम-भाग वाले शहरों में आबादी और ज्यादा बढ़ने लगी है तथा ग्रामीणों को स्वच्छ वातावरण से निकल कर भाग-दौड़ की दुनिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में उनका शोषण भी हो रहा है। ग्रामीणों की इस दुर्दशा का मुख्य कारण विदेशी शासन के दौरान प्राचीन भारतीय ग्रामीण संरचनाओं, संस्थाओं एवं शिक्षा व्यवस्था का टूट जाना है। इनके अतिरिक्त प्राचीन ग्रामीण संरचना में आई कमियाँ एवं खामियाँ जैसे- छुआ-छूत, गैर-बराबरी एवं अंधविश्वास आदि भी शामिल हैं और ये बुराईयाँ कोढ़ सामान हैं। इन बुराईयों को दूर करके ही भारतीय समाज को आदर्श समाज बनाया जा सकता है, जिसका प्रयास महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे एवं कुमारप्पा जैसे विचारकों ने किया। महात्मा गांधी ने प्राचीन ग्राम व्यवस्था में उत्पन्न हुई खामियों को दूर कर आदर्श ग्राम के निर्माण की वकालत की थी; जिसमें पंचायती व्यवस्था के माध्यम से ग्राम स्वराज की बात आती है ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके और गाँवों का विकास हो सके। इसके लिए भारत सरकार ने भी 'पंचायती राज व्यवस्था कानून 1992' लागू किया ताकि विकेंद्रित व्यवस्था के माध्यम से गाँवों का विकास हो सके (यादव, 2014)। परंतु यह गांधी जी की ग्राम स्वराज वाली परिकल्पना से भिन्न है। इन सब के बावजूद गाँवों के विकास को अधिक गति मिले तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं पेयजल जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से कार्यक्रम शुरू किये गए हैं, ताकि गाँवों का समुचित विकास हो सके। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं

¹ शोध छात्र गांधी विचार और शांति अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र, गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर,
Email - Vijaymishra2k8@gmail.com Mobile - 8805278313

पोषण की स्थिति को मजबूती देने, स्वच्छता को बढ़ावा देने एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' के तहत पंचायतों, सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण विकास को गति और मजबूती मिले (Mission Document, 2005-2012)।

प्राचीन ग्रामीण संरचना:

भारत की विशेषता थी कि यहाँ गाँव-गाँव में खेती-बारी, बुनकरी से लेकर अन्य कई प्रकार के उद्योग-धंधे थे। गांवों में ग्रामीण संस्थाएँ थी जहाँ सब इकट्ठा होते थे, आपसी बात-चीत तथा मनोरंजन करते थे एवं एक दूसरे के भले के लिए प्रार्थना करते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में आता है-

*“यथा नः शमसद्-द्विपदे चतुष्पद।
विश्वं पुष्टम् ग्रामे अस्मिन् अनातुरम् ॥”*

हमारे गाँव में सभी निरोग हों। हे भगवान! जैसे गाय शाम को गाँव में वापस आती है वैसे ही हम तुम्हारे शरण में आते हैं। हमारी वे ग्राम संस्थाएँ लगभग टूट चुकी हैं। उस ज़माने में ग्रामीणों की आवश्यकता की चीजें गाँव में ही पैदा होती थीं। कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं होता था, सब मिल-जुलकर आपसी सहयोग से काम करते थे। दूसरे शब्दों में तो वह एक प्रकार की सेवा मानी जाती थी। काम में सहयोग करने वाले को मजदूरी नहीं बल्कि उनका वाजिब हिस्सा (आनाज एवं अन्य उपज का) हर घर से मिलता था। तमिलनाडु से कश्मीर तक यही व्यवस्था थी। वैद, बढई, नाइ, शिक्षक एवं कारीगर फसल में सबका हिस्सा होता था (विनोबा, 2004)।

ये सारी व्यवस्थाएँ टूट गईं। गाँव के उद्योग धंधे खत्म हो गए। वे यों खत्म नहीं हुए बल्कि इसे योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया गया। औद्योगिक क्रांति एवं ईस्ट-इंडिया कंपनी के भारत में विस्तार के बाद भारत हजारों साल चली आ रही हस्तकला एवं बुनकरी का धंधा धीरे-धीरे खत्म हो गया। कंपनी ने अपना विस्तार करते हुए पहले शासन व्यवस्था पर कब्जा किया एवं यहाँ के मूल-व्यवस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक संरचना एवं शिक्षा इत्यादि जैसे व्यवस्था तक को परवर्तित कर डाला (विनोबा, 2004)।

1. **ग्रामीण व्यवस्था** - ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता आत्म-निर्भरता के साथ-साथ लोगों के आपसी सहयोग की थी। उसमें सबका योगदान होता था। इससे दो फायदे होते थे- (1) आपसी सहयोग एवं हिस्सेदारी के चलते संघर्ष की संभावना कम होती थी। (2) बाहरी परिवर्तन का ग्रामीण जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था। इससे ग्रामीण जीवन में राज्य की भूमिका कम होती थी। यानि ग्रामीण व्यवस्था में स्वावलंबन होता था। गांवों में कामगारों की जमात थी, वे समाज की हर जरूरत को पूरा कर लेते थे। एक गाँव का दूसरे गाँव से आपसी सहयोग भी एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा करने में सहायक था। भारत की इस परंपरागत व्यवस्था की वास्तविक स्थिति के बारे में दो परस्पर विरोधी राय हैं: एक तरफ, कुछ विद्वान इसे शोषण आधारित व्यवस्था मानते हैं, जबकी

दूसरी तरफ, भारत के दूरवर्ती गांवों तक का भ्रमण कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी एवं उनके जैसे अन्य विचारक एवं विद्वान भारतीय ग्रामीण व्यवस्था के प्रारंभिक रूप को आदर्श व्यवस्था मानते हैं। वे इसके प्रारंभिक अवस्था को आदर्श व्यवस्था इसलिए मानते थे क्योंकि यह प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था के रूप में थी एवं वर्ण व्यवस्था में कर्म की प्रधानता थी। अपने कर्मों के बल पर वर्ण परिवर्तित करने कि पूरी छूट थी। इसके पीछे तीसरा तर्क यह है कि पूर्णतया शोषण एवं अन्याय पर आधारित व्यवस्था ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकती है। मतलब भारतीय ग्रामीण व्यवस्था अपने आरंभिक अवस्था में ठीक थी। परंतु इतिहास के लंबे क्रम में इसमें विकृति पैदा हो गई।

2. **ग्रामीण कृषि एवं कर व्यवस्था**— साधारणतया जमीन की मालिक्यत या तो राजा या समाज की होती थी या फिर व्यक्तिगत रूप से कृषक की होती थी। लेकिन भारत के गांवों में भूमि-अधिकार की इन तीनों से इतर अपनी एक अलग व्यवस्था थी। राजा को सिर्फ राजस्व वसूलने का अधिकार था। जमीन उसकी नहीं मानी जाती थी। जमीन ग्राम सभा (समाज) की भी नहीं थी क्योंकि किसान परिवार व्यक्तिगत रूप से खेती करता था और वह उस जमीन पर पुश्त दर पुश्त खेती करने का हकदार भी था, लेकिन भूमि कृषक की भी नहीं मानी जाती थी क्योंकि कृषक उसे खरीद-बिक्री नहीं कर सकता था। राजा उससे फसल का छठा हिस्सा लेने का अधिकारी था परंतु उसे जमीन से बेदखल नहीं कर सकता था। मुगलों ने इस व्यवस्था को थोड़ा परिवर्तित कर नगदी लगान की व्यवस्था एवं वसूली के लिये जागीरदारी/जमींदारी व्यवस्था का चलन लाया। लेकिन जब तक किसान लगान देता रहता था तब तक उसे जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था।
3. **शिक्षा व्यवस्था**— भारतीय शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम के विषय निर्धारण पर अंग्रेजी राज का सबसे गहरा और दूगामी असर पड़ा। अंग्रेजी राज ने शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों और पाठ्यक्रमों में आमूल-चूल परिवर्तन किया। उपनिवेशी शासन के दौरान 1822-1838 के बीच शिक्षा के क्षेत्र में मद्रास, बंबई और बंगाल में कराए सर्वेक्षण में इस बात कि पुष्टि होती है कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा का काफी प्रचार-प्रसार था। भारत के गांवों में प्रचलित इस प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था से कंपनी के कुछ अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इंग्लैंड में गरीब बच्चों के पढ़ाने के लिए इस प्रारूप (भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था) का उपयोग शुरू कर दिया जो 'मद्रास सिस्टम' के नाम से जाना था लेकिन अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के कारण ग्रामीण शिक्षा का ये ढाँचा (भारतीय ग्रामीण शिक्षा का ढाँचा) भारत में कमजोर हो गया तथा अंग्रेजों द्वारा लाई गई व्यवस्था प्रभावी हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं, कर एवं चंदा व्यवस्था के साथ-साथ भारतीय व्यवस्थाओं में सिकंजा कसने के कारण उत्पन्न गरीबी थी। इस अवस्था में भारत की प्रचलित व्यवस्थाओं को चला पाना कठिन था (प्रधान, 2012)। धर्मपाल ने अपने पुस्तक 'द ब्यूटीफुल ट्री' में तमिल प्रदेश के अपने गहन अध्ययन से साबित किया है कि यहाँ विद्यालयी शिक्षा का काफी प्रचार-प्रसार था स्कूली शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला था। देश में उच्च शिक्षा के भी विभिन्न केंद्र थे। पढ़ाई का माध्यम संस्कृत

अथवा अरबी/फारसी हुआ करती थी। धर्मपाल इस बात से भी इंकार करते हैं कि शिक्षा का प्रचार-प्रसार केवल सवर्ण जातियों में ही ज्यादा था। परिवार शिक्षा की प्रथम पाठशाला होती थी जिसमें कथा, कहानी तथा धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से बड़े-बुजुर्ग बच्चों को नैतिक शिक्षा दिया करते थे। इसकी झलक आज भी देखने को मिलती है। इन्हीं के द्वारा हस्तकला एवं पारिवारिक व्यवसाय की शिक्षा भी दी जाती थी जिससे नई पीढ़ी को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता था। आश्रम व्यवस्था भी शिक्षा का एक माध्यम रहा है जिसे उपनिवेशी शासन के दौरान खंडित कर दिया गया (DHARAMPAL COLLECTED WRITINGS Volume III)

4. **मनोरंजन के साधन**— पुराने समय में मनोरंजन के लिए लोग खाली समय में चौपालों में इकट्ठा होते थे तथा तरह-तरह के नृत्य-गान करते थे, जो मौसम के अनुसार हुआ करता था। यानि त्यौहारों तथा फसलों के मौसम पर आधारित हुआ करता था। उस समय वर्तमान की तरह मनोरंजन के साधन की संपन्नता नहीं थी। लोग ढोलक एवं झाल जैसे वाद्य यंत्रों से अपना मनोरंजन करते थे। ग्राम सभा, अतिथि गृह या चौपाल के अलावा घरों में होने वाले पूजा-पाठ के अवसर पर भी लोग इकट्ठा होकर आनंद उठाते थे, शादी-विवाह में भी इसी तरह के प्रावधान थे। गांवों में आने वाले अतिथियों के लिए चौपाल, ग्राम सभा के अलावा अतिथि गृह भी बनाये गए थे। उस समय धर्म पर आधारित चर्चाएँ ज्यादा हुआ करती थीं।
5. **परिवार तथा सामाजिक स्थिति**— पुराने समय में पारिवारिक संरचना बहुत ही मजबूत हुआ करती थी। जिसका असर आज भी गांवों में देखने को मिलता है। उस समय संयुक्त परिवार का चलन था जिसमें परस्पर सहयोग की भावना रहती थी। परिवार का एक मुखिया होता था जो परिवार के भरण-पोषण का कार्य करता था। उसके द्वारा लिया गया फैसला सर्वोपरि होता था। संयुक्त परिवार होने के कारण घर के बड़े-बूढ़ों के माध्यम से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और प्यार मिलता था जिसका असर समाज पर भी पड़ता था और समाज में परस्पर सहयोग एवं प्रेम देखने को मिलता था। यह एक संस्कृति के रूप विकसित थी। प्रत्येक व्यक्ति सबके दुःख-सुख में शामिल होता था। समाज भी परिवार की तरह ही कार्य करता था (विनोबा, 2004)।

आधुनिक ग्रामीण संरचना:

आधुनिक ग्रामीण संरचना पर शहरों का प्रभाव दिखने लगा है। आज गाँव आधुनिक सुविधाओं से लैश होने लगा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेय जल के साथ-साथ इंटरनेट, सड़कें आदि भी गांवों में बढ़ने लगी हैं। आज गांवों में इतिहास के लंबे दौर में उत्पन्न हुई समस्याओं जिसमें औपनिवेशिक शासन का बड़ा योगदान है, जैसे — छुआ-छूत, जाति व्यवस्था एवं गैरबराबरी आदि भी कम होने लगी है। इसके साथ ही खेती में भी नवीन उपकरणों, बीजों एवं उर्वरकों का प्रयोग होने लगा है लेकिन ये सुविधाएँ अभी 30% गांवों तक ही पहुंच पाई है। इसके लिए सरकारी तौर पर प्रयास हो रहा है, फिर भी; बिचौलियों के कारण ये सुविधाएँ कम शिक्षित एवं आम आदमी तक नहीं पहुंच पायी है अगर पहुंची भी है तो थोड़ी मात्रा में। इन सुविधाओं को गांव के आम आदमी तक पहुँचाने का काम ग्राम-पंचायतों का होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो पाने में

कठिनाइयाँ देखने को मिलती है। आज त्रि-स्तरीय पंचायती व्यवस्था होने के बाद भी इन कठिनाइयों का सामना शायद इसलिए करना पर रहा है कि पंचायतों कि पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त नहीं है तथा यह गांधीजी के ग्राम स्वराज के परिकल्पना से भिन्न है।

ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान चल रही कुछ सरकारी योजनाएँ :

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन – इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में बुनियादी सुधार करना है। मिशन ने पोषण, सफाई, स्वच्छता और सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता को स्वास्थ्य से संबंधित किया है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ग्रामीण जीवन को भारतीय चिकित्सा प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - इसके के तहत एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रत्येक घर के कम से कम एक सदस्य को प्रदान किया जाता है। प्रभावी ढंग से लागू किए गए मनरेगा कार्यक्रम में गरीबी के नक्शे को बदलने एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने की पूरी क्षमता मौजूद है।

इसके अतिरिक्त गांवों को समृद्ध एवं विकसित बनाने हेतु अन्य कार्यक्रम जैसे – आजीविका, कौशल विकास, मुद्रा योजना, राष्ट्रीय कृषक नीति, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन ए आई एस), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना, वर्षापोषित क्षेत्र के लिए (एन डब्ल्यू डी पी आर ए), कृषि में सूचना के उपयोग को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण पशुधन स्वास्थ्य, राष्ट्रीय पशु तथा भैंस प्रजनन योजना, दाने और चारे के विकास के लिए राज्यों को सहायता, पशुधन गणना, मुख्य पशुधन उत्पाद के आकलन हेतु समन्वित नमूना सर्वेक्षण योजना, पशु स्वास्थ्य निदेशालय, पशु रोग रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, चारा फसलों की जांच के लिए केंद्रीय मिनीकट जांच कार्यक्रम, केंद्रीय कुक्कुट विकास संस्थान, गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई डी डी पी), गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा, सहकारी समितियों को सहायता आदि प्रारंभ की गई हैं (विकासपीडिया)।

इन सभी योजनाओं के सकारात्मक असर ग्रामीण इलाकों दिखाई देते हैं, परंतु अभी भी योजनाओं की पूर्ण जानकारी आम लोगों को नहीं है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही योजनाओं के बारे में लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं है जिसके कारण योजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। पूर्व हुए अध्ययनों में पंचायतों को कम स्वायत्ता एवं लोगों में जागरूकता की कमी को भी दर्शाया गया है (Ashtekar 2008)। इन समस्याओं के निराकरण में महात्मा गांधी ग्रामीण स्वराज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

महात्मा गांधी का ग्रामीण संरचना संबंधी विचार:

गांधीजी का ग्राम स्वराज पुरानी ग्रामीण संरचना के आदर्श मूल्यों पर ही आधारित है जिसमें शासन व्यवस्था निचले स्तर पर होने कि बात है। इतना ही नहीं इसमें इतिहास के लंबे दौर के दौरान पुरानी ग्रामीण

व्यवस्था में उत्पन्न हुई खामियों को दूर कर एक समता मूलक समाज के स्थापना की बात है। गांधीजी पंचायती व्यवस्था पर जोर देते थे क्योंकि वे पंचायती व्यवस्था के माध्यम से विकेंद्रित सत्ता के पक्षधर थे। पंचायती राज एवं विकेंद्रित सत्ता आम आदमी की आजादी से जुड़ा है। पंचायती व्यवस्था के माध्यम से समाज का अंतिम व्यक्ति भी अपनी बात पंचायत के बीच रख सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी जगह परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती अतः ग्राम पंचायत एवं वहाँ के लोग पंचायत के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं तथा समस्या का निराकरण कर सकते हैं। केंद्रित सत्ता से इसका पूर्ण निराकरण संभव नहीं है।

गांधीजी के ग्रामस्वराज की कुछ मुख्य विशेषताएँ- गांधीजी का ग्राम स्वराज विकेंद्रित व्यवस्था के साथ-साथ समाज के अंतिम व्यक्ति के मुँह से जुड़ा है। जिसके कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं –

- a) गांधीजी के अनुसार ग्राम-स्वराज एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जिसमें अपनी जरूरतों के लिए गाँव अपने पड़ोसी पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेगा, फिर भी, बहुत से दूसरी वस्तु जो उस गाँव में पैदा नहीं हो सकती, के लिए दूसरों का परस्पर सहयोग करेगा क्योंकि हर जरूरतमंद वस्तुओं का उत्पादन या पैदावार हर जगह नहीं होता। यह स्थान विशेष के वातावरण पर निर्भर करता है।
- b) प्रत्येक गाँव का पहला काम यह होगा कि वह अपने जरूरत की तमाम वस्तुओं अनाज, कपड़े आदि के कपास खुद पैदा कर ले। उसके पास इतनी फाजिल जमीन होनी चाहिए जिसमें जानवर चर सके और बच्चों के मनबहलाव के साधन के मैदान आदि के बंदोबस्त हो सकें। उसके बाद जो जमीन बचेगी उसमें वह ऐसी उपयोगी फसले बोयेगा जिन्हें बेचकर वह आर्थिक लाभ उठा सके।
- c) हर एक गाँव की अपनी नाटकशाला एवं सभा भवन होने चाहिए।
- d) जाति-पात और अस्पृश्यता नए ग्राम समाज में बिलकुल नहीं रहेगी। सत्याग्रह और असहयोग ग्रामीण शासन का मुख्य बल होगा।
- e) ग्राम सैनिकों का एक ऐसा दल रहेगा जिसे लाजमी तौर पर बारी-बारी से गाँव के चौकी पर पहरा का काम करना होगा।
- f) हर साल गाँव के पांच आदमियों की एक पंचायत चुनी जाएगी। इसके लिए एक खास निर्धारित योग्यता वाले गाँव के बालिग स्त्री-पुरुष को अधिकार होगा कि वो नियमानुसार अपने पंच चुन लें। इस पंचायत को सभी प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेगा। इस ग्राम स्वराज में आज के प्रचलित अर्थों में सजा या दंड का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- g) इस ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित संपूर्ण प्रजातंत्र कार्य करेगा। व्यक्ति ही अपने इस सरकार का निर्माता होगा। यानि संपूर्ण प्रजातंत्र।

h) इस ग्राम स्वराज से एक ऐसे गाँव का चित्र तैयार किया गया है, जिसमें असंभव जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसे गाँव को तैयार करने में कठिनाइयाँ तो बहुत हैं, लेकिन इसके माध्यम से हर आदमी गाँव में बैठे-बैठे ही अपनी आजीविका चला सकता है।

शिक्षा व्यवस्था— गांधी जी स्वावलंबी शिक्षा के पक्षधर थे। गांधी जी ने इसकी आधारशिला 1837 के अपने वर्धा संवाद में रखी थी। इस आधारशिला को बुनियादी शिक्षा (नयी तालीम) के नाम से जाना जाता है। यह शिक्षा व्यवस्था आखिरी दर्जे तक के शिक्षा के लिए लाजिमी माना गया है तथा इसमें हस्तकला के माध्यम से शिक्षा की बात कही गई है। इसकी महत्ता को जाकिर हुसैन समिति रिपोर्ट (1837) में भी थोड़ी बहुत फेर-बदलकर माना गया था। इसके माध्यम से गरीब से गरीब बच्चा भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। वो भी अपने परिवार पर आश्रित रहे बिना (गांधी, 2010)।

निष्कर्ष:

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय गाँव जो परस्पर सहयोग पर आधारित थे इतिहास के दौर में इनमें त्रुटियाँ उत्पन्न हो गईं। ये परस्पर सहयोग जाति विभेद एवं छुआ-छूत में बदल गया। इन विकृतियों के कारण ग्रामीण संस्थाएँ टूटने लगीं। यहाँ के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। हालांकि पुरानी व्यवस्थाओं का असर आज भी देखने को मिलता है, परंतु यह उतना मजबूत नहीं है जितना कि अपने प्रारंभिक अवस्था में थी। इसकी प्रारंभिक अवस्था इतनी मजबूत थी कि लोगों को कठिनाइयों से नहीं जूझना पड़ता था। रोजगार के लिए भी नहीं भटकना पड़ता था, लेकिन बाद के दौर में विकृतियाँ उत्पन्न होने लगी जिसका लाभ विदेशी शासकों ने जम कर उठाया तथा इसकी कुछ व्यवस्थाएँ टूट गईं और नई सोच का विकास होने लगा जो वर्तमान के विकास एवं ग्रामीण संरचना में भी दिखता है। इससे गाँव की स्वायत्ता समाप्त हो गई एवं शहरीकरण के चपेट में आने से गांवों के नए स्वरूप का विकास हुआ, लेकिन इसका वास्तविक परिणाम अभी भी निचले स्तर नहीं पहुंच पाया है। आधुनिक विकास प्रक्रिया और स्वरूप की वजह से समाज में विषमता बढ़ने एवं गरीब-अमीरी के बीच खाई बढ़ रही है। महात्मा गांधी ने इन कमियों को दूर कर आदर्श समाज के निर्माण की बात की थी जिसके लिए विकेंद्रित शासन व्यवस्था यानि पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी। भारत सरकार ने पंचायती राज कानून 1992 लागू किया जो महात्मा गांधी के पंचायती राज के परिकल्पना से थोड़ा भिन्न है। महात्मा गांधी के पंचायती राज के परिकल्पना में पंचायत एक स्वायत्त संस्था है जिसके पास सब-कुछ अपना होगा। परंतु पंचायती राज कानून 1992 के तहत पंचायतों के पास अपना कोष नहीं है तथा यह अपनी योजना नहीं बनाती बल्कि राज्य एवं केंद्र की योजनाओं को जमीनी रूप से प्रभावी बनाने का कार्य करती है तथा कोष के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार पर निर्भर है किन्तु ग्रामीण विकास में आंशिक रूप से सक्षम हैं। पंचायती राज एवं लोगों के सहभागिता से गांवों को विकसित एवं स्वावलंबी बनाने के अनेकों प्रयास हो रहे हैं जिसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जन-जागृति की आवश्यकता है। इसमें रचनात्मक कार्यकर्ताओं समेत सभी समाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है ताकि लोग स्वच्छता पर ध्यान दें

तथा विकृतियों से बाहर निकल एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकें जिसमें सबको जीविका, बराबरी एवं न्याय मिले।

सन्दर्भ

- Ashtekar, S. (2008). The national rural health mission: A stocktaking. *Economic and Political Weekly*, 23-26.
- Dharampal, (1971). *Collected Writings Volume III The Beautiful Tree: Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century*. Other India Press Mapusa, Goa, India.
- Mission Document. (2005-2012). National Rural Health Mission Retrieved from http://www.pbnrhl.org/docs/mission_doc1.pdf **Accessed on 18.02.2016.**
- Singer, M. B., & Cohn, B. S. (Eds.). (1970). *Structure and change in Indian society* (Vol. 47). Transaction Publishers.
- गांधी, महात्मा. (2010). *ग्राम स्वराज*. नवजीवन प्रकाशन.
- प्रधान, रामचंद्र. (2012). *राज से स्वराज*. मैकमिलन.
- यादव, आर. (2014). भारत में शासकीय विकेंद्रीकरण: चुनौतियाँ एवं सुधार, *International Research Journal of Management Sociology & Humanities*, Vol.5(3).
- विकासपीडिया, Retrieved from: <http://hi.vikaspedia.in/socialwelfare/92894092493f92f93e90190f93590291593e93094d92f91594d93092e/91794d93093e92e940923-91594d93794792494d93094b902-91593e-92c93994190692f93e92e94093593f91593e93892a94d93092f93e938-914930-90992a93292c94d92793f94d> **Accessed on 20.02.2017.**
- विनोबा, (2004). *ग्राम पंचायत*. सर्व सेवा संघ प्रकाशन.
- सिंह, चक्रपाल. (2010). भारतीय कृषि: मिथक और यथार्थ Retrieved from <http://cabloglin/CAB%20Calling%20Content/Financial%20Services%20to%20Indian%20Agriculture/Hindi%20Article%20on%20Agri%20Businessl.pdf> **Accessed on 18.02.2017.**

“मध्य भारत की आदिवासी महिलाएं एवं वर्तमान स्वास्थ्य चुनौतियां”

रत्नेश कुमार यादव¹

भूमिका:

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क का विकास होता है जो सामाजिक विकास हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। आदिवासी समुदायों में स्वास्थ्य संबंधी पक्षों की सदैव से अवहेलना की जाती रही है तथा इसको लैंगिक स्तर पर किसी दूसरे ही नजरिए से देखा जाता है तो सर्वथा अनुचित है। मध्य भारत के वे क्षेत्र; जो मुख्यतः ग्रामीण इलाक़े हैं, वहाँ पर आदिवासी महिलाओं की अत्यंत ही दयनीय स्थिति को देखकर यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर सबसे निचले पायदान पर है। जिस कारण यहाँ के आदिवासी इस सत्य से अनभिज्ञ हैं कि सामाजिक संरचना को व्यवस्थित एवं मजबूत बनाए रखने हेतु महिलाओं की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। अतः इन समस्त तथ्यों के चलते महिलाओं की स्थिति वर्तमान में भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है जैसे की पहले थी, शिक्षा के आभाव के कारण आदिवासी महिलाओं को स्वस्थ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे उनमें आत्मनिर्भरता की कमी देखने को मिलती है, परिणामस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही तरीकों से स्वस्थ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एवं इसके घातक परिणाम देखने को मिलते हैं जैसे – मानवीय हत्याएँ, आत्महत्या, मातृत्व मृत्यु, एड्स, कैसर, टी.वी. आदि। इसके गैर घातक परिणामों को देखा जाए तो उसमें मुख्यतः मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, घबराहट, दुर्बलता, संक्रमण, प्रजनन पर प्रभाव आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। हालांकि शासन की विभिन्न योजनाएं इस समस्या को दूर करने हेतु प्रयासरत हैं परंतु उनके सही तरीके से संचालित न हो पाने की वजह से यह भी कुछ खास परिवर्तन लाने में असफल रही हैं।

वर्तमान समय में आदिवासी महिलाओं की स्वास्थ्य चुनौतियां:

संविधान निर्माण के बाद भी भारतीय संविधान सभा में भारतीय आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याओं पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की व्यवस्था की गई फिर भी वर्तमान समाज में आदिवासी महिलाओं को बहुत सारी चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। आदिवासियों को तुक्ष ठहराते हुये दरकिनार किया जाता है। उनके स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं -स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सेवाओं को इस आर्थिक सिद्धान्त में “सार्वजनिक वस्तु” माना गया है। यह इसलिए क्योंकि इन सेवाओं से मिलने वाले लाभ सभी के लिए है, उनके लिए भी जिन्होंने इसकी लागत में कोई योगदान नहीं किया है और इन सेवाओं से अगर किसी एक व्यक्ति को सेवा मिलती है, तो किसी दूसरे को इस सेवा से मिलने वाला फायदा घटता नहीं है। बहुत सीमित परिकल्पना- महिला एक माँ, प्रसूतिका या बच्ची के रूप में देखी गयी है।

1. महिला अधिकार को केवल आर्थिक या शक्षिक अधिकार तक सीमित रखना

¹ एम. फिल. (विकास एवं शांति अध्ययन), महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र संपर्क सूत्र: +919404845750 ईमेल: ratneshbhu2014@gmail.com

2. यौनिकता व प्रजनन अधिकार के बारे में या जेंडर हिंसा जैसे मुद्दों की चर्चा न करना
3. स्वास्थ्य सेवाओं में आर्थिक सामर्थ्य पहुँचकी कमी
4. स्वास्थ्य संबंधी सूचना की कमी के कारण
5. भौगोलिक दूरी- प्राथमिक अड़चन है-पिछड़े इलाकों में यातायात का साधन नहीं होता-स्वस्थ केंद्र तक पहुँचने के लिए मीलो चलना पड़ता है- सवास्थ्य कर्मी नहीं रहते डॉक्टर नहीं होते।
6. 108 जैसी सेवा – आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के लिए बनायीं गयी है पर कच्ची सड़कों पर वो भी नहीं चलती और पहुँचती भी हैं तो समय ज्यादा लगाने से रोगी की स्थिति दयनीय हो जाती है।
7. सामाजिक दूरी- स्वास्थ्य सेवा होने पर भी आदिवासी वर्गों तक उनकी पहुँच नहीं होती।
8. स्वास्थ्यकर्मी आदिवासी महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं।
9. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क नहीं है।

स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सेवाओं को इस आर्थिक सिद्धान्त “सार्वजनिक वस्तु” माना गया है। यह इसलिए क्योंकि इन सेवाओं से मिलने वाले लाभ सभी के लिए है, उनके लिए भी जिन्होंने इसकी लागत में कोई योगदान नहीं किया है और इन सेवाओं से अगर किसी एक व्यक्ति को सेवा मिलती है, तो किसी दूसरे को इस सेवा से मिलने वाला फायदा घटता नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए खर्चों में से 70 प्रतिशत दवायियों पे होता है।

आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य समस्या के कारण

गंदी बस्तियों के कारण – गंदी बस्तियों का जन्म अचानक ही नहीं हो गया है वरन इसकी पृष्ठभूमि में अनेक मौलिक तत्व हैं जो इनकी वृद्धि के कारण बने हैं। यह निम्नलिखित हैं :

निर्धनता:

आदिवासी निर्धन परिवार, बेरोजगार, दैनिक वेतनभोगी श्रमिक ये सब उस वर्ग के व्यक्ति हैं जो कठोर परिश्रम करने के पश्चात भी दो समय का भोजन अपने परिवार को नहीं दे पाते हैं, परिणामतः इसके कारण आदिवासी महिलाओं के बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बढ़ती महंगाई, कम आमदनी, निर्धन को उच्च पौष्टिक मूल्यों वाले भोज्य पदार्थों को खरीदने के योग्य नहीं छोड़ती है। अभावों में जीना इनकी मजबूरी है।

अतः परिणाम स्वरूप आदिवासी समुदायों के व्यक्तियों का जीवन स्तर स्वतः ही गिरता चला जाता है। हमारे समाज की बौद्धिक संरचना ही ऐसी हो गई है की यह नारी तत्व को समाज के निचले स्तर पर देखता है खासकर आदिवासी समुदायों में यह भ्रम अभी भी स्थापित है अतः उनके स्वास्थ्य संबंधी

समस्याओं की स्पष्टतः अवहेलना कर दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको इन समुदायों में नारियों की दयनीय स्थिति देखने को मिलती है।

नगरीय जनसंख्या का दबाव:

बढ़ती जनसंख्या के साथ जमीन तो बढ़ी नहीं फलस्वरूप रोजगार की खोज में लोग गांव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं। जहां उन्हें राहत के स्थान पर तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ता है। रहने को मकान नहीं, खाने को अच्छा खाना नहीं, शुद्ध पानी नहीं, गंदगी से भरा वातावरण तथा भीड़-भाड़, इन सबके कारण उन स्वास्थ्य गिरता जाता है फलतः वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है।

शिक्षा और जागरूकता का अभाव:

शिक्षा किसी भी समाज के बौद्धिक विकास हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है जिसके बिना एक व्यवस्थित एवं सुखी समाज की कल्पना कदापि संभव नहीं है, हमारा आधुनिक समाज तो इसके महत्व को समझता है एवं इसके प्रति जागरूक होता जा रहा है परंतु आदिवासी समाज में इसके महत्व की अवहेलना की जाती है। हालांकि आदिवासीयों में लड़कों को तो पढ़ाया-लिखाया जाता है लेकिन इसके ठीक विपरीत लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, शासन की नीतियाँ इसका विरोध तो करती है एवं महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं को भी चलाया गया है परंतु उसको प्रभावी करने की जिम्मेदारी तो समाज पर ही होती है।

अंधविश्वास की चुनौतियां:

दक्षिणी प्रदेशों में भानमति आना एक आम घटना है। किसी महिला पर भानमति आने के बारे में धारणा यह है कि उसके प्रभाव से वह दिमागी संतुलन खो देती है और अजीबोगरीब हरकतें करती है। लेकिन वास्तव में महिला के दिमाग पर पारिवारिक व अन्य कारणों से पड़ा अत्यधिक दबाव उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार होता है। महिला पर डाकिन, भूत, भानमति या देवी का आना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस तरह की करतूतों से वह खुद पर पड़ने वाले दबाव और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। महिलाएं यह भी मानती हैं कि बीमारी से लड़ने की उसकी कुदरती क्षमता को कम करने के लिए उस पर मंत्रों, टोटकों और जादूआदि उपायों से निशाना साधा जाता है।

दुष्परिणाम – गंदी बस्तियों के दुष्परिणाम निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर समझे जा सकते हैं:

❖ अधिकांश आदिवासी महिलाओं के परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उचित व अनुचित सभी प्रकार के कार्य करते हैं। शराब, जुआ, अनैतिक यौन संबंध, चोरी स्वास्थ्य को गिराता है वही पारिवारिक को भी विघटित करते हैं।

❖ अपर्याप्त भोजन या कुपोषण के दुष्परिणाम निम्नलिखित लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं: आदिवासी समुदाय के भोजन संतुलित न मिल पाने से शरीर कमजोर होने लगता है क्योंकि शरीर को पर्याप्त

ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन तत्वों की कमी के कारण स्वास्थ्य शक्ति नहीं मिल पाती है। तत्पश्चात: शरीर में रक्त की कमी होने लगती है।

- शरीर में वजन क्रमशः कम होने लगता है।
- त्वचा, शुष्क, खुरदुरा एवं झुर्रीदार हो जाती है।
- मांसपेशियां ढीली-ढाली एवं शिथिल हो जाती हैं।
- अस्थियों की विकास की गति में रुकावट हो जाती है जिसका शारीरिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
- नेत्रों की ज्योति कम हो जाती है और बच्चे रतौंधी के शिकार हो जाते हैं।
- शरीर की रोग-निरोधक क्षमता का ह्रास हो जाता है जिससे बच्चे बार-बार बीमार पड़ते हैं।
- थकान का अनुभव बड़ी शीघ्रता से होने लगता है।

यद्यपि प्रशिक्षणों का मुख्य केन्द्र 'सफ़ाई' और 'स्वच्छता' तक ही सीमित था। दाइयों को हमेशा सामुदायिक सहयोगियों के रूप में ही देखा गया है। लिहाजा उनके विशेष प्रशिक्षण या औपचारिक स्वास्थ्य तंत्र में उनको शामिल करने के सतत प्रयास नहीं किए गये। आदिवासी महिलाओं को प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना पड़ता है जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं- स्वास्थ्य के सामाजिक कारकों में हमने देखा है-'जागृत दलित आदिवासी संगठन' की माधुरी कृष्णास्वामी कहती हैं कि यह कोई आदर्श नवाचार नहीं है बल्कि अब नयापन इस बात में है कि लोग केवल विरोध या बुराई नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी इच्छा को जाहिर भी कर रहे हैं। पार्टी में संगठन और साथी सेहत 'जन स्वास्थ्य सूचना संदर्भ केन्द्र' भी चलाते हुये स्वास्थ्य सुविधाओं के अधिकार के हनन के खिलाफ सूचनाओं को हथियार बना कर लड़ रहे हैं। इसके साथ ही सामुदायिक निगरानी समूह के लोग पार्टी में प्रेक्टिस करनेवाले निजी डॉक्टरों के पास भी संगठित रूप से गये। सामाजिक कार्यकर्ता संतकुमार महतो बताते हैं कि निजी चिकित्सक के पास जाने वाले हर मरीज को इंजेक्शन और ग्लूकोज की बोतल जरूर लगाई जाती है, फिर चाहे वह जरूरी हो यानहीं। इतना ही नहीं, ज्यादातर के पास तो एलौपैथी की दवायें लिखने के लिये आवश्यक डिग्री और अनुमति भी नहीं है। संगठन का दल स्थानीय आदिवासी भाषा में लगातार नारे लगाते रहे - "सादी होवे बीमारी, नहीं लगे पिचकारी" (इंजेक्शन) और "सलाईन बाटली में काय छे, नून, शक्कर और पानी छे" !! यह बदलाव के लिये चलाई गई बहुआयामी प्रक्रिया है। 25 से 30 लोगों का समूह 10 से ज्यादा निजी चिकित्सकों के पास गया और हर एक से उनकी डिग्री दिखाने कानिवेदन किया। हर डॉक्टर इंजेक्शन और ग्लूकोज की बाटल सलाईन के पर्चे लिख रहा थे पर इनमें से केवल एक डॉक्टर के पास आधुनिक दवायें देने की पात्रता थी। अन्य सभी डॉक्टरों में एक प्राकृतिक चिकित्सक, एक होम्योपैथी चिकित्सक, एक बिना डिग्री के दंत चिकित्सक, एक पूर्व कम्पाउण्डर और एक जन स्वास्थ्य रक्षक था। तब आदिवासी निरीक्षक कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाया कि भविष्य में वे अनाधिकृत चिकित्सा कार्य न करें और तब हर तथाकथित डॉक्टर आदिवासियों के सामने गिड़गिड़ाता नजर आया। इस

सामुदायिक निगरानी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र के कोने-कोने में व्याप्त अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप सामने आये हैं।

आदिवासी महिला स्वास्थ्य की चुनौतियां एवं समाधान:

भारत में आदिवासी महिला स्वास्थ्य में सुधार लाना एक चुनौती है। यह चुनौती संसधानों की कमी के कारण नहीं पैदा हुई बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं के निचले ढांचे में सुधार का अभाव और विभिन्न योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाने के कारण है। यह साफ नजर आ रहा है कि जमीनी स्तर पर आदिवासी महिला स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विकल्पों पर विचार नहीं किया जा रहा है। यद्यपि पिछले दशकों की तुलना में मातृत्व मृत्यु दर में कमी देखी जा रही है पर इसके बावजूद भारत में अभी भी प्रति वर्ष 7700 मातृत्व मृत्यु हो रही है। दसकीय विकास लक्ष्यों के तहत भी महिला स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत यह निहित है कि वर्ष 2015 तक मातृत्व मृत्यु को तीन चौथाई कम करना है। यदि हाल ही में जारी तीसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों पर नजर डालें (यद्यपि कई प्रदेश सरकार इन आंकड़ों को नहीं मानती और इसे लेकर राज्य सरकार ने केन्द्र के समक्ष आपति भी दर्ज करा दी है) तो कई तथ्य सामने आते हैं। इस सर्वेक्षण में आए परिणामों में यह पाया गया है कि भारत में पिछले कई वर्षों से प्रसव के दरम्यान प्रसव पूर्व तीन आवश्यक जांच कराने वाली माताओं की संख्या 42.2 प्रतिशत है, किसी डॉक्टर, नर्स, ए.एन.एम., एल.एच.डब्ल्यू या प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की निगरानी में प्रसव कराने वाली माताओं की संख्या 37.1 प्रतिशत है, संस्थागत प्रसव कराने वाली माताओं की संख्या 29.7 प्रतिशत है, प्रसव के दो दिनों के अंदर प्रसव बाद की स्वास्थ्य निगरानी पाने वाली माताओं की संख्या 27.9 प्रतिशत है, सामान्य से कम बी.एम.आई. वाली महिलाओं की संख्या 40.1 प्रतिशत है, 15-49 वर्ष की एनिमिया ग्रस्त विवाहित महिलाओं की संख्या 57.6 प्रतिशत है और एनिमिया ग्रस्त 15-49 वर्ष की गर्भवती महिलाओं की संख्या 57.9 प्रतिशत है। सारा मामला इन्हीं आंकड़ों की विश्वश्र्तीयता पर आकर टिक गया है। सरकार बार-बार इन आंकड़ों को कठघरे में खड़ा कर यह दर्शाने की कोशिश कर रही है कि प्रदेश में आदिवासी महिला स्वास्थ्य में व्यापक सुधार हुआ है। यह सही है कि जितनी योजनाएं चल रही है, उसका बेहतर क्रियान्वयन हो तो निश्चय ही गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा पर स्वास्थ्य विभाग का निचला ढांचा इतना कमजोर हो गया है कि इस दावे पर विश्वास करना संभव नहीं है कि प्रदेश में महिला स्वास्थ्य में व्यापक सुधार हुआ है। सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार कर रही है कि प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी है, खासतौर से महिला डॉक्टरों की तबमहिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिल रहा है? पिछले लोकसभा सत्र में महिला डॉक्टरों की कमी को लेकर बहुत कम समय के लिए, पर गंभीर चर्चा हुई थी, जिसमें यह कहा गया कि आयुष की महिला डॉक्टरों को प्रशिक्षित कर उन्हें ग्रामीण आदिवासी अंचलों में पदस्थ कर महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी पर अभी तक इस पर क्या हुआ, की जानकारी किसी को नहीं है। भारत के कई राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है, बल्कि इस पर अमल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक डॉ. सुनीलम् प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जन

स्वास्थ्य के मुद्दे पर कार्यरत डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का भी स्पष्ट रूप से यह कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रयास और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को निजी क्षेत्र को सौंपना, दोनों विरोधाभासी कम है। जन स्वास्थ्य अभियान के डाक्टरों का कहना है, कि स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंपना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की प्रक्रिया को उल्टी दिशा में ले जाने वाला कदम है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करने से तमाम सरकारी दावों के बावजूद महिला एवं बाल स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, तब न मातृ मृत्यु में कमी लाई जा सकती है और न ही बाल मृत्यु में। यह प्रदेशों के लिए दुखद बात है कि बढ़ती आबादी के अनुपात में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार नहीं किया गया। इस स्थिति को सुधारने के बजाय इसे निजी हाथों में देने की तैयारी का अर्थ आम लोगों से स्वास्थ्य के बुनियादी अधिकार को छिनने की साजिश ही हो सकती है। चिकित्सकों का कहना है कि अभी भी जिन समुदायों एवं इलाकों में आदिवासी महिला एवं बाल मृत्यु ज्यादा है, उन इलाकों से स्वास्थ्य केन्द्रों तक आना लोगों के लिए खर्चीला काम है, इस पर भी यदि स्वास्थ्य सेवाओं को निजी कर दिया गया, तो लोग स्वास्थ्य केन्द्रों में जाने के बजाय नीम-हाकिम एवं बाबाओं की शरण में ही जाएंगे। उसके बाद स्वास्थ्य की स्थिति सुधरेगी या फिर बिगड़ेगी, आसानी से समझा जा सकता है।

यदि इन तथ्यों को देखा जाये, तो पता चलता है कि प्रदेश में आदिवासी महिलाओं मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए नीतिगत प्रयासों की ज्यादा जरूरत है। वर्तमान में सरकार मातृत्व स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है, जिसमें - जननी सुरक्षा योजना, गर्भवती महिला हेतु सुविधा, संस्थागत प्रसव योजना, प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना प्रमुख हैं। पर सवाल यह है कि इन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पा रहा है या नहीं—सिर्फ यही नहीं, बल्कि अस्पताल प्रबंधन का खर्चा, गरीबी, अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव आदि कई कारण हैं, जो महिला स्वास्थ्य में सुधार लाने की दिशा में चुनौती हैं।

आदिवासी महिला स्वास्थ्य : हर क्षण चरित्र पर सवाल

महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे पर कार्य कर रही सर्व संस्था के निष्कर्ष बताते हैं कि 92 फीसदी महिलायें किसी नकिसी प्रजनन अथवा यौन सम्बन्धी संक्रमण की शिकार हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में स्वास्थ्य एवं रोगोपचार का जिक्र आते ही कई तरह के विचार पैदा होते हैं, आज हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्भवती होने से लेकर प्रसव होने के बाद तक की स्थिति में स्त्री शरीर के भीतर घटने वाली घटनाओं पर समाज और सामाजिक व्यवहार ने कितने व्यापक तरीकों से नियंत्रण कर रखा है। सवाल अभी यह नहीं है कि यह व्यवहार सही है अथवा गलत; पर बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में महिलायें कहां हैं?

प्रसव से जुड़े सामाजिक व्यवहार:

आज के दौर में हमारा पारम्परिक समाज भी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। जहां वह न तो अपने पारम्परिक विज्ञान का भलि-भांति उपयोग कर पा रहा है न ही आधुनिक पद्धतियों का। यह एक विडंबनापूर्ण

स्थिति है कि प्रजनन से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के बजाये इन्हें महिलाओं के चरित्र के सवाल से जोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप उनमें अपराध बोध का जन्म होता है और यह तनाव उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। प्रजनन स्वास्थ्य का यह सवाल प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित मातृत्व के अधिकार से जुड़ा है। स्पष्ट रूप से कहा जाये तो औरत को एकयंत्र के रूप में हर पल उपयोग में लाया जाता है। पुरुष सत्तात्मक समाज की नजर हर उस क्षण पर लगी रहती है कि कब वह एक उत्पादक की भूमिका में आयेगी। और चूंकि प्रजनन से पुरुष सत्तात्मक समाज के राजनैतिक स्वार्थ जुड़े हैं इसलिये यदा-कदा वह संरक्षक की भूमिका में भी नजर आता है।

निष्कर्ष:

नीति उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा इसका क्रियान्वन किया जाता है। विगत नीतियों को कार्यान्वयन के असंख्य बाधाओं का सामना करना पड़ा है अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में परिकल्पना की गई है कि आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो। इन समस्त तथ्यों के अवलोकन एवं अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत रूप से अपने सामाजिक दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वाहन व शासन की नीतियों का समन्वय ही स्पष्ट बदलाव को स्थापित कर सकता है, वरना शासन के लाख प्रयत्नों के बावजूद भी जबतक सामाजिक स्तर पर अपने दायित्वों का निर्वाह सत्यनिष्ठा एवं पूर्ण ईमानदारी से नहीं किया जाएगा तब तक आदिवासी महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना संभव नहीं है चाहे वह स्वास्थ्य हो अथवा अन्य सामाजिक पक्ष...

संदर्भ -सूची

- सुमन, मंजु. (2004). *दलित महिलाएँ*. नई दिल्ली: सम्यक प्रकाशन.
- <http://www.mediaforrights.org/health/hindi-articles/296>
- तिवारी, आर. पी., शुक्ला, डी. पी. (2008) *भारतीय नारी: वर्तमान समस्याएँ और भावी समाधान*. नई दिल्ली: ए. पी. एच. पब्लिशिंग कार्पोरेशन.

‘धार’ उपन्यास में अभिव्यक्त पर्यावरण, विस्थापन और आदिवासी जीवन

स्कन्द स्वामी नारायण सिंह¹

भारतीय समाज का एक तबका सरकारी प्रयासों के बावजूद विकास की मुख्य धारा से अलग-थलग है और वह तबका है भारत का आदिवासी। इसी आदिवासी समाज और उनकी समस्याओं को लेकर संजीव ने ‘धार’ उपन्यास को लिखा। इनकी सभ्यता और संस्कृति निष्कपट मानवीय मूल्यों पर आधारित होती है। आदिवासी वर्ग ने हमेशा अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश का विरोध किया है। अपने धर्म, संस्कृति, मर्यादा और समाज की रक्षा उन्होंने साहसपूर्वक किया। आज के औद्योगिक और घोर पूंजीवादी युग में आदिवासियों पर हो रहे उत्पीड़न और पर्यावरणीय नुकसान को लेकर सभी चिंतित हैं। साहित्य में यह चिंता उसकी केन्द्रीय विधा उपन्यास में प्रकट हुई है।

आज की चकाचौंध भरी दुनिया और बहुव्यापी कंपनियों के बीच बिखरा हुआ दर्द और विस्थापन मानवीय संवेदना को झकझोरने वाला है। आदिवासी जीवन के उल्लास व संघर्ष को कथाकार ने बड़े ही मार्मिक ढंग से उठाया है। तमाम वर्गों में बँटा भारतीय सामाजिक जीवन का रूप हमें साहित्य में दिखाई देता है। सदैव से शोषणकारी सामाजिक राजनीतिक नीतियों ने उन्हें न सिर्फ शोषित रखा बल्कि ज्ञान व कला के उत्पादन से वंचित भी रखा। इसी आदिवासी समाज की संघर्ष गाथा को समेटे संजीव का उपन्यास ‘धार’ हिंदी साहित्य में आदिवासी स्वर एवं विमर्श को सर्वथा नए रूप में प्रस्तुत करता है।

‘धार’ उपन्यास की कथाभूमि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो सन् 1979 से 1982 के बीच संथाल परगना के देवधर सब डिविजन के कोयला क्षेत्र के सहार जोड़ी नामक स्थान पर घटी थी। जहाँ जनमुक्ति मोर्चा नामक एक क्षेत्रीय संगठन के नेतृत्व में कोयला खदान शुरू की गयी थी। इस खदान का प्रबंधन एवं संचालन स्वयं मजदूरों ने किया था। जिसे सत्ता, शासन एवं क्षेत्रीय खदान माफियाओं द्वारा मिलकर नष्ट कर दिया गया। दरअसल सामूहिकता पर आधारित ‘मजदूरजन खदान’ मुनाफा आधारित समाज के मार्ग में बाधक थी। मजदूरों की सृजनशीलता व अपनी मानवीय गरिमा के लिए संघर्षरत आदिवासी समाज के इस उद्यम को दमन व अत्याचार द्वारा नेस्तनाबूत कर दिया गया। जिसके बाद ‘पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक्स राइट्स (पी. यू. डी. आर.)’ ने 1982 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसको आधार बनाकर यह उपन्यास लिखा गया है। उपन्यास ‘धार’ आदिवासियों की समस्याओं को बहुत गहरे स्तर से उठाता है।

आज के भूमंडलीकरण और मल्टीनेशनल कंपनियों की आपाधापी में मानवीयता किस गति में चली गयी है, यह उपन्यास उन सभी तथ्यों की गहरी पड़ताल करता है। संजीव ने उपन्यास की नायिका मैना और उसके पिता टेंगर के माध्यम से आदिवासी अंचल की तमाम समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है।

¹ शोधार्थी-हिंदी एवं तुल.साहित्य, विभाग म.गां.अं.हिं.वि.वि.,वर्धा, महाराष्ट्र मो.- 9473919184, ईमेल- skandsingh15@gmail.com

आदिवासी टेंगर की सारी जमीन हड़पकर भू-माफिया महेंदर बाबू उस जमीन पर तेजाब की फैक्टरी लगा देते हैं। फैक्टरी की दुर्गन्ध से जहां आसपास के कई इलाके दूषित होते हैं वही फैक्टरी के कचरे से कई गावों के नालों, तालाबों का पानी भी दूषित होता है। आदिवासी गाँव के लोग न पीने को शुद्ध पानी पा रहे हैं न शुद्ध हवा। पहले जहाँ खेती से चार-छः महीने का अनाज मिल जाता था फैक्टरी के लग जाने से वो भी नहीं मिल पाता। जिसे उपन्यास में कुछ इस तरह से व्यक्त किया गया है कि “पहले खेती में तीन महीने का मोटा-सोटा अनाज मिल जाता था और आज जब से फैक्टरी खुला एक तिरीन भी नहीं। एक्को कुआं पोखरा का पानी पीने लायक रह गया है?..... केतना बेकत (व्यक्ति) खांसते-खासते बेमार होके भागा।.....हमी लोग का छाती पे खोलना था जहर का फैक्टरी?”¹ स्पष्ट है कि आदिवासियों की उपेक्षा के कारण वे किस प्रकार आक्रोशित हैं।

आदिवासी नौकरी और काम के बहकावे में आकर अपनी जमीन उन भू माफियाओं को देते जा रहे हैं। जिसने केवल इन्हें ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। आदिवासी समाज में एकता का अभाव व शिक्षा की कमी के कारण भू-माफियाओं तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। शोषकों की पूरी व्यवस्था देखने में जनहितैषी होने का भ्रम पैदा करती है। वे नेता हो या अफसर, भू-माफिया हों या दलाल सभी गरीब आदिवासीयों का शोषण करने में लगे हुए हैं। ये आदिवासी समाज के ऐसे दुश्मन हैं जो देखने में जितना मूर्त हैं उससे भी कई गुना अमूर्त हैं। निराशा भरे जीवन में आदिवासी यदि आवाज को उठाएं तो कहाँ उठाएं? गोलबंदी या नारे बाजी करे तो किसके खिलाफ? जब ऊपर से नीचे तक सभी उनका शोषण करने पर तुले हैं। ‘धार’ उपन्यास में विस्थापन की एक गहरी त्रासदी दिखाई देती है। आज जल, जंगल, जमीन की जो दिन-दहाड़े लूट मची हुई है और आदिवासी स्त्रियों के साथ शोषण की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं ‘धार’ उपन्यास में इसका यथार्थ स्वरूप दिखाई देता है “कआँ-कआँ दिलवाएगा आप चोरी का सिलीपर, सौन्तालों का सब जंगल चर कर तो चिक्कन कर दिए? अब है कआँ लकड़ी, कि धरम बचे? जिस सौन्ताल परगना में जंगल-ई-जंगल था, हुआ अब लाश फूकने को लकड़ी नई, सब सौन्ताल को कबर दिया जा रहा है तो हमरा बाप का भी कबर होगा।”² मैना अपने बाप को कब्र देने के बहाने किस तरह से जंगलों के नष्ट होने का इशारा करती है। उसका कहना है जिस तरह से जंगल नष्ट हो रहे हैं अगर इनका बचाव न किया गया तो एक दिन पूरा मानव जीवन ही नष्ट हो जायेगा।

यह विडम्बना किसी एक आदिवासी समाज की नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज की है। लेकिन जैसे-जैसे उनके अन्दर चेतना का विकास हो रहा है वे इसका विरोध भी कर रहे हैं किन्तु उनकी सुनने वाला कोई नहीं। उनके पास जो तेजाब की फैक्ट्री खुली थी उससे जब वे अपना नुकसान जान गए तो सामूहिक रूप से उन्होंने उस फैक्टरी को बंद करा दिया “फैक्टरी मैना के परिवार ने नहीं, मोर्चे ने बंद कराई और यहीं हालत रही तो कल को आप छोटा-मोटा ठेका भी नहीं ले सकते, रह भी नहीं सकते काम तो दूर की बात है।”³ आदिवासी क्षेत्रों में संगठनों द्वारा जो आन्दोलन चलाये जाते हैं उनको सरकार और भू-माफियाओं द्वारा रोक

दिया जाता है। आज इन क्षेत्रों में आदिवासियों के भीतर गहरा आक्रोश दिखाई देता है और नारे लगाये जा रहे हैं। “ईस्टर्न कोल फील्ड्स के हेड क्वार्टर्स साँक तोड़िया जाते हुए इस जुलूस के नारे उछलने लगे-

रोजी रोटी देना होगा,
देना होगा! देना होगा!
जुलुम बाजी नई चलेगा, नई चलेगा
बन्दे मातरम्, बन्दे मातरम्।”⁴

इतना ही नहीं कथाकार नायिका मैना के माध्यम से पूरे शोषण तंत्र और आदिवासी नारी अस्मिता को यथार्थ रूप में चित्रित करता है- “तू काये गया था। वोई महेंदर बाबू जो हमारा सब कुछ लूट लिया, तेरा सब हो गया है और हम?”⁵ इस तरह आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिरोध के बावजूद शोषण जारी है। प्रतिरोध का नेतृत्व करने वालों को तरह-तरह की अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। उनके परिवार वालों को परेशान किया जाता है। कई बार उन्हें जान-बूझकर सरकार द्वारा नक्सली घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि ऐसे लोग इन क्षेत्रों में अपने वर्ग का सही नेतृत्व कर सकते हैं और पूंजीपतियों द्वारा छिनी गयी किसान आदिवासियों की जमीनें वापस लाने लाने की बात करते हैं।

इस तरह आज का आदिवासी शोषण पूर्ण जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। विस्थापन की समस्या न केवल फैक्ट्रियों के लगने से हुई बल्कि खनन उद्योग से भी हुई है। सरकार आदिवासियों को उन स्थानों से हटा रही है जहां पर वे सदियों से रहते आये हैं। कभी सुरक्षा परियोजनाओं के नाम पर, कभी अभ्यारण्यों के नाम पर लगातार उनको एक जगह से दूसरे जगह निर्वासित सा जीवन जीना पड़ रहा है। आदिवासियों के जीवन में विषम परिस्थितियों को पैदा करने वाले भू-माफिया, पूंजीपति अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे आदिवासी समाज को हाशिये पर धकेल रहे हैं। कोयलान्चलों में आदिवासी स्त्रियों के संघर्ष को भी यह उपन्यास केंद्र में लाता है। कथा नायिका मैना जो शर्मा के माध्यम से लोगों के अन्दर चेतना का विकास करना चाहती है “हम उन्हें बताएँगे की वर्षों से खेती-बारी चौपट रहने और काम-धाम न रहने के कारण हम लोगों की जिंदगी सड़ती जा रही है। चोरी, डकैती बढ़ गयी है। हमें आप काम नहीं दे पा रहे हैं इसलिए हमें मजबूरी में यह काम शुरू करने दिया जाय।”⁶ जो आदिवासी अस्मिता का प्रतीक है, इस क्षेत्र में हो रहे अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ लड़ती है। अभी तक लोगों के मन में ऐसी धारणा बनी हुई है कि स्त्री कभी पुरुष के बराबर कार्य नहीं कर सकती वह तन-मन से काफी कमजोर होती है। वह अपने शोषण के खिलाफ नहीं बोल सकती, इन सारे मिथकों को ‘धार’ की मैना तोड़ देती है। वह न केवल अपने लिए लड़ती है बल्कि वह पूरे समाज के लिए लड़ती है। मैना एक संघर्षशील स्त्री के रूप में हमारे सामने आती है, उसका संघर्ष पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। यह उपन्यास आदिवासी नारी अस्मिता के तथ्यों को उजागर करता है।

कथाकार ने अविनाश शर्मा के माध्यम से आदिवासियों के अन्दर एक नयी चेतना को दिखाया है। जिसमें वे मजदूरों के साथ मिलकर जनखदान की शुरूआत करते हैं। जिससे उनके पास भी आय के स्रोत हों

ताकि गरीबी से मुक्ति मिल सके। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए जनखदान के आसपास नए पेड़ लगाए जाएं। उनके शब्दों में “इसके आगे गुलमोहर, कचनार, अशोक आदि के नए लगाये गए पौधों के बीच जनखदान को सड़क से जोड़ता मार्ग दूर तक चला गया था। अभी इस चित्र में नया-नया बहुत कुछ जुड़ रहा था एक अस्पताल, एक स्टोर, तीन स्कूल, एक प्रयोगशाला एक कोआपरेटिव वगैरह-वगैरहा।”⁷ इस तरह से उसने अपने विचारों को मूर्त रूप देते हुए आदिवासीयों के सहयोग से उनके लिए जनखदान की शुरूआत करके उनके जीवन में एक नया मोड़ लाता है और उनके लिए एक नयी शुरूआत करता है और सरकारी टीम को बताता है कि “हमें उम्मीद है कि आप कोयला चोरों में और हममें जो बुनियादी फर्क है उस पर गौर करेंगे। गौर करेंगे कि कोयला चोरों का दल तो आपको देखते ही भाग खड़ा होता है, मगर ये क्यों नहीं भागे। जब मन में दृढ़ आत्मविश्वास और पवित्र संकल्प हो तभी यह निर्भयता प्राप्त होती है। कागजों पर यकीन न हो तो इनमें से एक-एक की आँखों में पढ़ लीजिये।”⁸ जब सरकारी टीम अपना काम करके चली जाती है। तो शर्मा अतीत में जाकर सोचने लगते हैं “जेल से रिहा हुए आज छः महीने गुजर गए और जेल की अवधि को जोड़ लें तो पुरे तीन साल बेकार के बह गए तीन साल नक्सली के नाम पर जो अमानुषिक यंत्रणा दी जाती रही। उसकी टीस अंग-अंग से अब भी टहकती है, लेकिन जब लौटकर उन्होंने लोगों के लाचार चेहरों को देखा तो अपनी टीस इस टीस के सामने भूल गयो।”⁹ जिस जनखदान की शुरूआत शर्मा ने की थी उसकी अपनी खासियत थी। सभी मजदूर उसके मालिक स्वयं थे जो जिस लायक था उसको वह काम प्रदान किया गया था उनके शब्दों में “लोग विस्मय से पूछते क्या कहा मालिक कोई नहीं, मजदूर ही मालिक हैं? तब छोटी-मोटी पोखरिया खाद होगी। डेढ़ हजार मजूर! और मनीजर, ओवर मैन, बाबू, डॉगडर, नर्स और मास्टर भी झूठ नहीं बोलते। आकर देख लो।”¹⁰ इस तरह से उसने अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करके आदिवासी लोगों के जीवन को खुशहाल बनाता है।

कथाकार ने सभी कुछ एक साम्यवादी भावना के तहत शर्मा के माध्यम से इस जनखदान की शुरूआत की थी। जिसको खोलने में सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं था बल्कि सरकार को ही इसका फायदा मिल रहा था। इससे अगर नुकसान था तो सिर्फ कोयला माफियायों को जो उन्हें बार-बार लड़ाई के लिए उकसाते रहते थे “लड़ाई...? शर्मा एक छण को कुछ सोचने लगे, हाँ एक तरह की लड़ाई ही समझिये? व्यक्तिगत स्वार्थ के खिलाफ सामूहिक स्वार्थ की लड़ाई है यहा।”¹¹ कोयला माफिया अपने स्वार्थ के लिए तरह-तरह के प्रयत्न कर रहे थे।

इस उपन्यास में आदिवासीयों को विस्थापित करने के लिए जो माहौल तैयार किया जाता है उसका यथार्थ वर्णन है। आदिवासी स्त्रियाँ संघर्षशील होती हैं, उनका संघर्ष जितना अपने घर परिवार से होता है उतना ही समाज से भी होता है। वाह्य समाज के संपर्क में आने पर आदिवासी स्त्री के साथ भी शोषण का व्यवहार किया गया। उनको मारा पीटा गया लेकिन उसने इसका विरोध किया जिसके कारण वे संघर्ष करने में सफल रही हैं। किस तरह सरकार और औद्योगिक घराने मिलकर उनके जंगलों पर कब्जा करते हैं, उन्हें जीविका के संसाधनों से दूर करते हैं। स्वच्छंद हवा में कारखानों की जहरीली गैस घोलते हैं, कितनी विषम परिस्थितियों में रहकर भी वे जिंदा हैं, उपन्यास इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करता है। जिससे इनका जीवन अत्यंत दूभर हो

गया है। इन क्षेत्रों में एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि वे प्रतिरोध किये बिना ही विस्थापित हो जाने को विवश हो जाते हैं। जो सरकारी नियम बनाये जाते हैं वह उन तक पहुँच ही नहीं पाते। उपन्यास ‘धार’ बहुत बारीकी के साथ इन घटनाओं की पड़ताल करता है और यह दिखाने का पूरा प्रयास करता है कि आखिर इसका कारण क्या है और समाधान किस तरह हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ:

- १- संजीव. (1997). *धार*. (प्रथम संस्करण) नई दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, पृ. 2.
- २- वहीं, पृ. 73.
- ३- वहीं, पृ. 75 .
- ४- वहीं, पृ. 125.
- ५- वहीं, पृ. 125.
- ६- वहीं, पृ. 136.
- ७- वहीं, पृ. 141.
- ८- वहीं, पृ. 143.
- ९- वहीं, पृ. 129.
- १०- वहीं, पृ. 147.
- ११- वहीं, पृ. 159.

सहायक ग्रन्थ:

- १- कौशल, अनुराग. हरिवंश. (2009). *झारखंड अस्मिता के आयाम*. दिल्ली.
- २- चन्द्र, विपिन. (2002). *आज़ादी के बाद भारत*. दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन.
- ३- गुप्ता, रमणिका. (2008). *आदिवासी विकास से विस्थापन*. दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन.
- ४- तलवार, वीरभारत. (2008). *झारखंड के आदिवासियों के बीच एक्टिविस्ट के नोट्स*. दिल्ली: भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन.

समकालीन संस्कृति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध

डॉ. निशीथ राय¹, डॉ. वीरेंद्र प्रताप यादव² और डॉ. रवि शंकर सिंह³

इक्कीसवीं सदी के आरंभ होते ही दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं, तुलनात्मक संस्कृति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों ने मानव जाति पर गहरा प्रभाव डाला है। ये दोनों अवधारणाएँ एक-दूसरे पर निर्भर हैं तथा अंतर-संबंधित भी हैं। समाज-शास्त्रियों, राजनीतिशास्त्रियों इत्यादि ने लगातार इन अवधारणाओं का अध्ययन किया तथा इसका मानव जाति पर पड़ने वाला प्रभाव उनके अध्ययन का मुख्य विषय क्षेत्र रहा है। इक्कीसवीं सदी एक आदर्श मंच बनकर उभरी है जिसमें वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण इत्यादि वे कारक हैं जिसने पहली बार संस्कृतियों को वैश्विक स्तर पर एक-दूसरे के करीब लाया है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संस्कृति की भूमिका को समझने के लिए सबसे पहले संस्कृति और अंतरराष्ट्रीय शब्दों को समझना आवश्यक है।

संस्कृति:

संस्कृति ही मानव को अन्य जीवों से भिन्न करती है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है- संस्- यानी संस्कार एवं कृति अर्थात् रचना यानी वैसे संस्कार जो मानव द्वारा रचित हों और व्यवहार में लाए जाते हैं। संस्कृति को सर्वप्रथम टायलर¹ (1871) ने समाजशास्त्री/मानवशास्त्री रूप से परिभाषित किया है उनके अनुसार “संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, मान्यताएं, कला, जीवन शैली, नैतिकता, रीति-रिवाज आदि तथा कोई भी अन्य क्षमता एवं आदतें, जो मानव ने समाज का सदस्य होने के कारण अर्जित की है”। उपरोक्त परिभाषा में दो महत्वपूर्ण बिंदू हैं (1) संस्कृति कोई भी मानव रचना हो सकती है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी की ओर बढ़ती है। यह किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप का नाम है, जो समाज के सोचने-विचारने, कार्य करने, खाने-पीने, बोलने, नृत्य-गायन, साहित्य, कला, वस्तु आदि में परिलक्षित होती है। (2) संस्कृति का वर्तमान रूप किसी समाज के दीर्घ काल तक अपनायी गयी पद्धतियों का परिणाम होता है।

प्रसिद्ध मानवविज्ञानी मेलीनोवास्की² (1944) ने संस्कृति को भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में विभाजित किया है। सामान्य अर्थों में भौतिक संस्कृति मानव द्वारा रचित मूर्त वस्तुएँ जैसे आभूषण, खाद्य-पदार्थ, गृह, वस्त्र इत्यादि हैं, अभौतिक संस्कृति अमूर्त रचनाएँ हैं जिसके अंतर्गत धर्म, विवाह, नातेदारी, रीति-रिवाज इत्यादि आते हैं।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जाता है कि संस्कृति मानव रचना है। यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी विकसित होती जाती है। इसका मुख्य कार्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यह समाज के

¹ सहायक प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा।

² सहायक प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा।

³ पोस्ट डोक्टोरल फेलो, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

सदस्यों द्वारा गृहीत की जाती है, प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, यह वैयक्तिक न होकर सामाजिक होती है, यह समूहों का आदर्श होती है, यह समय के साथ बदलती रहती है तथा अपने सदस्यों को आपस में जोड़े रहती है। संक्षेप में, संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध:

अधिकारिक तौर पर, संप्रभु देशों के बीच के संबंधों के अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। राष्ट्रों के मध्य के संबंधों ने विद्वानों को कई सदियों से प्रभावित किया है, 'इंटरनेशनल' (अंतरराष्ट्रीय) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे.बैथमⁱⁱⁱ ने अठारहवीं शती के उत्तरार्द्ध में किया था, यह लैटिन शब्द 'इंटरजेनेट' से बना है। उन्नीसवीं एवं बीसवीं सदी से अंतरराष्ट्रीय संबंध तेजी से उभरे हैं। वर्तमान में राष्ट्र एवं राज्य एक-दूसरे से राजनैतिक वाणिज्यिक एवं व्यापारिक रूप से अन्योन्याश्रित संबंधित हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् संप्रभु राष्ट्रों के बीच एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ी है। वर्तमान के तकनीकी युग में हवाई-जहाज, उन्नत संचार-माध्यम, इंटरनेट इत्यादि ने राष्ट्रों के मध्य की दूरियां कम की हैं। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों के बीच की दूरियां कम हुई हैं एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध ने एक अभूतपूर्व स्वरूप ग्रहण किया है।

हार्टमैन^{iv} के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र “वह प्रक्रिया जिसमें राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को अन्य राज्यों के अनुसार समायोजित करता है” पर केंद्रित है। टायलर^v (1979) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध “एक ऐसा अनुशासन है जो राज्य सीमाओं के पार राजनैतिक गतिविधियों को समझाने का प्रयास करता है”। हाफमैन^{vi} बताते हैं कि “अंतरराष्ट्रीय संबंध वह अनुशासन है, जो बाह्य नीतियों एवं शक्तियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है।”

उपरोक्त वर्णन के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंध सभी प्रकार के मुद्रा लेन-देन, संपर्क, सूचना-प्रसारण और समाज के अंदर आए व्यवहारिक बदलावों के अध्ययन से संबंधित है। वह सभी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक गतिविधियाँ जो किसी-न-किसी रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की विषय-वस्तु है।

संस्कृति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध:

राज्य लोगों के समूहों से बनता है और प्रत्येक समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तब हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक राष्ट्रों के अंतर-संबंधों से होता है तथा इन संबंधों पर राज्यों की संस्कृतियों का भरपूर प्रभाव पड़ता है। इन सांस्कृतिक प्रभावों की जड़े काफी गहराई तक फैली हो सकती हैं। जब दो संस्कृतियों का आपस में संपर्क होता है तब कई तरह के परिणाम हो सकते हैं। पहला, एक संस्कृति दूसरे को प्रभावित करती है। दूसरा, एक संस्कृति दूसरे द्वारा प्रभावित होती है और तीसरा, दोनों संस्कृतियाँ प्रभावित होती है तथा तीसरी नई संस्कृति को जन्म देती है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर संस्कृति के प्रभावों को निम्नलिखित 5 अधिगमों के माध्यम से समझा जा सकता है।

(1) राज्य की उपलब्धियों पर संस्कृति का प्रभाव:

संस्कृति राज्य की उपलब्धियों पर व्यापक प्रभाव डालती है। यह मानव जीवन के आध्यात्मिक, नैतिक एवं आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक पूंजीवादी विकास सांस्कृतिक कारणों के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सांस्कृतिक मूल्यों एवं विचारों ने विभिन्न जातीय समूहों जैसे-लैटिन अमेरिका, जापान, दक्षिण-कोरिया को आर्थिक विकास की ओर प्रेरित किया है। सोबेल^{vii} महोदय के अनुसार जाति, जनजाति के मध्य सांस्कृतिक विभिन्नता वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। विशेष रूप से सभी समाज अपने आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को अपनी संस्कृति के अनुसार ही पूर्ण करते हैं।

किसी राष्ट्र की संस्कृति तथा वहां की उपलब्धियों का संबंध, राष्ट्र की उपलब्धियों में संस्कृति के महत्व को दर्शाता है। राष्ट्र एवं राज्य की आर्थिक स्थिति के निर्धारण में संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र की परिस्थिति एवं भूमिका पर संस्कृति महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

(2) अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संस्कृति एक संचालक के रूप में:

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संस्कृति एक संचालक के रूप में योगदान देती है। निर्णय लेने में संस्कृति दिशा-प्रदान करती है। कुछ विद्वानों के अनुसार संस्कृति ज्ञान का निष्पादन करती है। जन-प्रतिनिधि, समस्याओं को समझने एवं निर्णय लेने में विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं का सहारा लेते हैं। संस्कृति अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जन प्रतिनिधियों के दृष्टि-कोण तथा निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक राज्य, नागरिक एवं उनके प्रतिनिधि अपनी विशिष्ट संस्कृति से प्रभावित होते हैं जो उनके विभिन्न मूल्यों, इच्छाओं तथा आदतों में प्रतिबिंबित होती है। उन सांस्कृतिक मूल्यों के गलत आकलन के कारण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कटुता आती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सांस्कृतिक तंत्र अंतरराष्ट्रीय संबंधों से गहराई तक जुड़े हैं।

जान्सन^{viii} (1995) के अनुसार विभिन्न राष्ट्रों का अपना सामरिक महत्व होता है। जिसका निर्माण उसके सांस्कृतिक अनुभवों से होता है जिसमें उनके समाज के विचार तथा मूल्य शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय संबंध एक महासागर के समान हैं जिसमें राष्ट्र एक नाव और संस्कृति उस नाव के नाविक के समान है। राज्य नीतियों के निर्माण में जन-प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण पर संस्कृति का गहरा प्रभाव होता है। जाने-अनजाने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में जन-प्रतिनिधियों की सोच को संस्कृति संचालित करती है। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर जन-प्रतिनिधियों के विचार निर्माण में संस्कृति का विशेष प्रभाव होता है।

(3) संस्कृति, सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के निर्माता के रूप में:

संस्कृति, सामाजिक-आर्थिक संरचना के निर्माता के रूप में होती है। फुकुयामा^{ix} (1992) ने संस्कृति की सामाजिकता तथा सामाजिक गौरव पर बल दिया है। उनके अनुसार राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा राज्य के कल्याण को अपनी सार्वभौमिक सांस्कृतिक पहचान सीमित करती है तथा सामाजिक गौरव और आर्थिक सफलता का प्रतीक होती है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना अलग सामाजिक गौरव होता है। जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग गौरव को श्रेणी तथा राष्ट्रों के बीच संबंधों की प्रकृति को प्रभावित करती है। संस्कृति सामाजिक एवं आर्थिक संस्थानों का मुख्य खाका तैयार करती है इस प्रकार, राष्ट्रीय व्यवहार तथा राष्ट्र की स्थिति पर संस्कृति जबरदस्त प्रभाव डालती है।

(4) संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मुख्य चर (variable) के रूप में:

संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मुख्य चर है। हंटिंगटन^x ने अपने लेख 'द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन' में उपरोक्त बिंदु का समर्थन किया है। उनके अनुसार शीत युद्ध के बाद की दुनिया में संघर्ष का आधार वैचारिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक है। वैश्विक राजनीति में प्रमुख, संघर्ष राष्ट्रों के बीच न होकर विभिन्न संस्कृतियों के समूहों में होगा। यह सिद्धांत संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख ढांचा दर्शाता है और यह राष्ट्रीय व्यवहार का प्राथमिक आधार तथा अंतरराष्ट्रीय द्वंद्वों का मुख्य स्रोत है। अधिकांश विद्वान सभ्यताओं के संघर्ष के सिद्धांत से सहमत नहीं हैं किंतु वे संस्कृति को समकालीन अंतरराष्ट्रीय भूमिका में एक चर (variable) के प्रकार पर सहमत हैं।

(5) संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सद्भावना के आधार के रूप में:

संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सद्भावना का आधार है संस्कृति को हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वर्धक (booster) के रूप में भी देख सकते हैं। टओयन्बी^{xi} के अनुसार 1930 के दशक में सभ्यताओं के उत्थान एवं पतन में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1950 के दशक में विभिन्न सभ्यताओं के सामाजिक संरचना के निर्माण में भी संस्कृति का विशेष योगदान रहा है। जो औद्योगिक युग में अपने चरम पर था। औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप एक वैश्विक सांजस्यपूर्ण औद्योगिक संस्कृति का निर्माण हुआ है। हालांकि सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की सामाजिक संरचनाएं व्यापक रूप से भिन्न हैं किंतु उनका बुनियादी चरित्र अपेक्षाकृत समान है। सभी में समान संस्थाएं जैसे कि सेंट्रल बैंक, राजकोष के विभिन्न विभाग, विभिन्न, अनुसंधान केंद्र, विभिन्न शैक्षणिक स्तर के विद्यालय, संगठित तंत्र, सैन्य एवं इसी प्रकार की हजारों अन्य संस्थाएं पाई जाती हैं, जिसे सामाजिक विकास पर पड़ने वाले सूचना-प्रौद्योगिकी प्रभाव सिद्ध करते हैं। दुनिया भर की संस्कृतियों की समरूपता तथा सम-पूरकता अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष:

समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संस्कृति की भूमिका अति महत्वपूर्ण है राज्य लोगों से बनते हैं और लोग संस्कृति का हिस्सा हैं। अतः जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तब हमारा तात्पर्य

संस्कृतियों के संबंधों से होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध भले ही प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक-राजनैतिक, वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक दिखते हैं परंतु उनका आधार संस्कृति ही होती है।

एंडनोट

- ⁱ टायलर, ई. बी. (1871). *प्रिमिटिव कल्चर*. न्यूयार्क: हार्पर एंड रो पब्लिशिंग.
- ⁱⁱ मेलीनोवास्की. बी. (1944). *साइंटिफिक थियोरी ऑफ कल्चर*. चैपलहिल: नार्थ केरोलिना प्रेस.
- ⁱⁱⁱ बैथम, जे. (1789). *इन्ट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन*. ऑक्सफोर्ड: क्लारेंडॉ प्रेस.
- ^{iv} हार्टमैन, (1952). *रीडिंग इन इंटरनेशनल रिलेशन*. यू.स.ए: मैकग्रा हिल पब्लिशिंग.
- ^v टायलर, ई. बी. (1871). *प्रिमिटिव कल्चर*. न्यूयार्क: हार्पर एंड रो पब्लिशिंग.
- ^{vi} हाफमैन, (1960). *कंटेम्पररी थियोरी इन इंटरनेशनल रिलेशन*. न्यू जर्सी: प्रिन्टाईस हॉल पब्लिशिंग.
- ^{vii} सोबल, हंटिंगटोन. (1997). *द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रिमेकिंग ऑफ वर्ल्ड*. लन्दन: पेन्गुइन पब्लिशिंग.
- ^{viii} जान्सन, (1995). *स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड ग्रैंड स्ट्रेटजी इन चायनीज हिस्ट्री*. न्यू जर्सी: प्रिन्टाईस हॉल पब्लिशिंग.
- ^{ix} फुकुयामा, (1990). *एंड ऑफ हिस्ट्री*. यू.स.ए: फ्री पब्लिशिंग.
- ^x सोबल, हंटिंगटोन. (1997). *द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रिमेकिंग ऑफ वर्ल्ड*. लन्दन: पेन्गुइन पब्लिशिंग.
- ^{xi} टओय्न्बी. (1934). *ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री*. यू.स.ए: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

संदिग्ध हिंदी वाक्य संरचना का विश्लेषण

प्रवेश कुमार द्विवेदी¹

सारांश:

प्राकृतिक भाषा संसाधन के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं में प्रमुख समस्या 'संदिग्धार्थकता' की समस्या है। प्रस्तुत शोध-पत्र के माध्यम से हिंदी भाषा के संरचनात्मक संदिग्धार्थकता का विश्लेषण एवं मशीन में संदिग्ध वाक्यों की पहचान करने हेतु आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया गया है। चूंकि हिंदी भाषा मुक्त शब्द क्रम वाली भाषा है इसलिए नियमों के निष्पादन हेतु अर्थीय विश्लेषण भी किया गया है। यहां पर पदबंध संरचना व्याकरण में वाक्य के विभिन्न घटकों के बीच विद्यमान संबंधों व स्तरों का अधिक्रम (Hierarchy) में स्पष्ट किया गया है जिसके एक चरण में अर्थतत्त्व भी समाहित होता है।

मुख्य शब्द (Key Words): संरचनात्मक संदिग्धार्थकता, वाक्याधत्मनक विश्लेषण, पद-विच्छेदन, अर्थीय विश्लेषण आदि।

प्रस्तावना:

वाक्य संरचना एक ऐसी संरचना है जो कुछ घटकों जैसे- शब्दों, पदबंधों से मिलकर बनता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शब्द एक रचना है जो कुछ ध्वनियों से मिलकर बना है। इस रूप में वाक्य भाषा की सबसे बड़ी व्याकरणिक संरचना है। वाक्य संरचना के विभिन्न घटकों में कुछ ऐसे घटक भी मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से वाक्य एकाधिक अर्थों को ध्वनित करता है। वाक्य संरचना में एकाधिक अर्थों को ध्वनित कर रहे घटकों की पहचान करने हेतु संपूर्ण वाक्य संरचना का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। यहां पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले ऐसे वाक्यों का विश्लेषण किया जा रहा है जो संदिग्ध अथवा एकाधिक अर्थ को ध्वनित कर रहे होते हैं। जिन्हें पदबंध संरचना व्याकरण को आधार मानकर विश्लेषण एवं संश्लेषण किया गया है। पदबंध संरचना व्याकरण में सामान्यतः वाक्य-विश्लेषण द्वयात्मक विभाजन से प्रारंभ होता है- संज्ञा पदबंध एवं क्रिया पदबंध जो एक स्तर तक पारंपरिक व्याकरण के 'उद्देश्य' तथा 'विधेय' कोटियों के समानांतर है।

यहां पर पदबंध संरचना व्याकरण में वाक्य के विभिन्न घटकों के बीच विद्यमान संबंधों व स्तरों का अधिक्रम (Hierarchy) में स्पष्ट किया गया है जिसके एक चरण में अर्थतत्त्व भी समाहित होता है। वाक्य संरचना का रेखीय विश्लेषण भी होता है जिसमें अर्थतत्त्व को अविश्लेष्य मानकर छोड़ दिया गया है। जैसे- 'राम ने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा' वाक्य में 'दौड़ते हुए' का संबंध 'राम' से है या 'कुत्ते' से, इसका स्पष्टीकरण रेखीय के अपेक्षा अधिक्रमिक संबंध विश्लेषण से ही स्पष्ट हो सकता है। अतः वाक्यों का विश्लेषण यहां पर अधिक्रमिक आधारित विभिन्न घटकों के संबंधों को स्पष्ट करने हेतु किया गया है।

¹ प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र (भाषा विद्यापीठ) म. गां. अं. हिं. वि., वर्धा (महाराष्ट्र),


dpraveshkumar@gmail.com

संदिग्ध संरचनात्मक विश्लेषण:

वाक्य संरचना के अंतर्गत ऐसे पदबंध होते हैं जो कभी-कभी क्रिया के साथ तथा कभी-कभी कर्ता के साथ जुड़ते हैं। जहां पर प्रयुक्त पदबंध प्रथम अर्थ में विशेषण पदबंध एवं द्वितीय अर्थ में क्रियाविशेषण पदबंध के रूप में कार्य करता है। अर्थात् विशेषण पदबंध एवं क्रियाविशेषण पदबंध के बीच संदिग्धता विद्यमान रहती है। ऐसे संदिग्ध क्रिया विशेषण – विशेषण पदबंध से युक्त वाक्य संरचना का पद-विच्छेदन कर वृक्ष आरेख के माध्यम से विश्लेषण किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं :

उदाहरण 1 : राम ने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा।

क.




कुल नोड संख्या- 10

पदबंध संरचना व्याकरण के नियम आधारित क. का विश्लेषण:

वाक्य (S) = संज्ञा पदबंध (NP) + क्रिया पदबंध (VP), संज्ञा पदबंध (NP) = संज्ञा (N) + परसर्ग (PSP), संज्ञा (N) = राम, परसर्ग (PSP) = ने, क्रिया पदबंध (VP) = क्रियाविशेषण (Adv) + संज्ञा पदबंध (NP) + क्रिया (V), क्रियाविशेषण (Adv) = दौड़ते हुए, संज्ञा पदबंध (NP) = संज्ञा (N) + परसर्ग (PSP), संज्ञा (N) = कुत्ते, परसर्ग (PSP) = को, क्रिया (V) = देखा

ख.



कुल नोड संख्या- 11

पदबंध संरचना व्याकरण के नियम आधारित ख. का विश्लेषण:

वाक्य (N) = संज्ञा पदबंध (NP) + क्रिया पदबंध (VP), संज्ञा पदबंध (NP) = संज्ञा (N) + परसर्ग (PSP), संज्ञा (N) = राम, परसर्ग (PSP) = ने, क्रिया पदबंध (VP) = संज्ञा पदबंध (NP) + क्रिया (V), संज्ञा पदबंध = विशेषण (Adj) + संज्ञा पदबंध (NP), विशेषण (Adj) = दौड़ते हुए, संज्ञापदबंध (NP) = संज्ञा (N) + परसर्ग (PSP), संज्ञा (N) = कुत्ते, परसर्ग (PSP) = को, क्रिया (V) = देखा

विश्लेषण:

भाषाओं का यह एक सार्वभौम नियम है कि वाह्य संरचना के किसी संज्ञा या क्रिया पदबंध की कोई संज्ञा आंतरिक संरचना में भी हो तो वाह्य संरचना में आने पर उसका लोप हो जाता है। इसीलिए उपर्युक्त पार्सिंग में 'राम' (राम दौड़ रहा था) और 'कुत्ता' (कुत्ता दौड़ रहा था) वाह्य संरचना में आकर लुप्त हो गए हैं। 'दौड़ते हुए' क्रिया से कृदंत बनकर प्रयुक्त हुआ है:

दौड़ते हुए — दौड़ रहा था।

'दौड़ते हुए' पहले अर्थ में क्रियाविशेषण पदबंध है, तो दूसरे में विशेषण पदबंध।

बाह्य संरचना- राम ने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा।

आंतरिक संरचना- 1. क. राम दौड़ रहा था। ख. कुत्ता दौड़ रहा था।

2. राम ने कुत्ते को देखा।

इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य का रूपांतरण के दो नियम बनते हैं:

1. आंतरिक संरचना के कर्ता का लोप
2. क्रिया का कृदंत रूप का बन जाना।

अर्थीय विश्लेषण :

राम ने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा									
शब्द	अर्थीय घटक								संदिग्धार्थकता की संभाव्यता एवं प्रकार
	संज्ञा	मानव	सजीव	गणनीय	पुरुष	वचन	लिंग	मूर्त	
राम	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
कुत्ता	+	+	+	+	+	+	+	+	संरचनात्मक संदिग्धार्थकता
दौड़ते हुए	[कृदंत रूप, धातु + ते हुए]								


उक्त संदिग्ध वाक्य की पहचान करने हेतु नियम:

वाह्य संरचना के आधार पर जब कर्ता और कर्म के अर्थीय घटक समान हो और दोनों के मध्य क्रिया का कृदंत रूप (धातु+ते हुए) प्रयुक्त हो तो इस प्रकार के वाक्यों के कर्ता का लोप हो जाने के कारण वाक्य संदिग्ध हो जाता है।

उदाहरण 2 : मैंने हथौड़ा लिए आदमी को मारा।

क.

मैंने हथौड़ा लिए आदमी को मारा।




कुल नोड संख्या- 09

पदबंध संरचना व्याकरण के नियम आधारित क. का विश्लेषण:

वाक्य (S) = संज्ञा पदबंध (NP) + क्रिया पदबंध (VP), संज्ञा पदबंध (NP) = संज्ञा (N), संज्ञा (N) = मैंने, क्रिया पदबंध (VP) = क्रियाविशेषण (Adv) + संज्ञा पदबंध (NP) + क्रिया (V), क्रियाविशेषण (Adv) = हथौड़ा लिए, संज्ञा पदबंध (NP) = संज्ञा (N) + परसर्ग (PSP), संज्ञा (N) = आदमी, परसर्ग (PSP) = को, क्रिया (V) = मारा

क.

मैंने हथौड़ा लिए आदमी को मारा।



कुल नोड संख्या- 10

पदबंध संरचना व्याकरण के नियम आधारित ख. का विश्लेषण:

वाक्य (S) = संज्ञा पदबंध (NP) + क्रिया पदबंध (VP), संज्ञा पदबंध (NP) = संज्ञा, संज्ञा (N) = मैंने, क्रिया पदबंध (VP) = संज्ञा पदबंध (NP) + क्रिया (V), संज्ञा पदबंध (NP) = विशेषण (Adj) +

संज्ञापदबंध (NP), विशेषण (Adj) = हथौड़ा लिए, संज्ञा पदबंध (NP) = संज्ञा (N) + परसर्ग (PSP), संज्ञा (N) = आदमी, परसर्ग (PSP) = को, क्रिया (V) = मारा

विश्लेषण:

इस वाक्य में भी पूर्व वाक्य की तरह ही आंतरिक संरचना से जब बाह्य संरचना का निर्माण होता है तो संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध में प्रयुक्त संज्ञा का लोप हो जाता है। उक्त वाक्य में हथौड़ा लिए के साथ 'हुए' शब्द का प्रयोग न होने के बावजूद यह वाक्य 'हुए' शब्द का अर्थ ग्रहण कर लेता है, जिससे वाक्य में संदिग्धता का बोध होता है। इस वाक्य के पद-विच्छेदन में भी 'मैं' (हथौड़ा लिए हुए था) अथवा 'आदमी' (हथौड़ा लिए हुए था) का बाह्य संरचना में कर्ता का लोप हो गया है।

'हथौड़ा लिए' पहले अर्थ में क्रियाविशेषण पदबंध है, तो दूसरे में विशेषण पदबंध।

बाह्य संरचना- मैंने हथौड़ा लिए आदमी को मारा।

आंतरिक संरचना- 1. क. मैं हथौड़ा लिए हुए था। ख. आदमी हथौड़ा लिए हुए था।

2. मैंने आदमी को मारा।

इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य का रूपांतरण के दो नियम बनते हैं:

1. आंतरिक संरचना के कर्ता का लोप।
2. हथौड़ा लिए के साथ 'हुए' शब्द का प्रयुक्त होना।


अर्थीय विश्लेषण :

मैंने हथौड़ा लिए आदमी को मारा									
शब्द	अर्थीय घटक								संदिग्धार्थकता की संभाव्यता एवं प्रकार
	संज्ञा	मानव	सजीव	गणनीय	पुरुष	वचन	लिंग	मूर्त	
मैंने	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
आदमी	+	+	+	+	+	+	+	+	संरचनात्मक संदिग्धार्थकता
हथौड़ा लिए	[संज्ञा + लिए (हुए)]								

उक्त संदिग्ध वाक्य की पहचान करने हेतु नियम :

बाह्य संरचना के आधार पर जब कर्ता और कर्म के अर्थीय घटक समान हो और दोनों के मध्य संज्ञा के साथ 'लिए' एवं आंतरिक संरचना में 'लिए' के साथ 'हुए' शब्द का प्रयोग हो तो इस प्रकार के वाक्यों का बाह्य संरचना में कर्ता का लोप हो जाने के कारण वाक्य में संदिग्धता आ जाती है।

उदाहरण 3 : क. एक आदमी ने औरत को दूरबीन के साथ देखा।




पदबंध संरचना व्याकरण के नियम आधारित क. का विश्लेषण:

वाक्य (S) = संज्ञा पदबंध (NP) + क्रिया पदबंध (VP), संज्ञा पदबंध (NP) = निर्धारक (DET) + संज्ञा (N) + परसर्ग (PSP), निर्धारक (DET) = एक, संज्ञा (N) = आदमी, परसर्ग (PSP) = ने, क्रिया पदबंध (VP) = संज्ञा पदबंध (NP) + क्रियाविशेषण (Adv) + क्रिया (V), संज्ञा पदबंध (NP) = संज्ञा (N) + परसर्ग (PSP), संज्ञा (N) = औरत, परसर्ग (PSP) = को, क्रियाविशेषण (Adv) = दूरबीन के साथ, क्रिया(V) = देखा

ख.

एक आदमी ने औरत को दूरबीन के साथ देखा।



पदबंध संरचना व्याकरण के नियम आधारित ख. का विश्लेषण:

वाक्य (N) = संज्ञा पदबंध (NP) + क्रिया पदबंध (VP), संज्ञा पदबंध (NP) = निर्धारक (DET) + संज्ञा (N) + परसर्ग (PSP), निर्धारक (DET) = एक, संज्ञा (N) = आदमी, परसर्ग (PSP) = ने, क्रिया पदबंध (VP) = संज्ञा पदबंध (NP) + मुख्यक्रिया (VP), संज्ञा पदबंध (NP) = संज्ञापदबंध (NP) + विशेषण

(Adj), संज्ञापदबंध (NP) = संज्ञा (N) + परसर्ग (PSP), संज्ञा (N) = औरत, परसर्ग (PSP) = को, विशेषण (Adj) = दूरबीन के साथ, मुख्यक्रिया(MV) = देखा

विश्लेषण:

भाषा के सार्वभौम नियम के तहत वाह्य संरचना में संज्ञा का लोप होना है, जिससे कर्ता और कर्म के बीच संदिग्धता की स्थिति बनी हुई है। अतः आंतरिक संरचना में 'दूरबीन आदमी के पास था' अथवा 'दूरबीन औरत के पास था' दोनों वाक्यों के कर्ता का वाह्य संरचना में आकर लुप्त हो गए हैं।

'दूरबीन के साथ' में 'दूरबीन' संज्ञा में 'के साथ' परसर्ग प्रयुक्त हुआ है:

दूरबीन के साथ — संज्ञा (दूरबीन) + परसर्ग (के साथ)

'दूरबीन के साथ' पहले अर्थ में क्रियाविशेषण पदबंध है, तो दूसरे में विशेषण पदबंध।

बाह्य संरचना- एक आदमी ने औरत को दूरबीन के साथ देखा।

आंतरिक संरचना- 1. क. दूरबीन आदमी के पास था। ख. दूरबीन औरत के पास था।

2. आदमी ने औरत को देखा।

इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य का रूपांतरण के दो नियम बनते हैं:

1. आंतरिक संरचना के कर्ता का लोप
2. संज्ञा के साथ 'के साथ' परसर्ग का प्रयोग होना

अर्थीय विश्लेषण :

एक आदमी ने औरत को दूरबीन के साथ देखा									
शब्द	अर्थीय घटक								संदिग्धार्थकता की संभाव्यता एवं प्रकार
	संज्ञा	मानव	सजीव	गणनीय	पुरुष	वचन	लिंग	मूर्त	
आदमी	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
औरत	+	+	+	+	+	+	+	+	संरचनात्मक
दूरबीन के साथ	[संज्ञा+ के साथ]								संदिग्धार्थकता

उक्त संदिग्ध वाक्य की पहचान करने हेतु नियम:

वाह्य संरचना के आधार पर जब कर्ता और कर्म के अर्थीय घटक समान हो और दोनों के मध्य संज्ञा के 'के साथ' परसर्ग (संज्ञा+ के साथ) प्रयुक्त हो तो इस प्रकार के वाक्यों के कर्ता का लोप हो जाने के कारण वाक्य संदिग्ध हो जाता है।

निष्कर्ष:

प्राकृतिक भाषा संसाधन के अंतर्गत संदिग्धार्थकता की समस्या एक प्रमुख समस्या है, जो विभिन्न अवस्था में भिन्न-भिन्न स्वरूप ग्रहण करती है एवं विभिन्न स्तरों पर भाषा के अर्थ को प्रभावित करती है।

प्रस्तुत शोध-पत्र के अंतर्गत हिंदी भाषा के संदिग्ध वाक्यों के संरचना को पद-विच्छेदन के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। जिसके प्रयोग से प्राकृतिक भाषा संसाधन में हिंदी भाषा के संदिग्ध वाक्यों को सहजतम रूप से पहचान कर उनका विश्लेषण एवं संश्लेषण कर विसंदिग्ध किया जा सकता है।

संदर्भ-सूची:

- ओझा, त्रिभुवन. (1986). हिंदी में अनेकार्थकता का अनुशीलन. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन.
- सिंह, सूरजभान. (1985). हिंदी का वाक्यात्मक व्याकरण. दिल्ली: साहित्यसहकार
- प्रकाशन सिंह, सूरजभान. (2000). अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद व्याकरण. दिल्ली: प्रभात प्रकाशन.
- श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ. (1997). भाषा विज्ञान सैद्धान्तिक चिंतन. नई दिल्ली: रामकृष्ण प्रकाशन.
- गुरु, कामता. प्रसाद. (2009). हिंदी व्याकरण. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन.
- मल्होत्रा, विजय. कुमार. (2002). कंप्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन.

नवजात शिशु स्वास्थ्य पर सरकारी योजनाओं का प्रभाव

विजय शर्मा¹ एवं श्याम सिंह²

प्रस्तावना :

विकासशील देशों की तरह भारत में भी नवजात शिशु मृत्युदर में कमी आई है। वर्ष 1990 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 80 मौतें होती थी और वर्ष 2010 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 47 मौतें हुईं (नमूना पंजीयन प्रणाली, 2010)। प्रायः नवजात शिशु जन्म के बाद की स्थिति में सुधार आया है। नवजात शिशु मृत्युदर उच्च बनी हुयी है (स्वास्थ्य बुलेटिन पीआरबी, 2006)। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। यह वैश्विक जन्मों का 20 प्रतिशत है। इनमें से 10 लाख शिशुओं की, जन्म के चार सप्ताह पूरा होने से पहले मृत्यु हो जाती है। यह संख्या विश्वभर में 30 लाख 90 हजार नवजात शिशु मृत्यु का लगभग 25 प्रतिशत है। भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख नवजात शिशु मौतें होती हैं जिसका आशय प्रति 1000 जीवित जन्मों (न.प.प्र, 2009) पर 34 मौतें होती हैं। यह नवजात शिशु मृत्यु का लगभग दो तिहाई और 5 वर्ष से कम आयु की मौतों का आधा है और सभी वैश्विक नवजात शिशु मौतों का लगभग एक चौथाई है। नवजात शिशु अवधि एक अल्प नाजुक अवधि होती है। उस समय संकेद्रित उपचार की आवश्यकता होती है ताकि 2015 तक बाल मृत्युदर में दो तिहाई कमी लाने के सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तक पहुंचा जा सके जिसका आशय 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रति 1000 जीवित जन्मों पर लगभग 30 मौतों से है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत में 2012 तक प्रति 1000 जीवित जन्मों पर नवजात शिशु मृत्युदर में कमी लाकर 30 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवजात शिशु मृत्युदर एक दशक से कम समय में 50 प्रतिशत से अधिक लाने की भी आवश्यकता है।

चतुर्थ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य नवजात शिशु मृत्युदर में पर्याप्त कमी लाये बिना प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। नवजात शिशु मृत्युदर विभिन्न राज्यों में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न है। यह केरल में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 7 है तो उत्तर प्रदेश में 45 और मध्यप्रदेश में 47 है। नवजात शिशु मृत्युदर में महत्वपूर्ण ग्रामीण-शहरी और सामाजिक- आर्थिक भिन्नताएं हैं। नवजात शिशु मृत्युदर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में लगभग डेढ़ गुना है (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 की तुलना में 21, नमूना पंजीयन प्रणाली, 2009)। इसी प्रकार नवजात शिशु मृत्युदर सबसे निर्धन 20 प्रतिशत लोगों में सबसे धनी 20 प्रतिशत लोगों से दुगुनी से अधिक है। प्रति हजार जीवित जन्मों पर 22 की तुलना में 48.4 प्रतिशत (स्टेट आफ इंडियाज न्यूबार्न, सेव द चिल्ड्रेन, 2005)। ये राज्य व्यापी भिन्नताएँ और धनी-निर्धन अंतर पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है।

¹ शोध छात्र, समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ.

² शोध छात्र, समाज कार्य विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा.

नवजात शिशु मृत्यु के कारण:

जन्म के प्रथम 28 दिनों के दौरान मृत्यु के समय आयु की समीक्षा से पता चलता है कि लगभग तीन चौथाई मौतें जन्म के सात दिनों के अंदर होती हैं। लगभग 40 प्रतिशत मौतें जन्म के पहले दिन होती हैं। (बेहतर परिचर्या, बीएचएआई, 1998)। नवजात शिशु मौतों का प्रमुख कारण संक्रमण, समय पूर्व जन्म की जटिलताएं (जैसे जन्म के समय कम वजन, हाइपोथर्मिया, श्वसन समस्या, आहार) तथा जन्म श्वासवरोध है। नवजात शिशु मृत्यु में संक्रमण के होने का बड़ा अनुपात है जबकि प्रायरू इसकी रोकथाम की जा सकती है।

इनमें अधिकांश समस्याएं प्रसव पूर्व अवधि में तथा प्रसव के दौरान अपर्याप्त देखभाल के कारण होती हैं। जन्म के तत्काल बाद तथा जन्म के पहले 48 घंटों के अंदर शिशु के कम वजन की अपर्याप्त परिचर्या का इनमें योगदान होता है चूंकि काफी महिलाएं उच्च जोखिम में हो सकती हैं और उनको संस्था में प्रसव कराने की जरूरत होती है, फिर भी 75 प्रतिशत से अधिक जन्म समुदाय में होते हैं और इनमें अधिकांश अकुशल जन्म परिचारिकाओं का हाथ होता है एवं माँ और बच्चे को बहुत कम प्रसवोत्तर परिचर्या मिल पाती है। स्पष्ट है उपचार में न केवल शिशु बल्कि माँ और बच्चा दोनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

नवजात शिशु को होने वाली जटिलताएं और उनका उपचार:

1. समय पूर्व जन्म/जन्म के समय कम वजन

प्रायः एक स्वस्थ नवजात शिशु का वजन 2.5 किग्रा या इससे अधिक होना चाहिए। 2.5 किग्रा से कम वजन के बच्चे समय पूर्व या असामयिक बच्चे के रूप में जाने जाते हैं। पूरे समय में पैदा होने वाले बच्चे का वजन 2000 ग्राम तो उसके बचने के अवसर समय से पहले होने वाले बच्चे से अधिक होते हैं। बच्चे का वजन जितना कम होगा उतनी ही उसके जीवित रहने की सम्भावना कम होगी।

समय से पूर्व अथवा असामयिक बच्चों का कारण

- गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार की कमी
- गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं जैसे इक्लेम्पसिया, गंभीर रक्तता, योनिस्त्राव, बुखार या कोई अन्य बीमारी।

समय पूर्व अथवा असामयिक बच्चों के जन्म को रोकने के लिए हमें गर्भवती महिलाओं की अच्छी देखभाल करनी चाहिए और उनका समय पर पंजीकरण कराना चाहिए तथा प्रसवपूर्व अवधि के दौरान उनके पोषणिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है।

2. जन्म से श्वासवरोध:

नवजात शिशु में श्वास अवरोध की स्थिति आक्सीजन की कमी अथवा विभिन्न अंगों के अच्छे से काम ना करने के कारण होती है। बच्चे के जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद पर्याप्त रूप से आक्सीजन न ले पाने के बहुत से कारण होते हैं। माता की चिकित्सीय स्थिति के कारण उसकी आक्सीजन ग्रहण करने का स्तर कम हो जाता है।

यदि जन्म के समय बच्चे में निम्नलिखित लक्षण दिखाई पड़े तो श्वास में अवरोध हो सकता है-

- नहीं रोना अथवा हल्का रोना
- श्वास नहीं ले पाना

श्वासवरोध का उपचार

यदि किसी बच्चे को श्वासवरोध है तो यह गंभीर स्थिति है। मिनटों के अंदर शिशु का जीवन बचाया जा सकता है। यदि जन्म के समय कोई डॉक्टर या नर्स उपलब्ध नहीं है तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता नवजात शिशु को बचाने के लिए अधिक कुछ नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह गर्भवती माता और परिवार के सदस्यों को संस्थागत प्रसव कराने को प्रेरित करे ताकि इस प्रकार की गंभीर स्थिति से बचा जा सके।

3. तीव्र श्वसनी संक्रमण

यह बच्चों में रुग्णता और मृत्यु का प्रमुख कारण है। यदि समय पर उपचार नहीं किया गया तो यह न्युमोनिया हो सकता है जिसका परिणाम मृत्यु हो सकती है। तीव्र श्वसनी संक्रमण के लक्षण - इसके लक्षणों में खांसी, नाक बहना, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, स्तनपान में कठिनाई और लगातार रोना इत्यादि है।

न्युमोनिया के लक्षण- इसमें पसली चलना, खांसी या सांस में कठिनाई, 50 सांस प्रति मिनट या अधिक- बच्चे की आयु 2 माह से 12 माह तक है। 40 सांस प्रति मिनट या अधिक - यदि बच्चे की आयु 12 माह से 5 वर्ष तक है।

नवजात शिशु के लिए त्रिम वायु संचार:

नवजात शिशु को वयस्कों और बच्चों की तुलना में दुगुनी दर से त्रिम हवा प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए मुंह से मुंह और नाक तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

4. जन्मजात असामान्यताएँ:

क) बाहर से देखी जा सकती है।

ख) ये बच्चे के शरीर के अंदर होती है जो स्पष्ट नहीं होती हैं।

बाहरी असामान्यताएं

- अछिद्री अपूर्ण भंडार
- होंठ फटे होना (वि.ति)
- दोनों या एक कूल्हा गलत स्थिति में
- अंगुली, हाथ, पैर - जैसे कोई अंग न होना

स्पष्ट अथवा बाहरी असामान्यताओं का उपचार समय पर ही हो सकता है।

- यदि मल द्वार में दोष हो और मल मार्ग का हिस्सा त्वचा से ढका हो तो एक छोटा चीरा लगाया जा सकता है परन्तु इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र जाना होगा।
- होंठ और फटे हुए अंगों की स्थिति में स्तन में दूध पीना कठिन हो सकता है अतः दूध चम्मच से पिलाया जाना चाहिए।

4. नवजात शिशु टेटनस:

नवजात शिशु टेटनस की घटनाओं में काफी कमी आई है। इसका कारण बच्चे के जन्म के दौरान गर्भवती महिला की देखभाल का किया जाना है।

नवजात शिशु टेटनस का उपचार:

नवजात शिशु टेटनस को रोकने के लिए यह निश्चित करे कि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान टेटनस टाक्साइड के टीके लगाये जाये।

6. अतिसार:

नवजात शिशु का मल तीन या चार बार पीला होता है तो यह सामान्य है पर अधिक बार ऐसा हो और यह बहुत पतला हो तो इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बच्चों में अतिसार शरीर में पानी और नमक की कमी के कारण घातक हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि आसपास जो मल मार्ग से बाहर आ जाता है, के स्थान को साफ- सुथरा रखा जाये और स्वच्छ पेयजल के प्रयोग करने, मल त्याग करने के बाद या मल के संपर्क में आने के बाद, बच्चे को छूने और बच्चे को भोजन के लिए तैयार करने के पहले साबुन से हाथ धोने जैसी आदतें डालनी चाहिए। अतिसार को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है-

- 14 दिन से कम समय में पतले तेज दस्त बने हुए हों।
- दस्त (मल में रक्त मिश्रित अतिसार)।
- ऐसे अतिसार जो तेजी से शुरू होते हैं और 14 दिन से अधिक बने रहते हैं।

अतिसार का उपचार

- जैसे ही बच्चे को पतले दस्त हो, इंतजार न करें तुरंत ओआरएस देना शुरू करें।
- प्रत्येक मल त्याग करने पर बच्चे को 50-100 मिली या जितना बच्चा पी सकता है, जीवन रक्षक घोल दें।

नवजात शिशु से संबंधित अध्ययन:

विकासशील देशों में नवजात शिशु की उत्तरजीविता एक प्रमुख मुद्दा है। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नवजात शिशुओं की देखभाल पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। यद्यपि सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम चलाये हैं जिससे शिशु मृत्युदर में कमी आई है। लगभग 4 मिलियन वैश्विक शिशु मृत्यु एक वर्ष में

होती है जिसमें विकासशील देशों में 98: होती है, इसमें ज्यादातर नवजातों की मृत्यु घर पर होती है। इनकी देखभाल (शिशुओं) उनकी माँ, रिश्तेदार एवं दाइयों द्वारा होती है। (WHO,1996)

अधिकांश दो तिहाई शिशुओं की मृत्यु उनके जन्म के पहले माह में हो जाती है और दो तिहाई की जन्म के पहले सप्ताह में। इसी प्रकार दो तिहाई शिशुओं की मृत्यु जन्म के 24 घंटे के अंदर हो जाती है। (Lawn et.al 2001)

नवजात शिशु की उत्तरजीविता में सुधार स्वास्थ्य देखभाल पर निर्भर करती है। जिसमें प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात, देखभाल सम्मिलित है।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर का संबंध नवजात शिशु की मृत्यु एवं अस्वास्थ्यता दर से है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं वातावरण की परिस्थितियां तथा सांस्तिक प्रथाएं भी सम्मिलित है। (WHO, 2002)

सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का प्रभाव स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में माताओं की मृत्यु दर, परिवार और समुदाय पर आवश्यक रूप से पड़ता है। समुदाय में सामूहिक स्रोतों एवं उनकी बहुलता की महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य के सामाजिक- आर्थिक पहलू से है। (macarthy & maine,1992)

यादव, (2007) ने नवजात शिशु की देखभाल में परम्परागत प्रथाओं के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने नेपाल में किये गए अपने अध्ययन में पाया कि कुछ समुदायों में गाढ़ा- पीला दूध को गन्दा मान कर फेंक देते हैं और बच्चों को गाय या बकरी का दूध जन्म के तुरंत बाद देते हैं। यह उनका एक विश्वास है कि ऐसा करने से बच्चा अधिक बुद्धिमान होता है।

Who, (1993) के अनुसार, माँ और बच्चे के बीच (जन्म के तुरंत बाद) संपर्क, स्तनपान के लिए लाभदायक होता है। जल्द से जल्द स्तनपान (गाढ़ा पीला दूध) करने से बच्चा संक्रमण से सुरक्षित होता है तथा पोषण प्राप्त करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (1996) के अनुसार नवजात शिशु के खतरे के लक्षणों की जल्द पहचान करके चाहे वह घर पर या स्वास्थ्य केंद्र पर हो, उसे तुरंत अस्पताल के लिए रेफर करना चाहिए।

नवजात शिशु के स्वास्थ्य हेतु सरकारी योजनाएँ/कार्यक्रम:

भारत सरकार गंभीर स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी स्कीमें तैयार कर रही है। इस कार्यक्रम में सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है। केंद्रीय स्तर पर जननी सुरक्षा योजना और नवजात शिशु एवं बाल रणनीति का समन्वित उपचार के तहत राज्य स्तर पर भी ऐसी कई नवीन योजनाएँ हैं। इनमें कुछ स्कीमें और कार्यक्रम संक्षिप्त में नीचे दिए गए हैं जिनका उद्देश्य नवजात शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन:

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में आरंभ किया था। यह मिशन स्वास्थ्य क्षेत्र में अब तक सबसे बड़ा एकीकृत स्वास्थ्य पहल है। यह मिशन एक परियोजना ही नहीं बल्कि सभी चल रहे शीर्षस्थ कार्यक्रमों का एक एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम है और स्वास्थ्य के निर्धारकों से संबंधित जैसे- स्वच्छता, पोषण, स्वच्छ पेयजल मुद्दों पर ध्यान दे रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नवजात शिशु स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देने वाली कुछ नई पहलें इस प्रकार हैं- आशा योजना, मोबाइल चिकित्सा यूनिटें और अंतरक्षेत्रीय सम्मिलन तैयार करना।

2. नवजात शिशु एवं बाल रुग्णता समन्वित उपचार:

कभी-कभी किसी एक बीमारी से ग्रसित बच्चे प्रायः एक से अधिक रोगों से पीड़ित होते हैं। उदाहरण के लिए अतिसार वाले बच्चों को कुपोषण के लक्षण भी हो सकते हैं और हो सकता है कि उन्होंने नियमानुसार टीकाकरण भी न करवाया हो। नवजात शिशु मृत्यु रोकने और समग्र स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने अपने मौजूदा समन्वित बाल रुग्णता कार्यक्रम में नवजात शिशु घटक शामिल कर इसे नवजात शिशु एवं बाल रुग्णता समन्वित उपचार कार्यक्रम का रूप दिया है।

नवजात शिशु एवं बाल रुग्णता समन्वित उपचार कार्यक्रम पैकेज के अंतर्गत कार्यकलाप:

- नवजात शिशु एवं छोटे शिशु (2 माह से कम)। प्रत्येक नवजात शिशु के लिए एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा द्वारा पहले, तीसरे और 7 वें दिन प्रत्येक नवजात शिशु के घर के तीन दौर किये जाने हैं। कम वजन वाले बच्चों के मामले में 3 और दौर करने हैं।
- शिशु और बच्चों की देखभाल (3 माह- 5 वर्ष) अतिसार, श्वसन मार्गीय संक्रमण, नेत्र और कान संक्रमण, मलेरिया, कुपोषण, रक्तालप्ता और अन्य रोग।
- स्तनपान और पूरक आहार के लिए परामर्श।
- टीकाकरण।
- खतरे की स्थितियों, इलाज/रेफरल के संबंध में जानकारी।

3. मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड:

मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्ड का विकास परिवार के लिए गर्भवती महिलाओं, युवा माताओं और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने, समझने और सकारात्मक उपाय अपनाने के लिए एक साधन के रूप में किया गया है। इससे परिवार में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण की जरूरतों के संबंध में विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। इससे परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषणिक स्तर तथा युवा बच्चों के विकास के बारे में निरंतर निर्णय लेने में मदद मिलती है।

4. नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम:

भारत में नवजात शिशु मृत्यु, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का 45 प्रतिशत है, कमी लाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के ढांचे के अंतर्गत 2009 में यह कार्यक्रम आरंभ किया गया था। यह कार्यक्रम चार मुख्य पहलुओं पर केन्द्रित है अर्थात् हाइपोटिसिस संक्रमण रोकथाम, आरंभ से ही स्तनपान कराना और बुनियादी नवजात शिशु पुनरुज्जीवन पर एक साधारण और मापीय प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया गया है। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण माड्यूल के घटक हैं - नवजात शिशु का पुनरुज्जीवन, जन्म के समय बच्चे की देखभाल, संक्रमण रोकथाम, उष्मीय सुरक्षा सामान्य और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों का आहार, नवजात शिशुओं का परिवहन।

5. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम:

1 जून, 2011 को भारत सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका प्रारम्भिक लक्ष्य सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्णतः मुफ्त तथा ऑपरेशन के मामले में कोई खर्चीला प्रसव नहीं होने का अधिकार देना है। इसमें शामिल है- मुफ्त दवाइयाँ, उपभोग्य, सामान्य प्रसव होने पर तीन दिन तक मुफ्त भोजन तथा ऑपरेशन से होने पर सात दिन तक मुफ्त भोजन, मुफ्त उपचार तथा जरूरत पड़ने पर मुफ्त में खून इत्यादि की सुविधा दी जाती है तथा जरूरत हो तो इसमें घर से संस्थान तक मुफ्त परिवहन की सुविधा दी जाती है। इसमें 12 मिलियन से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ देने की योजना का अनुमान है, जो उनके प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचाई जाएगी।

निष्कर्ष:

नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए चलायी जा रही सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उद्देश्य शिशु स्वास्थ्य को उत्तम बनाना है जिससे शिशु मृत्युदर में कमी हो सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल हेतु एक मार्गदर्शिका निर्देशित की है, यदि हम उन निर्देशित सिद्धांतों का पालन करें तो काफी हद तक शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। भारत सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का मुख्य केंद्र बिंदु मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर जोर देना है। योजनाएँ एवं कार्यक्रम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनायीं गई हैं किन्तु उनके क्रियान्वयन स्तर पर कमियाँ हैं। इस हेतु समय-समय पर इन योजनाओं का मूल्यांकन एवं निगरानी प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा करवानी चाहिए।

सुझाव:

नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए-

1. शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं समुचित परिणामों के लिए आवश्यक है कि उनका समय-समय पर संबंधित संस्थानों एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मूल्यांकन एवं निगरानी की जानी चाहिए।

2. शिशु स्वास्थ्य को उत्तम बनाये रखने हेतु आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले नीचे स्तर पर जैसे- स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में जन-जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। आशा कार्यकर्त्री और ए .एन .एम इस कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
3. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों द्वारा शिशु स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के बारे में अध्ययन एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
4. माताओं को नवजात शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए जिससे नवजात शिशुओं को होने वाले खतरों एवं संक्रमण से बचाया जा सके। अतः माताओं के लिए “नवजात शिशु शिक्षा” की व्यवस्था होनी चाहिए।
5. नवजात शिशु देखभाल एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों के विषय में IEC सूचना, शिक्षा, संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए।
6. नवजात शिशु स्वास्थ्य से संबंधित शोध कार्य पर बल दिया जाना चाहिए जिससे शिशु स्वास्थ्य को उत्तम बनाने हेतु उपयुक्त पैकेज का निर्माण किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- http://archive.india.gov.in/hindi/sectors/health_family/index.php?id=16.
- http://sulabhenviis.nic.in/Database/Hindi/data_hindi3_715.aspx.
- www.who.int.
- www.onlymyhealth.com.
- www.wcd.nic.in.
- Suryakantha, A. H. (2009). Community Medicine With Recent Advances. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publisher.
- मणिशंकर, सत्य. प्रकाश., व कुमार, अरुण. संजय, कुमार . (2015). यू. जी. सी नेट/ जे. आर. एफ./स्लेट समाज कार्य. मेरठ: अरिहंत पब्लिकेशन.
- शर्मा, ज. ए. (2004). सामाजिक मुद्दे . बैंगलोर: रावत पब्लिकेशन.
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पत्रिका, (2012, अप्रैल).

‘स्व-सन्तुष्टि’ एवं ‘शान्ति’: एक दार्शनिक विश्लेषण

डॉ. सुशिम दुबे

स्व-सन्तुष्टि- परिचय:

सर्वप्रथम कार्येच्छा या कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके पश्चात् उसके लिये विचार एवं उद्वेलन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस उद्वेलन या विचलन के कारण ध्यान एवं चिन्तन उस इच्छा की पूर्ति के उपाय को सोचने लगता है। इसमें विभिन्न साधनों तथा करने की विविध विधियों पर क्रमशः विचार होता है। यदि इच्छा रजस् से समुत्पन्न है तो वह इच्छा तुरन्त ही अपनी पूर्ति का उपाय से अपनी सन्तुष्टि करना चाहेगी। और यदि सतोगुण से प्रभावित है तो अपनी पूर्ति के उपायों पर विचार के साथ भविष्यत्काल में उत्पन्न होने वाले परिणामों एवं प्रभावों पर भी विचार करेगी। इसप्रकार किसी भी स्थिति में उत्पन्न इच्छा अपने पूर्णिकरण के लिये उद्वेलन करती है। कार्य करने को प्रेरित करती है। अब इस कार्य व्यवसाय के दो प्रकार के फल या परिणाम हो सकते हैं-

आपेक्षित - आपेक्षित अर्थात् आशा के अनुकूल फल का होना।

अनपेक्षित - अनापेक्षित अर्थात् आशा के प्रतिकूल फल का होना।

सामान्यतया अनुकूल परिणाम उत्पन्न होने पर हम इसे सन्तुष्टि तथा प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न होने पर इसे असन्तुष्टि कहते हैं।

अपेक्षा, परिणाम तथा सन्तुष्टि के विभिन्न संयोगों हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब प्रतिकूल परिणाम की आशा होने पर भी अनुकूल परिणाम आये और अनुकूल परिणाम की आशा करने पर प्रतिकूल परिणाम आये। वस्तुतः अपेक्षा (expectancy) परिणाम (result) तथा सन्तुष्टि (satisfaction) के निम्न संयोग हो सकते हैं –

S. N.	अपेक्षा Expectancy	Kinds of Result	सन्तुष्टि Content ment	Mental Feelings (Static)	Moods/ Emotio ns	Mental Feelings (fleeting)
1.	आपेक्षित Expected	अपेक्षा के अनुकूल परिणाम या फल Desirable results	Yes	सुख Pleasure	प्रसाद Happin ess	मोह Infatuation
2.	आपेक्षित Expected	अपेक्षा के प्रतिकूल परिणाम या फल Undesirable results	No	दुःख Sorrow	विषाद Grief	मोह, क्रोध Anger
3.	अनापेक्षित Unexpected	अनपेक्षित के अनुकूल परिणाम या फल Desirable results	No	उदासीनता Passive	दुःख Sorrow	मोह मूढ़ता खिन्नता desperation
4.	अनापेक्षित Unexpected	अनपेक्षित के प्रतिकूल परिणाम या फल Undesirable results	Yes	आश्चर्य Awesome	सुख Pleasure	

Table: Analysis of expectancy and final generation of Results and varieties of emotions etc.

सन्तुष्टि क्या है (What is Self-Content?):

सन्तोष मन का एक भाव है जो कि पूर्णिकरण या Satisfaction को दर्शाता है। पूर्णिकरण से आशय है कि पूरा होना अर्थात् जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सन्तोष दो शब्दों के मेल से बना है सम् + तोष। तोष से अभिप्राय भरापन तुष्टि। तब सम् तोष से अभिप्राय होगा समान रूप से तुष्टि। यहाँ भी समान से अभिप्राय है कि सभी प्रकार से भलिभाँति जैसी अपेक्षा थी या होनी चाहिये उसी के अनुरूप।

सन्तुष्टि: विभिन्न आयाम (Contentment: Various dimensions):

सन्तुष्टि एक वैयक्तिक शब्द है जो कि भावों एवं अनुभूतियों को समाहित करता है। भाव एवं अनुभूतियाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में परिवर्तित हो सकती हैं।

सन्तुष्टि- केस स्टडी

उदाहरण- रसगुल्ले को खाने की इच्छा

Case -1

रसगुल्ले का मिलना

Situation 1 :- समय पर मिलता है – मानसिक सन्तुष्टि

Situation 2 :- समय पर नहीं मिलता है – मानसिक असन्तुष्टि, खिन्नता, विचालता, उद्वेग क्रोध आदि।

Analysis of Situation 1:

समय पर मिलता है किन्तु डायबिटीज़ है तो तात्कालिक मानसिक सन्तुष्टि परन्तु शारीरिक दुष्प्रभाव से कुछ समय बाद मानसिक-असन्तुष्टि, विकलता। ऐसे में प्रारम्भिक सन्तुष्टि वास्तव में मनोविज्ञान की दृष्टि से सन्तुष्टि तो होगी किन्तु मेडिकल साइंस की दृष्टि से व्यामोह होगी जो कि अपने पूर्णिकरण में तो सुखदायी परन्तु परिणाम में दुःखदायी है। दर्शन में ऐसी सन्तुष्टि को ही प्रेयस् कहा गया है जो कि श्रेयस् से हटकर है। (कठोपनिषत्)

Analysis of Situation 2 :

संभवतः रसगुल्ले का समय पर नहीं मिलना किसी के लिये तुच्छ विषय हो सकता है। किन्तु मनोविज्ञान की दृष्टि से अपूर्ण इच्छायें अचेतन मन में चली जाती हैं। फ्रायड के अनुसार ऐसी अपूर्ण इच्छाओं के पूर्णिकरण का प्रयास व्यक्ति चेतना के दूसरे स्तर पर स्वप्न आदि में करता है। मनोविश्लेषकों (Psychoanalyst) के द्वारा व्यक्तित्व के विघटन तथा पर्सनालिटी के डिसेडर के लिये ऐसे ही कारक विवेचित किये गये हैं।

शारीरिक संरचनात्मक दृष्टि से मानसिक-सन्तुष्टि का विश्लेषण: (Analysis of content-ness and Psycho-physical constitution)

❖ उपरोक्त उदाहरण का ही हम आगे विश्लेषण करेंगे।

➤ कुछ प्रश्न विचारणीय हैं –

- रसगुल्ले को खाने की ही इच्छा ही क्यों हुयी ?
- पुनः यह इच्छा कब होगी ?
- यदि प्रथम बार एक रसगुल्ले से सन्तुष्टि हुयी थी तो आगे भी एक ही रसगुल्ले से सन्तुष्टि होगी ?

उपरोक्त प्रश्न सन्तुष्टि को समझने के आधारभूत प्रश्नों में से हैं।

1. रसगुल्ले को खाने की इच्छा के कारण निम्न हो सकते हैं –




Fig : pictorial depiction of causes and generation of results by them

प्रश्न दो एवं तीन का विश्लेषण विचार विनिमय के लिये है। अनुचिन्तन तथा आलोचनात्मक चिन्तन पद्धति से विचार विनिमय इसके लिये प्रस्तावित है।

सन्तोष का ऐतिहासिक सर्वेक्षण– विभिन्न सिस्टम्स एवं विचारकों के अनुसार:

S.N.	Thinker/text /ism/Areas	Time period	Terms Used for contentment	सन्तोष कैसे ? How contentment (process)?
1.	Common man philosophy	Always	Satisfaction	Think → act → achieve → be satisfied
2.	विलियम के. फ्रैंकेना W.K.Frainkena	19 th century	Good Life	Some kind of excellence & Continuity
3.	भगवद्गीता	500 B.C.	आत्मस्थ, स्थितप्रज्ञ	त्याग एवं शान्ति

	Gita		Sthitaprajñā, Soul	Renunciation → peace → bliss
4.	J.S.Mill	17-18 cent. A.D.	उपयोगितावाद Utilitarianism	→ greatest pleasures of greatest numbers (GPGN)
5.	धर्मशास्त्र Religions	Since evolution	ईश्वर प्राप्ति	शरणागति Devotion → → surrendering → grace
6.	अर्थशास्त्र Economics	Since exchange & barter system	Mode, Medium & Money (MMM)	धन साधनसमृद्धता स्थिरता Money → richness of mediums Stability → contentment
7.	मनोविज्ञान Psychology	18-19 century A.D.	Self-satisfaction	समय एवं अवस्था के अनुसार मनोदैहिक पूर्णिकता की पूर्ति Time and stages ↓ of life fulfilment accordingly
8.	भारतीय दर्शन Indian Philosophy	Since wisdom prevailed	आत्मज्ञान Self-realization	ज्ञान, भक्ति, कर्म प्रज्ञा → Knowledge, devotion, action
9.	राजनीति Politics	Since evolution	राज्य State	शक्ति, संप्रभुता Power, sovereignty
10.	समाज Society	Since society existing	सामाजिक सन्तोष Social satisfaction For - Stability, integrity, cohesion, development, consistency	प्रतिष्ठा, सम्मान, स्थिति Identity → fame Prestige, Honour, Status →
11.	अस्तित्ववाद Existentialism	20 th cen. A.D.	आन्तरिकता Subjectivity	realizing life is & life to be

Table: Summarizing the theories & ism of “Satisfaction”, time period and means to achieve

भारतीय परम्परामें – सन्तोष: (“Self-Content” in Indian tradition)

भारतीय परम्परा में विभिन्न ग्रन्थों में सन्तोष को सबसे बड़ा सुख बताया गया है –
लोकोक्ति है – सन्तोषी सदा सुखी रहता है।

सन्तोषी परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्।

सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलो विपर्ययः॥

-मनुस्मृति (IV / 12)

अर्थात्, सुख का मूल सन्तोष है तथा दुःख का मूल विपर्यय अर्थात् मिथ्या दर्शन है। इसी प्रकार महाभारत में कहा गया है कि पिपासा का कोई अन्त नहीं है। इसलिये इसलिये सन्तोष ही परम सुख है। एवं

अन्तोनास्तिपिपासायाः सन्तोषः परम सुखम्।

-महाभारत (वनपर्व / 2 / 46)

बौद्ध दर्शन के अनुसार सन्तोषः (Contentment in Buddhism)

बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने दुःखों का मूलकारण तृष्णा को बतलाया है। तृष्णा के क्षय या शमन से ही निर्वाण की अवस्था सम्भव बतलायी है। यदि सन्तोष की स्थिति बौद्ध दर्शन के विश्लेषण में देखेंगे तो यह एक प्रकार से तृष्णा से निर्वाण के मध्य सेतु का काम करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो जब तृष्णा नियन्त्रित होती है। तब सन्तोष का उदय होता है। तब ही निर्वाण संभव होता है।

योगसूत्र – सन्तोषः (YogasŪtra : Self-content)

योगसूत्र में सन्तोष को नियमों के अन्तर्गत व्याख्यायित किया गया है। नियमों से तात्पर्य है कि नियमन करने वाले, नियन्त्रण करने वाले (Regulating factor)। ऐसे नियमन करने वाले पाँच कारक महर्षि पतञ्जलि के अनुसार पाँच हैं, जिनमें सन्तोष दूसरे क्रम पर वर्णित है – शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वरप्रणिधान

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः।

- योगसूत्र, साधनापाद, 32

योगसिद्धि के लिये पथ के कारक प्रथम शुद्धता शुचिता एवं पवित्रता हैं। तत्पश्चात् साधक के लिये सन्तोष व्याख्यायित किया गया है। सन्तोष के फल के सम्बन्ध में कहा गया है

“सन्तोषाद् अनुत्तम सुखलाभः।”

- योगसूत्र, साधनापाद, 42

अर्थात् सन्तोष से अतुलनीय सुख लाभ होता है।

भगवद्गीता में सन्तोषः (Bhagavadgītā – Self-Content)

भारतीय मनोविज्ञान का प्रतिनिधिक ग्रन्थ भगवद्गीता मनोस्थितियों तथा आध्यात्मिकता का सुन्दर विश्लेषण तथा संश्लेषण प्रस्तुत करता है। गीता कामनाओं को आवर्तनीय स्वरूप का बतलाया गया है। काम तथा क्रोध को मानव का सबसे बड़ा शत्रु निरूपित किया गया है। गीता आध्यात्मिक सुख को महत्व देती है। आध्यात्मिक सुख से तात्पर्य है ऐसी स्थिति से जो कि स्वयं में परिपूर्ण है। यद्यपि गीता में “सन्तोष” यह शब्द नहीं प्रयोग हुआ है, तथापि गीता में आत्मस्वरूप एवं स्थितप्रज्ञ के आदर्श को महत्व दिया गया है। यह समस्त कामनाओं की तुष्टि की स्थिति तथा नैष्ठिक परम शान्ति की स्थिति के रूप में वर्णित की गयी है। इसके मध्यवर्ती के रूप में सन्तोष आवश्यक घटक के रूप में वर्णित किया गया है।

‘शान्ति’ की अवधारणा का सर्वेक्षण एवं दार्शनिक विश्लेषण:

सृष्टि के आदि से मनुष्य की दो खोजें रही हैं – सुख एवं शान्ति। ओल्डटेस्टामेंट, हिन्दू मान्यता के पौराणिक ग्रन्थ तथा अन्य स्रोतों के अनुसार सृष्टि के आरम्भ में महानवृष्टि हुयी तथा सभी कुछ जब आप्लावित था। वृष्टि के शान्त होने पर तथा जल के कम होने पर सृष्टि आगे बढ़ी। उपनिषदों के अनुसार ‘तज्जलान् शान्त उपासीत’- अर्थात् सब कुछ उस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है एवं उसमें ही शान्त होता है। इसलिये उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिये। वैज्ञानिक दृष्टि से भी विचार करें तो चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के अनुसार जीवन का विकास हुआ एक परिस्थित में जीव के, अशान्त होने से तब उस जीव ने अपने शान्त होने का सुख का रास्ता ढूँढ़ा, संघर्ष किया तथा परिस्थिति में अपने आप को समायोजित किया। यही प्रक्रिया विकासवाद का आधार रही है। (Struggle for existence and Survival of the fittest)।

मानव मस्तिष्क भी इसी तरह कार्य करता है। जब भी कभी कोई बात इसमें समस्या के स्तर से प्रवेश करती है, यह अशान्त होता है अर्थात् अपनी पूर्वावस्था में नहीं होता है, चिन्तन, मनन की प्रक्रिया गहन प्रमास्तिक में सतत् चलती रहती है और अपनी इस प्रक्रिया से मस्तिष्क समाधान खोज निकालता है। तब सुख अनुभूत होता है। स्थिरता अनुभूत होती है। और तब शान्ति अनुभूत होती है। यहीं जीव के अस्तित्व की यात्रा कुछ विराम लेती है। अस्तित्व परकता होती है। जीव अपने संवर्धित स्वरूप की झाँकी लेता है।

शान्ति क्यों आवश्यक है ?(Why the Peace is necessary):

जैसे विशाल एवं अथाह समुद्र में चलते हुये जहाज को कहीं तो लंगर डालना पड़ता है, जैसे दिन भर उड़ते हुये पंछी को कहीं तो बसेरा करना ही पड़ता है, वैसे ही जीव को भी अपने अस्तित्व की यात्रा में कहीं तो स्थिरता चाहिये पड़ती है यह स्थिरता परक स्थिति ही - शान्ति है।

वृहदारण्यक उपनिषद् में पंछी का उद्धरण आता है। यहाँ पंछी अपनी मनोदशा व्यक्त करता हुआ कहता है कि वह सम्पूर्ण दिवस एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उड़ता रहा, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता रहा। और इसमें ही उसका सारा समय, श्रम तथा ऊर्जा निस्सरित हुयी। अब वह पंछी ऐसी चाह व्यक्त करता है जहाँ उसकी यह शाख से शाख की थकान उतरे तथा स्थाई बसेरा हो। यहाँ पंछी से आशय जीव से है तथा एक शाख से दूसरी शाख की यात्रा उसका संसार में विभिन्न योनियों में संसरण है। इस प्रकार यहाँ जीव की यात्रा की समाप्ति आत्म में अवस्थित होने पर संभव बतलायी गयी है।

शान्ति का आधार क्या है ? (Basis of Peace):

वस्तुतः सुख का आधार शान्ति है। परन्तु शान्ति का आधार क्या है ? शान्ति अपने श्रेणी क्रम में शीर्ष पर आती है तथापि आधार के रूप में भी बात करें तो यह आधार में भी आवश्यक होगी।

श्रीमद्भगवद्गीता और शान्ति (Peace and Tranquilization of Mind according to Gita) :

श्रीमद्भगवद्गीता में शान्ति का सविस्तर विवेचन किया गया है। सम्पूर्ण भगवद्गीता में लगभग बार 14 ‘शान्त’ शब्दकी आवृत्ति हुई है जो कि निम्नानुसार संकलित है -

नास्तिबुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।
 न चाभावयतःशान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्॥
 आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्।
 तद्वत्कामा यंप्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी॥2 /70
 विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः।
 निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति॥ 2 / 71
 श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
 ज्ञानं लब्ध्वा पराशान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ 4 / 39
 युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठकीम्।
 अयुक्तः कामकारेण फले सक्तोनिबध्यते॥ 5 / 12
 भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्।
 सुहृदंसर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥ 5 / 29
 जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः।
 शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः॥ 6 / 7
 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्।
 विमुच्य निर्ममः शान्तोब्रह्मभूयाय कल्पते॥ 18 / 53

गीता के उपर्युक्त श्लोकों में भारतीय मनोविज्ञान एवं अध्यात्म के गहन भाव अभिव्यक्त हैं जिसकी , के छूटा (कर्तापन भाव) परिग्रह एवं अहंकार ,क्रोध ,काम ,दर्प ,परिणति अन्तिम श्लोक में ध्वनित है कि बल हुआ ही ‘शान्त’ है।

शान्ति के विविध रूप एवं आशयः

भारतीय संस्कृतृति की महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके कारण ,सहिष्णुता। सहिष्णुता ही वह भाव है – बोलियों एवं नाना प्रकार की विविधताओं को समाहित करते हुए भी एक ,जातियों ,भारत विविध संस्कृतियों वैसे ही ,है स्थिर भाव से सभी द्रव्यों को अपने में समाहित करता ,है। जैसे समुद्र शान्त भारतीय मूल दर्शन एवं संस्कृति की अक्षुण्ण विशेषता इसकी सहिष्णुता रही। इस सहिष्णुता का आधार है भाईचार एवं ,शान्ति , एकत्व।

भारतीय विचारधारा में इस सम्बन्ध में गहराई से चिन्तन किया गया है। अधोलिखित सारिणी के माध्यम से विभिन्न भावों से शान्ति के विविध प्रारूपों का विवेचन किया गया है।

शान्त से आशय		
S.N.	दृष्टि / परिणति/..आदि	भाव, बोध, दृष्टि, गुण, उद्भवात्मक स्रोत,.... दर्शन तथा दार्शनिक
1.	भावनात्मक दृष्टि से	जब विकलता न हो, विह्वलता न हो, व्याकुलता न हो, विचलन न हो, उद्वेलन न हो वैमनस्य न हो, विकार न हो, बैचनी न हो, विचार की उथल-पुथल न हो, परिवर्तन न हो
2.	मन के निग्रह की दृष्टि से	तृष्णा न हो, लालच न हो, लोभ न हो, कामना न हो, इच्छा अवशिष्ट न हो

3.	निषेधात्मक	जहाँ कामनाओं की कड़ियाँ न हों, अवसादों की पीड़ाएँ न हो शान्ति ऐसा सुरम्य स्थल है
4.	स्वीकारात्मक दृष्टि से	स्थिरता हो, एकरूपता हो, गम्भीरता हो, भावनात्मक सबलता हो, विचारों की समानता हो, व्यवहारिक दृढ़ता हो-(मनोवैज्ञानिक अवस्थिति)
5.	अभिव्यक्ति परकता की दृष्टि से	स्पष्टता हो, आर्जव हो, मुदिता हो, करुणा हो, सुखमयता हो, उच्च मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति हो-(सभी धर्मशास्त्र एवं नीतिशास्त्र)
6.	उदात्तता की दृष्टि से	देवत्व हो, विवेक हो-(सांख्य), वैराग्य हो-(योग), निष्काम कर्म हो-(गीता)
7.	अनुबोध की दृष्टि से	आस्तित्व परकता हो, आत्मस्वरूपा हो, कैवल्य हो, निर्वाण हो-(बौद्ध दर्शन), आध्यात्मिकता हो, मोक्ष हो-(भारतीय दर्शन), आनन्द हो-(वेदान्त), तुर्यावस्था हो-(माण्डूक्य उपनिषद्), अपवर्ग हो-(न्याय दर्शन), निःश्रेयस हो-(मूल्यों की अन्तिम क्रम), मुक्ति हो-(श्वेताश्वतर उपनिषद्)
8.	परिणति की दृष्टि से	निर्बीज समाधि हो-(पतञ्जलि), स्थित-प्रज्ञ में परिणति हो-(गीता), बोधिसत्त्व में परिणति हो-(महायान बौद्ध-मत), केवली हो-(श्वेताम्बर एवं दिगम्बर जैन दर्शन), मुनि हो-(जैन दर्शन, गीता एवं उपनिषद् भी)
9.	क्षय की दृष्टि से	त्रिविध-दुःखो से निवृत्ति हो, तापत्रय का क्षय हो, पंच क्लेश न हों, सत् रजस् तमस् गुणों की साम्यावस्था हो, समस्त कर्मों का क्षय हो,
10.	प्राप्तव्य की दृष्टि से	त्रिरत्न युक्त हो-(जैन दर्शन), पंचशील-(बौद्ध दर्शन) प्राप्त हो चुके हों, पंचमहाव्रतों की परिपूर्णता हो
11.	उपलब्धि की दृष्टि से	प्रज्ञा हो, सायुज्य हो-(रामानुजाचार्य), विशुद्ध-चैतन्य अवस्था हो-(उपनिषद्), नवधाभक्ति की अन्तिमावस्था हो-(पुराण), जीवन मुक्ति हो विदेह मुक्ति हो
11.	तदाकारता की दृष्टि से से अवस्था की दृष्टि	समाधि की दशभूमियों की अन्तिमावस्था हो-(महायान बौद्ध), चित्त की एकाग्र भूमि हो-(व्यासभाष्य-योग), प्रज्ञानघनमयता हो -(तैत्तिरीय उपनिषद्), ब्रह्मानुभूति हो, आत्मबोध हो-(शंकराचार्य),
12.	अनुभूति की दृष्टि	अहं ब्रह्मास्मि हो, अयमात्मा ब्रह्म हो, तत्त्वमसि हो, सर्वं खल्विदं ब्रह्म हो (उपनिषद्)

Table: Synoptically description of “Shanti”- its generation, stabilization, sublimation, culmination and realization

नवल किशोर प्रेस की लोक चेतना

(विशेष संदर्भ : माधुरी का पढ़ीस अंक)

हिमांशु बाजपेयी¹ एवं शैलेन्द्र कुमार शुक्ल²

शोध सारांश-

प्रस्तुत शोध पत्र माधुरी पत्रिका के पढ़ीस विशेषांक को केन्द्र में रखते हुए लखनऊ के ऐतिहासिक नवल किशोर प्रेस की लोक-चेतना की पड़ताल करता है। नवल किशोर प्रेस उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में हिन्दुस्तान का सबसे चर्चित प्रेस था जिसने अपने 1858 से 1950 तक के अपने कार्यकाल में हजारों अति महत्वपूर्ण किताबों का प्रकाशन किया। सामान्यतः नवल किशोर प्रेस को उसके उर्दू-फ़ारसी सम्बन्धी प्रकाशन के लिए ही जाना जाता है। क्योंकि उर्दू के क्षेत्र में सचमुच इस प्रेस ने ऐसा विलक्षण योगदान दिया जो उस दौर से लेकर आज तक एक नाममकिन सी चीज लगती है। यही वजह है कि मिर्जा ग़ालिब और सर सैयद अहमद जैसे बड़े लोगों ने इस प्रेस की तारीफ़ की है, मगर नवल किशोर प्रेस पर बात करते हुए एक बहुत अहम बात जो अक्सर भुला दी जाती है वो है हिन्दी एवं लोकभाषाओं के सम्बन्ध में नवल किशोर प्रेस की सजगता और योगदान। इस अमर प्रेस ने जहां उर्दू और फ़ारसी की हजारों किताबें छापीं वहीं हिन्दी, अवधी और बृजभाषा में भी बेशुमार किताबों का प्रकाशन किया। उर्दू में अगर ये प्रेस अवध अख़बार जैसा बेजोड़ अख़बार निकाल रहा था तो हिन्दी की अपने दौर की सबसे चर्चित पत्रिका माधुरी का प्रकाशन भी यहीं से होता था। माधुरी का पढ़ीस अंक आज एक क्लासिक चीज का दर्जा रखता है। क्योंकि आधुनिक अवधी के सबसे बड़े कवि पढ़ीस के निधन पर एक हिन्दी पत्रिका का एक पूरा विशेषांक निकालना इस प्रेस की लोकचेतना को लेकर अपने आपमें एक 'स्टेटमेंट' था। माधुरी के पढ़ीस अंक के अन्तर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम के नवल किशोर प्रेस की लोक-चेतना को समझने का प्रयास किया गया है।

की-वर्ड्स- अवधी, नवल किशोर प्रेस, लोक-चेतना, माधुरी।

प्रस्तावना-

अवध की साहित्यिक हलचल के रूप में माधुरी का विशेष योगदान रहा है। माधुरी की हिंदी इसलिए भी अपना विशेष महत्व रखती है कि जिस समय हिंदी की दुनिया में छायावाद की सांस्कृतिक लहर चल रही थी और भाषा के गठन का शिष्ट- संस्कृतनिष्ठ रूप राजनीति रूप से भी नये अर्थ ग्रहण कर रहा था, उस समय माधुरी अवध की अपनी अवधी भाषा और उसकी लोक विरासत की देशजता से परहेज करती हुई नहीं दिखाई देती है। हिंदी साहित्य की पत्रकारिता में जो बड़े परिवर्तन देखने में आए थे जिनमें सबसे ध्यान आकर्षण करने का काम सरस्वती (1903) के माध्यम से पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को गद्य और पद्य दोनों के लिए एक करने की आंदोलनधर्मी कमान सम्भाल रखी थी, और हिंदी की मानक दिशा

¹ शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा. फोन- 09421582692

² शोधार्थी, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग, म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा

संस्कृत से शब्द ग्रहण करती हुई, लोक भाषाओं के प्रति लापरवाह रुख अख्तियार किए हुई थीं। इसे द्विवेदी युगीन हिंदी भाषा के सिद्धांतों की जीत के रूप में देखना चाहिए लेकिन इसका राजनीतिक आधार भी था। यह कहा जाना बिलकुल उचित है कि छायावादी हिंदी का जन्म द्विवेदी युग के भीतर से हुआ। अब 1920 के आसपास हिंदी में कई पत्र-पत्रिकाएँ निकलनी शुरू हुईं या जो पहले से हिंदी में थीं, उनमें भी भाषा के नये संस्कृतनिष्ठ रूप दिखाई देते हैं। माधुरी की छवि इन पत्रिकाओं से कुछ भिन्न थी।

माधुरी की जो अपनी अलग एक नई पहचान बनती है, उनमें से एक कारण भाषा नीति के हिसाब से, इसका अपना उदार रवैया रहा है। यह पत्रिका अपने प्रकाशन काल के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकों से गुजरी, लेकिन इसने अपनी भाषाई उदारता हमेशा बरकरार रखी। माधुरी का प्रवेशांक लखनऊ के ऐतिहासिक नवलकिशोर प्रेस से 30 जुलाई सन 1922 ई. में दुलारेलाल भार्गव के सधे हुए सम्पादन कौशल में आता है। माधुरी का प्रकाशन शुरू होने से पहले ही नवल किशोर प्रेस प्रकाशन जगत विशेषकर उर्दू प्रकाशन जगत में अपना अमर स्थान बना चुका था। ऐसे में जब प्रेस ने माधुरी नाम से हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया तो पहले अंक से ही माधुरी हिन्दी की एक महत्वपूर्ण पत्रिका बन गयी। एक तरफ़ वो दौर जहां शुद्ध खड़ी बोली हिन्दी के प्रचार प्रसार का था, जिसमें सैकड़ों साल पुरानी लोक-भाषाओं पर अपेक्षाकृत नई-नवेली हिन्दी को तरजीह दी जा रही थी, वहीं माधुरी हिन्दी की समर्थक होते हुए भी लोक-भाषाओं से अपना रिश्ता जोड़े हुए थी। इसकी एक वजह शायद ये थी कि माधुरी के प्रकाशन से पहले नवल किशोर प्रेस न सिर्फ़ उर्दू, अरबी, फ़ारसी और संस्कृत बल्कि अवधी और ब्रज जैसी लोकभाषाओं में विपुल साहित्य प्रकाशित कर चुकी थी इसलिए शुद्ध खड़ी बोली हिन्दी को लेकर वो किसी कट्टर पूर्वाग्रह, श्रेष्ठता बोध या राजनीति से ग्रसित नहीं थी। माधुरी की हिन्दी ने अपने दरवाजे लोक-भाषाओं अथवा आम-फ़हम उर्दू के लिए बंद नहीं किए थे। पहले ही अंक में इसके निकले जाने के उद्देश्य बताए गए थे। यह हिंदी साहित्य की सेवा और देश सेवा के निहतार्थ निकली थी। ‘हिंदी की कीर्तिशेष पत्र-पत्रिकाएँ’ नामक पुस्तक में यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है जिसमें उसके उद्देश्य की बात बताई गई है – “देश सेवा को भी अपना उद्देश्य मानते हुए माधुरी में राजनीतिक विषयों का स्पर्श करती हुई रचनाएँ प्रकाशित होती थीं। पत्रिका के प्रवेशांक में गांधी जी तथा उनके आंदोलन की प्रशस्ति में ये पंक्तियाँ प्रकाशित हुई थीं-

प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना।
तू ही मचल रहा था मंसूर की लहन में।
आखिर चमक पड़ा तू गांधी की हड्डियों में।
मैं तो समझ रहा था सोहराब पील तन में ॥”¹

यह पंक्तियाँ उस समय की राष्ट्रीय चेतना को दर्शाती हैं, लेकिन गांधी जिस हिंदुस्तानी की वकालत कर रहे थे उसकी मौजूदगी भी इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। साथ ही इस पत्रिका में अवधी और ब्रज की अच्छी कविताएँ बड़े आदर के साथ जगह पाती थीं। शायद उस समय हिंदी पत्रकारिता में अवधी और ब्रज की कविताओं को सबसे ज्यादा तरजीह देने वाली पत्रिका नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित माधुरी ही थी।

शोध-उद्देश्य-

1. नवल किशोर प्रेस की लोक-चेतना चेतना का अध्ययन करना
2. लोक-भाषाओं के प्रति नवल किशोर प्रेस के सरोकारों की पड़ताल करना।

शोध-प्रविधि-

प्रस्तुत शोध पत्र में शोध प्रविधि के तौर पर गुणात्मक अन्तर्वस्तु विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण-

1942 में अवधी के सबसे तरक्की पसंद कवि बलभद्र प्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस' का निधन मात्र 44 साल की अल्प आयु में बड़ी विपन्न और अभावपूर्ण परिस्थितियों हो जाता है। यह अवधी ही नहीं, सम्पूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही दुखद घटना थी। पढ़ीस अवधी कविता में एक नई लीक लेकर चले थे, यह लीक जितनी कठिन थी उतनी ही लोक चेतना, साहित्य और चिंतन की दृष्टि से व्यापक और विवेकवान। पढ़ीस ने अपने स्वाभिमान और प्रगतिशील चेतना के चलते के चलते राजघराने के विलास को ठुकराया था, और राजा साहब कसमंडा(सीतापुर जिले की एक संभ्रान्त रियासत) की नौकरी छोड़ दी थी और आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली थी। पढ़ीस जी के ज्ञान, भाषा और उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी की उच्चारण क्षमता का लोहा उस समय के बड़े-बड़े विद्वान मानते थे। पढ़ीस लखनऊ में काफी समय तक रहे, निराला, अमृत लाल नागर, रामविलास शर्मा, यशपाल सरीखे उस समय के साहित्यकार उनकी सादगी और विद्वता और स्नेह के कायल थे। पढ़ीस हिंदी में बहुत ही बेहतरीन और अलग ढंग की कहानियाँ भी लिखते थे। प्रेमचंद ने हंस में उनकी कई कहानियाँ प्रकाशित की थीं। इन कहानियों पर प्रेमचंद की सम्पादकीय टिप्पणियाँ देख उनके कहानी लेखन का अंदाजा लगाया जा सकता था। पढ़ीस की कविताएं कहानियाँ और लेख लगातार माधुरी और चकल्लस में लगातार छपा करती थीं। माधुरी उस दौर में एक ऐसी पत्रिका थी जिसने पढ़ीस को प्रमुखता से प्रकाशित किया। यह बहुत बड़ी बात थी कि जिस समय अवधी और ब्रज की कविताएं छापने से हिंदी पत्रिकाओं के संपादक अपनी तौहीन समझते थे या खड़ी बोली हिंदी की घटिया से घटिया कविता छापने में गौरवान्वित होते रहते थे, उस समय माधुरी ने पढ़ीस की अवधी कविताओं को भरपूर आदर दिया। सन 1942 में पढ़ीस का निधन हो गया। निधन के बाद निराला, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा, यशपाल, रमई काका जैसे उनके सहृदय मित्र बहुत बहुत आहात हुए। डॉ. रामविलास शर्मा के अतिथि सम्पादन में 'माधुरी' जुलाई 1943 में अपने लोक चेतन अवधी कवि, हिंदी कहानीकार और लेखक पर केन्द्रित 'पढ़ीस-अंक' निकला। यह नवल किशोर प्रेस की पत्रिका 'माधुरी' का वह रूप था जिसके लोक समर्पण को विशेष पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

माधुरी ने वह कर दिखाया जो उस समय की किसी और पत्रिका ने नहीं किया। इस पत्रिका ने अपने लेखक को अवधी के प्रगतिशील कवि के रूप में स्थापित किया और पढ़ीस अंक निकाल कर नवल किशोर प्रेस की ओर से श्रद्धांजलि ज्ञापित की। डॉ. रामविलास शर्मा अपनी सम्पादकीय में उनकी मृत्यु के बारे बताते

हैं, “27 जून सन 42 को उनके उनके पैर में घटक चोट लगी। इसके एक महिना पहले वह लखनऊ आये थे और मुझे से गले मिल कर विदा हुए थे। उसके बाद बलरामपुर अस्पताल में मैंने उन्हें फिर देखा, लेकिन तब से अब मैं बहुत अंतर था। प्रेमचंद के उस चित्र का स्मरण कीजिए, जो उनकी रोगशय्या पर लिया गया था। मुझे एक भयानक आघात के साथ इस बात का अनुभव हुआ कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। 14 जुलाई सन 1942 को उन्होंने इस संसार से महायात्रा की। उनकी मृत्यु पर श्री अमृतलाल नागर ने जो पत्र लिखा था, उसी से कुछ शब्द उधार लेकर मैं अपनी भवनाएं व्यक्त कर सकता हूँ- ‘मुझे उनकी मौत का दुख नहीं। जिंदगी भर पलंग पर पड़े-पड़े हाय-हाय करते हुए उनकी सांसें नहीं निकलीं। एक सच्चे भारतीय और खरे साहित्यिक की तरह जीवन से लड़कर उन्होंने वीरगति प्राप्त की।’ⁱⁱⁱ

डॉ. शर्मा ने जो बात कही है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पद्दीस के जीवन का अंतिम दौर कितना कितना संघर्षशील रहा होगा। शर्मा जी यहाँ प्रेमचंद के रोगशय्या का चित्र याद कराते हैं, यह महज संयोग नहीं यह यथार्थ था। उन्होंने निराला और प्रेमचंद के बाद हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण लेखक उन्हें माना है, यह बात पद्दीस ग्रंथावली की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट की है। पद्दीस जी से हुई अपनी पहली मुलाकात के बारे में डॉ. शर्मा लिखते हैं- “मेरा उनसे परिचय पहली बार सन’34 में निराला जी के यहाँ हुआ। वह कसमंडा में तब भी नौकरी करते थे, परंतु वेश दूसरा था, वही जिससे उनके बाद के मित्र भली भांति परिचित हैं। निराला जी ने उनका लंबा-चौड़ा परिचय दिया था जिसका मुझ पर उल्टा प्रभाव पड़ा। कुछ दिन बाद मैंने उनका कविता संग्रह देखा और उसने मुझे उनका भक्त बना दिया। दूसरी बार भेंट होने पर हम मित्र हो गए और दिन पर दिन वह मित्रता गाढ़ी होकर बंधुत्व में परिणत हो गई। मेरे अनेक मित्र हैं, परंतु इस तरह से घुलमिल कर मैं किसी से एक नहीं हो सका, जैसा दीक्षित जी से। दीक्षित जी का हृदय विशाल था; उनकी सहृदयता अपर थी। मेरी ही तरह के उनके अन्य मित्र भी थे, जिन पर उनका वैसा ही स्नेह था।”ⁱⁱⁱⁱ यह बात हल्की नहीं बहुत ही गंभीर है। पद्दीस का एक मात्र कविता संग्रह चकल्लस पढ़ कर डॉ. रामविलास शर्मा जैसा प्रखर आलोचक उनके भक्त होने की बात कहता है। दरअसल यह भावुकता का निशान नहीं यह बौद्धिक पराकाष्ठा की सहजता थी। पद्दीस जैसा लोक चेतन कवि उस समय दूसरा दूसरा नहीं दिखता।

पद्दीस अवधी में लिखने वाले किसान-कवि थे। वह खेती करते थे, हल जोतते थे। हल की फाल से पाँव में घाव हुआ था, जिससे सेप्टिक बन कर उनकी जान गयी। वह बहुत ही स्वाभिमानी और जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी कविताओं में किसान और मजदूर जीवन के जो चित्र मिलते वह अनुभव की आंच में पके हुए और मर्मस्पर्शी हैं। डॉ. शर्मा ने लिखा है –“उन्होंने अपनी कविताएं किसान बनकर ही लिखी हैं। किसान तो वह थे ही, कविताओं में अपने किसान के स्वर को उन्होंने स्पष्ट रखा है। किसानों के प्रति शिक्षितजनों की अवज्ञा को जैसे उन्होंने अपने किसान पेन से ललकारा है।” डॉ. रामविलास शर्मा ने उन्हें यथोचित जगह साहित्य की दुनिया में दी थी, उनका समर्पण इस बात की गवाही देता है।

पद्दीस जी की मृत्यु से सबसे ज्यादा महाप्राण निराला आहात हुए थे थे। उनसे उनकी अभिन्नता जग जाहिर है। उन्होंने ही सन 1933 में प्रकाशित उनके अवधी कविता संग्रह ‘चकल्लस’ की बहुत ही बेबाक

भूमिका लिखी थी। पढ़ीस अंक में उन्होंने अपना लंबा लेख लिख कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लेख का पहला वाक्य ही उनके मर्माहत हृदय की कचोट को अभिव्यक्ति देता है। उन्होंने उनके चिंतनशील लोक विवेक को यहाँ याद किया है। निराला जी लिखते हैं—“आज बलभद्रप्रसादजी दीक्षित स्वर्गीय। वह मुझसे उम्र में कुछ छोटे थे, बात को समझने में वैसे ही तेज। साहित्य में जिन बंधुओं मेरी अभिन्नता है, उनमें वह प्रमुख थे। डाक्टर रामविलास शर्मा से उनकी अच्छी पटरी बैठी थी। दीक्षित जी आदमी आदमी की प्रतिभा से खिंचते थे, जैसे उसे और प्रभाव शालिनी कर देने के लिए। उनकी चेतन साहित्यिकता और सूझ बहुत कम लोगों में मिलती है। उनके जैसे आवश्यक साहित्यिक अंग का कट जाना उनके मित्रों की दृष्टि में बिना प्रमाण के साहित्यिक अपूर्णता साबित करता है।”^{iv} निराला जी ने अपने लेख में उनके बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं।

पढ़ीस के साहित्यिक मित्रों में और लखनऊ के लेखकों में एक और महत्वपूर्ण नाम आता है— ‘चौक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर’ अमृतलाल नागर का। वह भी उनके घनिष्ठ मित्रों में एक थे उन्होंने अपने ‘चकल्लस’ पत्र में पढ़ीस की कविताएं, कहानी और लेख लगातार छापते रहते थे। नागर जी ने पढ़ीस अंक में जो लेख लिखा है उसका शीर्षक उन्होंने पढ़ीस की एक काव्य-पंक्ति को ही बनाया है। शीर्षक है ; ‘काकन, जब राम घरे जायहु।।।’^v नागर जी लिखते हैं—“छः अंगुल ऊँची दीवार की गांधी टोपी, लंबा खदर का कुरता, जवाहर-बंडी, घुटनों तक उठी हुई खादी की धोती, बड़ी-बड़ी मुछें- किसी अपुडेट ड्राइंगरूम में सोफा पर बैठे हुए पढ़ीस जी चार ‘भालेमानसों’ में कुछ अजीब से लगते थे।”^v यह उनसे पहली मुलाकात की तस्वीर थी, जसे नागर जी स्मृति में सँजोये हुए थे। नागर जी आगे लिखते हैं— “एक, जिसे भारतीय किसान की पोशाक में सारी दुनिया ने देखा है- महात्मा गांधी को और दूसरे पढ़ीस जी को, बीसवीं सदी के विलायती ढंग पर सजे हुए हिंदुस्तानी घर में गद्देदार मखमली कुर्सी पर बैठे मैंने देखा है। लगता था, हिंदुस्तानी घर में स्प्रिंगदार विलायती सोफ़ा पर जैसे मूर्तिमान व्यंग्य बैठा हो।” नागर जी ने पढ़ीस की साहित्यिक और सामाजिक समझ को इस लेख में खूब सराहा है।

इसी श्रृंखला में पं. गंगाप्रसाद मिश्र का अच्छा लेख पढ़ीस जी की साहित्यिक समझ और भाषा विवेक के बारे में आता है। मिश्र जी ने अपने प्रिय कवि को शिद्ध से याद किया है। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो उनकी स्मृति में सँजोई हुई थी यहाँ अभिव्यक्त की हैं। वह लिखते हैं— “अपने जीवन में जिन दो साहित्यिकों से मुझे मिल सकने और परिचय प्राप्त कर सकने का गर्व है, वे हैं स्वर्गीय प्रमचंद जी तथा स्वर्गीय पढ़ीस जी। दोनों ही अपने साहित्यिक गुणों के अतिरिक्त मनुष्य की दृष्टि से एक-से-एक बढ़कर थे। अंतर इतना ही है पढ़ीस जी को अधिक समय तक और अधिक निकट से देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मैं सचमुच उन्हें पा कर धन्य हो उठा। लैटिन की एक कहावत है Nil Nice Bonum जिसका अर्थ है मृत व्यक्तियों के दोषों पर मिट्टी डालो, परंतु इतने अधिक समय पढ़ीस जी के संसर्ग में रह कर मुझे एक भी बात ऐसी नहीं मिली, जिस पर मिट्टी डालने की आवश्यकता हो। मैंने उन्हें बहुत ही निकट से देखा था, एक कुटुंबी की भांति। फिर भी मैं कोई कोई दोष उनमें न पा सका, यह ऐसी-वैसी बात नहीं।”^{vi} इस लेख में बहुत अच्छा विश्लेषण लेखक द्वारा किया गया है।

इस तरह के लेखों में शिवसिंह सरोज ने 'युग-प्रवर्तक 'पढ़ीस' और उनकी काव्याधारा', इंद्रदत्त शर्मा शास्त्री ने 'बारह साल', नरोत्तम नागर ने 'वह देहाती लेखक', यशपाल ने 'पढ़ीस', ब्रजकिशोर मिश्र ने 'चकल्लस में उपहास काव्य', कृष्णविहारी मिश्र ने 'पं. बलभद्र दीक्षित', रूपनारायण पाण्डेय ने 'हा बलभद्र ! हा बुद्धिभद्र !', प्रेमनारायण टंडन ने 'पढ़ीस के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि', भगवतशरण उपाध्याय ने 'प्रकृतों का विद्रोहत्मक स्वरूप', हजरत तस्लीम लखनवी उर्फ अमृतलाल नागर ने 'मेरे उर्दू उस्ताद', चतुरानन चौबे ने 'साथी पढ़ीस' और ब्रजेन्द्र गौड़ ने 'कहानी लेखक पढ़ीस' यह भी लेख पढ़ीस अंक में प्रकाशित हुए थे। साथ ही साथ नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह 'सुमन', कुँवर वीरेंद्र प्रताप सिंह, अंचल, चंद्रभूषण त्रिवेदी, और अशोक जी ने मर्मस्पर्शी कविताएं पढ़ीस पर केन्द्रित लिखी हैं जो इस अंक में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पढ़ीस जी का प्रतिनिधि साहित्य जो इधर-उधर पत्र-पत्रिकाओं में बिखरा था 'चकल्लस' (कविता संग्रह) और 'लामजहब' (कहानी संग्रह) से इतर था उसे यहाँ जगह दी गई है। पढ़ीस जैसे अतिमहत्त्वपूर्ण कवि पर इस जोड़ का काम उस दौर से लेकर आज तक कोई दूसरी पत्रिका नहीं कर पायी। पढ़ीस जैसे अहम अवधी साहित्यकार के निधन पर उस दौर के तमाम बड़े हिन्दी साहित्यकारों से उच्च सहेजने लायक लेख लिखवा लेना और फिर उन्हें एक हिन्दी पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित करना ये एक अभूतपूर्व और हिम्मत भरा काम था, जो नवल किशोर प्रेस जैसी महान संस्था ही कर सकती थी।

उपसंहार-

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि माधुरी का पढ़ीस अंक पढ़ीस अंक अपनी ऐतिहासिकता को समेटे नवल किशोर प्रेस की लोक-चेतना का सबसे सशक्त उदाहरण है। इस अंक में छपी तमाम सामग्री अपनी संवेदना और शिल्प दोनों स्तर पर लोक एवं इसकी भाषिक परंपराओं को समुचित सम्मान देती है। ये ऐतिहासिक अंक खड़ी बोली हिन्दी का रिश्ता अवधी की समृद्ध लोक-परंपरा से जोड़कर हिन्दी को अधिक जीवन्त, शक्तिशाली, सरस और संभावनाशील बनाता है। नवल किशोर प्रेस ने अपनी शुरुआत से ही विभिन्न भाषा-संस्कृतियों के बीच की दूरियां कम करने का जो सराहनीय प्रयास किया था, माधुरी का पढ़ीस अंक प्रेस के उस प्रयास को न सिर्फ जारी रखता है बल्कि उसे नई ऊंचाइयां भी देता है। इस अंक में नवल किशोर प्रेस की लोकचेतना एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में सामने आती है।

सन्दर्भ:

ⁱ पीतलिया, रामशरण. (2000). *हिंदी की कीर्तिशेष पत्र-पत्रिकाएँ*. जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी. पृ. सं. 132.

ⁱⁱ शर्मा, रामविलास. (1943, फरवरी). *माधुरी*. लखनऊ: मुंशी नवलकिशोर प्रेस. पृ. सं. 4.

ⁱⁱⁱ वहीं. पृ. सं. 4.

^{iv} वहीं. पृ. सं. 13.

^v वहीं. पृ. सं. 16.

^{vi} वहीं. पृ. सं. 45.

ASPECTS OF Social Mobility Of A Dalit Caste: The Poundras Of Bengal In The Early 20th Century

Soumen Biswas¹

The term 'Dalit' is used to mean the "depressed classes" in all most all parts of India, but not in Bengal. At first, the Namasudra community which consisted of lower caste, mainly Chandals, the followers of Chaitnyadev and Baishnava dharma were called Namasudra. But gradually other lower castes like the Chamars, Kumhars, Yadevs, Sadgopas, Dhopa, Teli, Mahishyas, Poundra Kshatriyas have joined together and in Bengal they called themselves Matuas.¹ This paper seeks to prepare an account of the history of Poundra Kshatriyas (Pods). Generally, Pods can be classified into four groups- Tanti Pods, Chashi Pods, Bhasa Pods and Mecho Pods. This classification was accepted by District Gazetteers. Ethnographer Risley, in his book "Tribes and Castes of Bengal" had also accepted this four sub-caste divisions.²

According to the census Report of 1921-"Pods (Poundras) are the indigenous people of the 24 Parganas and Jassore. Out of the total of 5, 88,394, 3, 64,490 were returned in 24 Parganas and 1,51,953 in Jassore, leaving only 16 per cent to be returned elsewhere, mostly in Midnapur and Howrah. Very few indeed are to be found in Burdwan, Birbhum, Bankura, Nadia and Murshidabad and particularly none in Northern and Eastern Bengal..."³ out of total population number of female among Pods was 280347 and male were 225538. Out of these number of literate male was 3471 and women 39."⁴

Nineteenth century British historians- L.S.S.O. Malley, Risley, Wilson, Alexander, Cunningham and Hamilton had thrown light about the origin of the Poundra or Puro or the Pods as they are known in Bengal today. Some scholars liken Ramesh Chandra Majumder, Nihar Ranjan Roy, Sri Bhupendranath Dutta and Dr. Atul Sur have also mentioned about the Poundras and about their culture.⁵ Later some people from the Poundra caste like Benimadhav Dev Halder, Rai Charan Sarder and Mahendra Nath Karan have written on this. The descriptions coming through these sources give us the idea that majority of the Poundras , belonging to fishing and farming class in modern times, once had a higher social status and they considered themselves as 'Kshatriya' (warrior)⁶ classes.

Traditionally, it is said that during the rule of Ballal Sen, Bengali Brahmins tried to win over the Buddhists who, they thought, were originally Hindus.⁷ A large number of Poundra Buddhists were brought back to Hinduism again. According to some, the Poundras lost the Kshatriya status as a punishment for being converted.

¹Department of History, Rabindra Bharati University.

“The first group of Buddhists who converted themselves to Hinduism was named Kayal and the others were called Nabasakha.”⁸ Other Poundras were called Sudras, and thus became the untouchable lower caste. In Gourer Itihas, Pandit Rajani Kant Chakraborty wrote, “The first group of Buddhists converted to Hinduism was accepted by the Brahmins.”⁹ Economically, the significance of the Poundras was well acknowledged. In one article “Glimpses of Origin and glorious past of the Pod people”, Sri Panchanan Mitra observed, “The Poundras were an old race. They know agriculture and were the first to exploit the rich mines of India.”¹⁰

Social Mobility among the Pods:

Social mobility among the depressed castes like the Poundras gained momentum in the late nineteenth and early twentieth centuries. Sekhar Bandopadhyaya says “among the lower caste Hindus those who had improved their economic position, taking advantage of the new economic opportunities, demand a corresponding higher rank in caste hierarchy and organized articulate caste agitations in late nineteenth and early twentieth centuries. Such movement was possible as this limited mobility generated great desire for social upliftment among the lower caste masses and also perhaps a greater urge for social equality”.¹¹ This understanding goes well with the case of Poundras who like many other depressed castes sought to claim higher status in caste hierarchy. They believed that if they were named as Bratya Kshatriya by the government, they would not be neglected in the society and looked down upon by the caste Hindus for their lower caste. The lower caste elites began to appropriate the practices of the higher castes through the processes of Sanskritisation, or worked toward acquiring material symbols of success, such as education, employment, or political power.¹² Wearing the sacred thread and performing last rites as per the customs of upper caste Hindus were considered by the Poundras to be important markers of social mobility.

Regarding caste mobilization and government’s response in Oct 1910 The Bengalee wrote “there was a wide spread desire to level upwards; and this is a feeling to which all Englishmen will readily sympathize; and it deserves to be fostered by a progressive Government; which aims at the elevation of the different sections of a community, subject to its authority. The action of the Govt. in granting the prayers of these castes will add to their self respect; and their claims seem to be founded on well considered grounds”.¹³ In this sense from the 1912-1917, the 5 years reports of education of Sir Hornell and the report of 1917-18 of Calcutta University, clearly show the British Government’s intention to pay special attention to these educationally backward classes, they were brought under the name depressed class.¹⁴

These changes have been well acknowledged in the Census reports of 1911 and 1921. In the Census report of 1911 the following lines were written about education of the Pod caste: - “...it is noticeable that two of the ambitious castes that

are endeavoring to rise their social status, via, the Chasi Kaibartas and Pods have reached a very fair average of literacy...The Pods have made great strides, the proportion of literates have been nearly doubled. Considerable advance has also been made by Namasudras and Rajbanshis but in spite of this only one in every 20 can read and write, where as among the Chasi Kaibartas only one in nine and among Pods one in seven can do so.”¹⁵ “Thus the Kaibartas, Pods, Namasudras and Rajbanshis all show signs of improvement, and the Pods especially have made great strides.”¹⁶

The Census of 1921 noted- "The Pods have now taken to education and are improving their position. They are 9.7 more numerous than 1911 and 26.6% more than 1901.”¹⁷ For the spread of education among their members, the Pods or Poundra-Khsatriyas awarded gold medals every year from 1910 to the boy of their community who would stand first in the Middle English examination in the district of the 24 Parganas- an example, followed by the Baruis as well.¹⁸

These associations, however, did not have enough resources to cope with the problems arising out of poverty, and for spending on education; hence they had no alternatives but to seek the Government's help. From time to time their leaders like Nirod Behari Mallick, Mukundo Behari Mallick, Sarat Chandra Bal, Rashik Lal Biswas shouldered the responsibility. From the census superintendent's order No. 454 dated the 28th January, we came to understand that one section of pods was anxious to be known as Bratya kshatriya. In the district of Bengal Governors, Sir Bampfylde (1905) Sir Lance Lancelot (1907), Lord Carmichael (1912), Earl of Ronald shay; and there after Lord Lytton and Sir Stadley Jackson all realized that depressed castes had almost the same demand; (1) spread of education, (2) their representatives in the local Government, (3) employment in Government services. But the pods were yet not ready to handle the situation if their demands were accepted. Then, the leaders like Mahendranath Karan, and Kshirod Chandra Das began publication of a magazine namely The Poundra Kshatriya Samachar in 1923-24. In the 1st year of the publication on its Shravan 1331` (Eng 1924) both the editors addressed their community: - “Come let us light the lamp of education and get rid of the darkness.” Another weekly magazine by the name of Pratigya was entrusted in the able hands of Bhava Sindhu Laskar, a famous pleader of Alipur Judge Court, and Mahendra Nath Karan as the Subeditor. This magazine was founded by Sri Sailesh Chandra Chatterjee of No 114 Hazra Road.¹⁹

Christian Missionaries played a very important role in spreading education among the lower caste people of British India. “The London missionaries had their first station at Chinsura in Bengal in 1819”. They gradually established stations in 1823 at Bhawanipur, in 1826 at Keorapukur and other villages in the south Bengal, at Beliahati and Sundarban Villages in 1844 and at Baduria in 1875.”²⁰ There were

others as well. Church of Scotland, Wesleyan Church, Women's Union Missionary Society and the American Methodist Church were also working for eradication of illiteracy. All of them worked among the so called depressed classes. However, the Census Report of 1921 shows out of 3510 English knowing pods 3471 were men and 39 were women.²¹

In 1891, a well known leader, social reformer and well-wisher of the Pod caste Pandit Benimadhavdev Halder had called a meeting at his own house Rangilabad in 19th Jaistha 1298. That was the turning point of the Pods history. Many more such meeting and conferences were held in which Pods were told to get rid of their vices and devote heart and soul for their own uplift. In the same year a book authored by him named Jati Vivek was published. Later, he wrote another book Bratya Kshatriya Parichay. In Ashar (1924) 1331, Poundar Kshatriya Samachar praised the reforms advocated by Iswar Chandra and emphasized on Widow Marriage. At that time amongst the 21 lac Hindu widows, 3 lacks were under the age of 15 years. Brahmins and other caste hindus, did nothing to rehabilitate them. But after measures taken by Vidyasagar, Brahmo Samaj came forward to work for this purpose. The same editor of Samachar also said that Sri Sharat Chandra Chattopadhyay, though he was a Brahmin, said, 'He is with the Poundra Kshatiryas'. He asked them to feel pride in whatever they are by birth; they must uplift themselves socially and stay away from all evils of their own society.

Sri Raicharan Sarder established Bratya Kshatriya Samity in the month of 'Poush' in 1316 i.e. Dec-January of 1909. On 1st May in the year 1910, a monthly magazine Bratya Kshatriya Bandav was established. Pandit Benimadhav Dev Halder ignited a new spark in the insipid lives of the Poundras. It can be called the renaissance of the Poundra Kshatriya society. Stalwarts of their Society Sriamanta Bidyabhushan, Raicharan Sardar, Mahendranath Karan joined him. The Zaminder of Belia Gahata Ramkrishna Naskar, Zaminder of Kotalpur Kundarali, Jayakrishna and Zaminder of Gobindapur Kalicharan Kayal donated money as and when needed.

Srimanta Bidyabhushan of Dabiratnapur in Kulpi Thana of 24 parganas did a lot of research for writing history of their won society and caste. In the year (Bengali 1300 B.S) he wrote two valuable books Jatichandrika and Bratya Kshatriya Parichay. 'He was the first among the Pod writers to write history of the Poundras. But it is a matter of great regret that the first book of history of the poundra kshatriyas could not be completely preserved. After him Mahendranath Karan wrote Poundra Kshatriya Kula pradeep. This is widely accepted as a book of history of the Pod caste.

Sri Raicharan Sardar, who was first graduate of the Poundra Kshatriya society, had published a magazine Bratya Kshatriya Bandhav in 1910 from Diamond Harbour.²² For helping the students of the society to get higher education; he

established a hostel namely Arya Poundra Brahmacharya Ashram at 144 Amherst Street in Kolkata. On 17th February 1919, Zaminder of Gobindapur donated 300 bigha lands and constructed a hostel and established a school for teaching English to the students of the community. Raicharan Sardar, with his untiring efforts established five High Schools at far-off villages for English education. Srikanta Institution of Jagadishpur village was his immortal achievement. This school was affiliated by The Calcutta University in the year 1917.²³

Mobility of the PODS in the Mass Phase of Indian Nationalism:

The Pods were obviously closely following the social mobility of the other depressed castes, like Namasudras, and of the backward castes which gained momentum with the strengthening of popular nationalism in second and third decades of twentieth century. In 1924 Sri Dinesh Chandra Sen a well-wisher of Pod community had a employed a maid servant of Pod class in his house and drank water from her hands. He did this to show an example to the six hundred Brahmin families residing in Behala around his house. He wanted to prove that by drinking water touched by a Jal-achal caste, he lost nothing. He hoped that if he was not declared out caste by the Brahmins, Pod community will climb one more step towards their upliftment in society.²⁴

Prafulla Chandra Roy from College of Science, 92 upper circular road, Calcutta, in his letter dated 8th July.1924 opined that the Pod community needed a few more leaders to help and strengthen their movement.²⁵ Simon Commission which visited in 1927 accepted the argument of the leaders that adequate representation from the dalit leaders should be secured.²⁶

Bengali Hindu depressed classes were divided again by the Poona Pact of 1932. The Pact induced a feeling of separatism among them, which had never before existed. Even the negotiation between the Ambedkar and Gandhi is well attested area and scholars have discussed how Ambedkar ultimately decided to agree to Poona Pact much against his ideological line under huge pressure. After this the Namasudras and Rajbanshis of North Bengal rigidly excluded other depressed classes who had fought for generations, just like them, for their upliftment. In this respect Tagore has opined that “The dismemberment of a large portion of Hindu society is certainly fatal to its wholeness.”²⁷

From 1923 to 1929 Nerod Behari Mallick, Rebati Mohan Sarkar, Sarat Chandra Bal, Rasik Lal Biswas and many more leaders of the depressed classes, repeated the same feeling regarding education and employment. Bengal Governors Lord Carmichael, Lord Donaldsay, Lord Lytton and Sir Stanly Jackson too urged against disqualification of a candidate because one belonged to some depressed class.²⁸

In 1930, Dr. B. R. Ambedkar and Rao Bahadur Srinivasan were nominated to represent the depressed classes.²⁹ They chalked out a memorandum containing the demands of the depressed classes. The most important among them are :-(1) Right to adequate representation in the legislature of the country's provincial and central Government right to (2) Elect their own representative by (a) adult suffrage; and by (b) Separate electorate.

A depressed class leader told the franchise committee that “ Depressed classes themselves were not homogenous people and it was highly probable that if separate electorate is introduce, some of the well organized and relatively big communities like Namasudras and Rajbanshis would find place in legislature and dominant depressed class politics.”³⁰

Gandhi too voiced that same feeling, “Separate electorate to the untouchables will ensure them bondage in perpetuity. Do you want the untouchable to remain untouchable forever? Well, the separate electorate would perpetuate that stigma.”³¹ But Ambedkar had first demanded separate electorate in his evidence before the Simon Commission in 1928. By that time a National Political Organization of Dalits had come into existence in the form of All India Depressed Association with M.C. Rajah as President and Ambedkar as one of its Vice President.³²

Before all this happened there so many meetings were arranged by so many leaders in several places such as in May-June 1924 (Beng Aswin 1331) a meeting of Poundras was held in Satkhira village of District Khulna. Convener of the meeting was Shri Nakuleshwar Mondal. About 150 Pods attended the meeting. Shri Shib Narayan Bondopadhyay, Purohit of Poundras was the president. Proposals moved were to establish Pathshalas in every village, eradication of illiteracy and mal-practices as untouchability, social reform. Proposals were argued upon by Dwijabar Roy, Rishibar Majhi, Kandaram Mandal, Atul Krishna Mondal and Gyaendra Gyne. Students too argued on the proposals.

In village Kasadia of Midnapur, in a Sunday in October 1924, another meeting was held. Many learned and famous people of Hijli and Keoralal attend it. Hari Krishna Mondal, a famous pleader of Kanthi district discussed about social unity integrity and education. A resolution was taken for protesting against the insulting behaviour of a Mihashya ‘Babu’ to a Poundra of Khejuri. After that the meeting of Khanpukuria of Hasnabad in Basirhat, was called by Ramanath Baidya. It was held in the field in front of Uchha-Prathamik School of Hasnabad Thana. 500 men of the caste, many famous people and representatives of caste Hindu as well as scheduled castes attended it. Kulopurohit of Poundra Kshatriyas as well as their well wisher Bipin Bihari Mukhopadhyay also attended the meeting. Among the proposals keeping unity within the caste was discussed by Parameshwar Mistri. Education was

proposed and discussed by Ramanath Chattopadhyay and Ratikanta Mondal. Members of all castes and dignitaries were present.

Another meeting was held at office of Bharat Bandhu at 43 Choudhury Bagan Lane, Howrah. Leaders of Poundra Kshatriya, Byagrakshatriya, Namasudras, Bhuinmalis, were present to discuss the problems of their respective classes. Resolutions taken in the meeting of Bangiy Janasangha like unity among people of all communities, prohibition on consuming intoxicants, female education, removal of untouchability, participation in Swaraj movement, employment of capable lower caste candidates in government services, construction and establishment of Primary Schools and hostels, non-cooperation with functional working class in case of refusal to work for the depressed class member, forming Hindu Sabha, enjoying rights given according to Shasta's, -all total ten points were argued upon.

In the Pradeshik Sabha of Shirajgunj proposal of Jalachal had been passed and the Sanatanis of Lahore were very furious. But because of not getting favourable response from other quarters, the agitation died-down. The Napits (Narasundar) of Chanditala of Nabadwip had decided that they would let their female folks work for earning. Female would work for females and male for males. They would help each other for upgrading their economic position. This meeting was presided over by Mahamahopadhyay Sitaram Bhattacharya of Nabadwip. This probably was the first recognition of females as earning member as men folk of the community.

Regarding untouchability, Sanat Kumar Sardar of the community mentioned that all lower caste people attend the Pradeshik Hindu Sammelan at Shirajgunj that had unprecedented attendance in the history of then Bengal. Members and leaders and people of all castes including Brahmins, Kshatriya, Kayashtha, Vaidyas, Kamar, Kumbhakar, Sadgop, Tnatubai, Tili, Barujibi, Gandhabanik, Poundrakshatriya, Kapali, Sutradhar, Sahamal, Rajbanshis, Bagdi, Namasudras, Kacharu, Mali, Swarnakar, Patni, Mahishya, Behara, Cahrmar, all attended the Sammelan. Meeting was presided by Zaminder of Pabna, pleader of High Court, and author of law books Sri Shashadhar Roy M.A.B.L. Three proposals of this meeting is worth mentioning: - (1) Getting rid of untouchability and (2) Shudhi and number (3) practice of widow marriage. In this Sammelan Sri Dwigindra Narayan Bhattacharya, a Brahmin by caste proposed to boycott untouchability. It was also mentined that this proposal was being raised since last four years but it was yet to find desirable result.³³

In Bengal Census Report 1844 (Appendix iii)³⁴ Pods were described as agriculturists. After 30 years, in the First Census Report of 1872³⁵ they were mentioned as boating and fishing class. Sir H. Risley, in his book, Tribes and Castes of Bengal, (Published in 1901) said "the great majority of the caste is engaged in agriculture as tenure holders, and occupancy royats. A few have risen to be

Zamindars...Many Pods have taken to trade and goldsmiths, blacksmiths, tinsmiths, carpenters are found among them.”³⁶

Pods wanted to change their name and be called Bratya Kshatriyas. When their wish was not granted, they concentrated on education. By virtue of being educated, wanted to earn fortune and become prosperous. They came to understand, power and prestige would then, automatically follow. In the Census Report of 1931, they were given the status of scheduled caste.³⁷

The second half of the nineteenth century is called the renaissance of lower caste people in India. This is the time when learned man of these castes put up efforts for their upliftment. This phase can be named the phase of self-respect movement. Poundra Kshatriya leader Patiram Roy addressed backward class Hindu conferences in 1940s, organized by the Sangha, where issues like conversion and Suddhi were discussed along with the problems of spreading of Primary Education.”³⁸

In 1939-40 Hindu Mahasabha’s primary concern was to mobilize scheduled castes. Many Hindu leaders hoped that it would find a way out to bridge up the gap between Varna Hindus and the lower castes. Shyama Prosad Mukherjee, Radha Kumud Mukherjee, scheduled caste leader Krishna Pada Samadder, Pod M.L.A Patiram Roy had tried their best to wipe out this line of distinction between the upper and lower caste Hindus. It is beyond the scope of this paper to go into details of this aspect in this paper but one can see that the growing importance of the lower caste in the making of Hindu political mobilisation has been a noticeable development in the first half of the twentieth century.

Endnotes

¹ Halder, Paramanda., *Dharma, Matua*. (1994). *Andolone Sankhipta Itihas*. pp. 9.

² Malley, L. S. S. O. (1998). *Bengal District GEzetteers, 24 Parganas*. Calcutta: Published by Government of Bengal. pp. 106.

³ Census Report of Bengal, (1921). Chap.IX. pp. 358.

⁴ Mahendranath Karan,*Poundra Kshatriys Kulo Pradip*, First Publication 1335 B.S, Publisher Haran Chandra Naskar, Maheshtala, 24 Pargana, p. 274.

⁵ Paramanik, Shyamal. Kumar. (1998). *Poundra Desh O Jatir Itihas*, Publish Chaturtha Dunia, Bhavani Dutta Lane Kolkata-73. p-Author’s column.

⁶ Ibid.p-92-93.

⁷ Mahendranath, Karan. *Op. cit*, p. p. 50-53.

⁸ Pramanik, Shyamal. Kumar. *Op. cit*, pp. 47.

⁹ Ibid, p. 47.

¹⁰ Pramanik, Shyamal, Kumar, *Op. cit.*, pp. 22.

¹¹ Census Report of Bengal, (1921). pp. 365.

¹² Bandyopadhyay, Sekhar. (1990). *Caste, Politics and the Raj, Bengal, 1872-1937* (Kolkata: K. P. Bagchi & Company), pp. 96.

¹³ *Bengalee*, (1910, Oct).

¹⁴ Reports of the Indian Education Commission of, (1882). Chapter IX.

¹⁵ Census Report of, (1911). para 697.

¹⁶ Vide Govt. Resolution No.3435, dated 14 July, 1913 on the Census Report of Bengal.

¹⁷ Census Report of Bengal, 1921, Chap. IX , p. 358.

¹⁸ H.A.F.Lindsay, Under Secy, GB, General (Education), to commissioners, Presidency Division, 5 October 1910, GB, General (Education), File No. 5 E-7, B March 191, Progs, Nos. 233-235. Cited in Sekhar Bandyopadhyay, *Caste, Politics and the Raj*, pp. 148.

¹⁹ Karan, Mahendranath. *Op. cit.*, p. p. 11.

²⁰ Malley, L. S. S. O. *Op. cit.*, p. 106.

²¹ Karan, Mahendranath. *Op. cit.*, p. 274.

²² *Poundra Kshatriya Samachar*, Prothom Borso, Saptam Sankhya *Shravan*-1330-1331 B.S (1923-1924).

²³ Detail about the social reformer leaders of *Poundra Kshatriya society* can be found in "Poundra Desh O Jatir Itihas" by Shyamal Kumar Pramanik. Publish by Usha Ranjan Majumder, BE 260, Saltlake, Kolkata-64.

²⁴ *Poundra Kshatriya Samachar*, Prothom Borso, Astom Sankhya 'Aswin'-1331 B.S /1924.

²⁵ Letter to editor, *Poundra Kshatriya Samachar*, Prothom Borso, Shastho Sankhya *Shravan*-1331 B. S. (1924).

²⁶ India Statutory Commission, London, (1930). Report of the Central Committee, Vol. II, pp. 21-22.

²⁷ Tagores lecture before the students of *Viswabharati*, (1932, September 20).

²⁸ Cited in Hasi Banerjee, 'Casteism in Bengal: the Communal Award and the Poona Pact, 1932', Raj Sekhar Basu & Sanjukta Das Gupta (eds.), *Narratives of the Excluded* , Kolkata, K. P, Bagchi, pp. 83.

²⁹ Indian Round Table Conference Proceedings, (1931). (here after IRTC), Vol.3, London: Minority Committee.pp. 79.

³⁰ 'Liberty', (1932, Febuary 22). cited in Sekhar Bandhapadaky. *Op. cit.*, pp.155.

³¹ IRTC-Progs. (Second Session) Minorities Committee, vol-3, pp. 1384-85.

³² Sekhar Bandyopadhyay, *From Plassey to Partition: A History of Modern India* (New Delhi: Orient Blackswan, 2008), pp. 62.

³³ *Poundra Kshatriya Samachar*, Protom Borhso, Sasto Sankha *Shravan*-1331 B.S (1924).

³⁴ Settlement Report of Mr Bailley of Jala Mutha and Majna Mutha State of Midnapur.

³⁵ Census Report of , (1881). pp. 45.

³⁶ H. Risley, *Tribes and Castes of Bengal*, Vol. II, p.177.

³⁷ Pramanik, Shyamal. Kumar. *Op. cit*, pp. 95.

³⁸ Bandopadhyay, Sekhar. (1997). *Caste, Protest and Identity in Colonial India*, Curzon Press. pp. 214-215.

River Ganga: Past, Present and Sustainable Future

Nidhi Singh^{*}, N. K. Sharma^{*}, R. K. Mall^{*}, M.K. Rai^{1}**

Introduction:

India is blessed with several perennial rivers among one such rivers is the river “Ganga”. River Ganga has been given a very special place in hindu mythology and is entitled as “Maa Ganga”. At the confluence of river Bhagirathi and Alaknanda at Devprayag river Ganga originates. Alaknanda is formed by the snowmelt water at the peaks of Nanda Devi, Trisul, and Kamet while Bhagirathiarises from Gangotri Glacier (Gomukh). Ganga, flows from Uttarakhand to the Bay of Bengal in India and Bangladesh where its main branch is known as Padma. Ganga covers a total of 26.4% geographical area of India and supports 43% population. Its maximum stretch is in Uttar Pradesh where it is supported by 3270MLD water through its tributaries. Origin at an elevation of 3,892 m (12,769 ft). - coordinates 30°59'N 78°55'E. Mouth Ganga Delta - location Bay of Bengal, Bangladesh & India - elevation 0 m (0 ft) - coordinates 22°05'N 90°50'E. Length 2,525km, Basin 907,000 km² (350,195 sq mi) Discharge mouth - average 12,015 m³/s (424,306 cu ft/s). Ancient hindu scriptures describe Ganga as sacred and personified as the goddess Ganga. It is a strong belief among hindus that a holy bath in river Ganga forgives all the sins of a person's live and confer him with “Moksh”. Therefore, ritual bathing and spreading of ashes of the cremated body in Ganga have been an important part of Hindu pilgrimage. The holy towns like Haridwar, Allahabad, and Varanasi have been a fascinating tourist and pilgrimage centre of attraction among pilgrims since time immemorial. Ganga is a perennial river and its flow is supported by several tributaries from both the directions. The major tributaries of Ganga from left side is Mahakali, Karnali, Koshi, Gandak, Ghaghra whereas from right its-Yamuna, Son, Mahananda. Sediment filled plain by Indus and Ganga and their tributaries forms the fertile Indo-Gangetic Plain. Water from river Ganga has long been used for several purposes including drinking, bathing, cooking, agriculture, industries, hydropower etc. Increased human population increased the load of huge water extraction from the river. Moreover, direct release of untreated domestic sewage and industrial effluent created the water pollution in the river. Many enthusiastic government projects like Ganga Action Plan (GAP) started in 1986 failed to solve the problem of pollution and ecological flow in the river. In August2009, with a reconstitution of National Ganga River Basin Authority (NGRBA) GAP was re-launched for effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga.

¹ *IESD, BHU, VARANASI-221005

** MGAHV, WARDHA

History:

River Ganga is designated as the 'born of all the sacred waters'. The goddess Ganga is depicted as wearing a white saree and riding a crocodile in Hindu art and scriptures. The history of Ganga coming on earth dates back to the great mythological king Bhagiratha who wanted his ancestors to reach heaven as 60,000 of King Sagara's sons had been incinerated from the start of the Vedic sage Kapila. When Bhagiratha could not find any solution to this he asked Kapil muni himself that how this might be achieved. He asked him to pray earnestly to Vishnu that continued for a thousand years. Gratified by Bhagiratha's piety, god Vishnu agreed for Ganga to descend to earth where she might wash over the ashes of the 60,000, purify them, and permit them to ascend to heaven. But the flow of Ganga was so high that if it flows freely it would destroy each and everything that comes in its path. To prevent that, Lord Shiva bound the Ganga in his hairs and allowed it to flow softly that cautiously took 1,000 years. Safely arrived on earth, Bhagiratha guided Ganga across India, where she split into many subsidiaries, and successfully washed the ashes of Sagara's ancestors in her sacred waters. Hindus celebrate the *avartana* or descent of the Ganga from heaven to earth as *Ganga Dashahara* in the late May or early June every year.

The Kumbha Mela:

As the water of river Ganga is described divine, it witnesses a history of an extraordinary Kumbha Mela ritual dates back to 7th century CE. It is a celebration where Hindu pilgrims of all status perform a ritual bathing in the holy river to purify body and soul, wash away bad karma, and bring good fortune. Performed every three years, the number of pilgrims varies from 70 to 100 million people claimed to be the largest human gatherings in history.

Rich Biodiversity:

The regions from where Ganga passes are very fertile and rich in biodiversity. It harbours an impressive population of wild Asian elephants (*Elephas maximus*), tigers (*Panthera tigris*), Indian rhinoceros (*Rhinoceros unicornis*), gaurs (*Bos gaurus*), barasinghas (*Rucervus duvaucelii*), sloth bears (*Melursus ursinus*) and Indian lions and a few deer, boars, wildcats, and small numbers of wolves, jackals, and foxes. Sundarban Delta habitats the Bengal Tigers, Crocodiles and barasingha. Importantly, the Sundarbans freshwater swamp ecoregion is nearly extinct. Upper Gangetic Plain embraces tiger, elephant, sloth bear, and chousingha (*Tetracerus quadricornis*) that are threatened. Ganga basin supports a large variety of fishes that are a vital food source for many people. Some famous animals of the Ganga basin are mugger crocodile (*Crocodylus palustris*), gharial (*Gavialis gangeticus*) and freshwater dolphin (*Platanista gangetica gangetica*) (Ganga river dolphin) that was recently declared India's national aquatic animal. In the Bengal area common fish include feather backs (Notopteridae family), barbs

(Cyprinidae), walking catfish (*Clarias batrachus*), gouramis (Anabantidae), and milkfish (*Chanoschanos*). Ganga also inhabits the critically endangered shark (*Glyphis gangeticus*). Myna, parrots, crows, kites, partridges, and fowls, ducks and snipes migrate are some common birds found in Ganga basin. The threatened species of birds include the Great Indian bustard (*Ardeotis nigriceps*) and lesser florican (*Sypheotides indicus*). The upper plains support a tropical moist deciduous forest with sal (*Shorea robusta*) as a climax species. The lower plains contain more open forests dominated by *Bombax ceiba* association with *Albizia procera*, *Duabanga grandiflora*, and *Sterculia villosa*. However, due to increase in population level in the Gangetic basin the flora and fauna are threatened up to the level of extinction.

Arrival of problems:

After the industrialization started in India, the proliferation and diversification of human activities resulted in environmental degradation. Development activities and agriculture threatened the original natural vegetation of the Ganga basin. As a result, more than 95% of the upper Gangetic Plain is tainted or converted to agriculture or urban areas. The extreme pollution levels in Ganga affect the 400 million people who live close to the river. Along its way from the densely populated cities, sewage, industrial waste and religious offerings wrapped in non degradable plastics add large amounts of pollutant ion to the river. Poor people depend on the river water for bathing, washing, and cooking on the daily basis. This transfers the contamination from water to man so that, eighty percent of all illnesses in India and one-third of deaths are attributed to water-borne diseases. The World Bank estimates that in India the costs spend on treatment due to water pollution is equal to 3% of India's GDP. The pollution level and dam construction has threatened the Ganga river dolphin. Their numbers have declined to a quarter than fifteen years back while they have become extinct in major tributaries of Ganga. In the recent survey of World Wildlife Fund found only 3,000 dolphins are left.

The bones and ashes of cremated deceased at ghats are thrown into the Ganga at Varanasi. Due to persistent faith, the uncremated dead bodies of holy men, pregnant women, people with leprosy/chicken pox, cholera epidemic, people bitten by snakes, people committed suicide, the poor, and children fewer than 5 are drowned to decompose in the waters. A partially burned body of poor who can't afford woods to incinerate full body also makes its path to the river. For construction, on a large scale, illegal mining of stones and sands from the river bed pose a serious threat in spite that the quarrying is banned in Kumbh Mela area zone covering 140 km² areas in Haridwar.

Dams and barrages:

The Ganga water is used for agriculture, hydropower generation, large and small scale industries and for domestic and drinking purposes on a large scale. To sustain the supply major barrage at Farakka was opened on 21 April 1975, located at Murshidabad&Malda, West Bengal close to the point where river enters Bangladesh, and the tributary Hooghly continues in West Bengal. Other barrages include Bhimgoda barrage, Haridwar, Uttarakhand, narora barrage, Bulandshahr, UP, Rishikesh barrage, Dehradun, Uttarakhand, the most discussed Tehri Dam was constructed on Bhagirathi River, tributary of the Ganga are the few projects. Disruption in the flow of a river, damage to landscape, water resources, forest cover, and biodiversity, construction in a seismically vulnerable and ecologically fragile zone, increased possibility of landslides, deforestation, increase in invasive species suppressing endemic species or causing them to extinct, submergence of land, evacuation of people are some of the problems that the construction of dams, barrages and hydroelectric project creates. Neglecting the adverse impact, the central electricity authority and the uttarakhand power department have planned 70 projects on its tributaries that may affect 80% of Bhagirathi and 65% of the alaknanda.

Status of pollution in river Ganga:

On the 138 drains monitored by Central Pollution Control Board (CPCB) in Ganga River Catchment indicates that 76 % of the pollution load was contributed by Uttar Pradesh with maximum flow measured in the same. Chhoyia, Permiya, Sisamaunala regions of UP are the major polluters contributing maximum pollution load while in West Bengal maximum 54 point sources were identified. This information indicates that if the pollution load in the major drains of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal is controlled the water quality can indeed be improved. With 57 water monitoring network and monitoring of 9 core parameters regularly by CPCB on river Ganga, it was observed that in upper reaches the contamination was high despite having high oxygenating capacities whereas in the middle part the BOD level increases with almost no flow that peaks in Varanasi. UP have largest 687 gross polluting industries, in which tanneries contribute 8% and sugar, pulp, paper and distillery plants contribute 70 %. When CPCB inspected these plants out of 404 units inspected only 23 required no action.

River is mainly polluted by domestic sewage. From Gangotri to Diamond Harbour the installed capacity of the STPs (Sewage Treatment Plant) is 1208 MLD whereas the sewage load is 2723 MLD creating a gap of 55%. The unofficial data shows that the sewage load is 6087 MLD thus 80% gap is created. According to CPCB, 85% of the river's pollution load is contributed by STPs. In the performance evaluation of 64 STPs capacity utilization in West Bengal needs immediate attention. The STP's at Bhatpara (new), Titograd, Manipur need upgrading. With respect to UP, Jajmau, Dinapur, and Bhagwanpur needs enhancement in its performance. While

in Bihar, treatment plant at Chapara, Patna needs to be made functional. STP at Lakkarghat in Uttarakhand needs performance up gradation as well. In 2013 inspection report of CPCB, out of 64 STPs 51 showed utilization of less than 60% of the installed capacity and 30% of the plants were not in operation.

The amount of sewage generated is calculated as 80% of the supplied water returns as waste water. But, it does not take in to account the water lost in distribution and those used in groundwater. In large populous cities like Kanpur, Allahabad and Varanasi, 70-85% of city lacks working underground drainage system and is not connected to the STPs and therefore sewage water goes directly to the rivers. The next embankment in the way of treatment is the economical costs of STPs that has climbed to Rs 1-1.25crore/MLD from 30 lakhs in 2000.

An estimated of 66% per year incidence of water-borne and enteric diseases were recorded among those who uses river's waters for bathing, washing dishes and brushing teeth. Studies by Indian Council of Medical Research (ICMR) reports that river in Uttar Pradesh, Bihar and Bengal are full of pollutants and those living along it are more prone to cancer than anywhere else in the country. CPCB has monitored 764 grossly polluting industries discharging wastewater to main stem of River Ganga. In terms of number of industrial units, tannery sector is dominating where as in terms of wastewater generation pulp & paper sectors dominate followed by chemical and sugar sector. GPI in Bihar generate minimum wastewater (19%) whereas GPI in West Bengal generate maximum wastewater 75.5% relative to water consumed followed by Uttarakhand (56.7%) and Uttar Pradesh (39%).

Organizational setup:

GOI launched its first phase of ganga Action Plan (GAP) in 1986 to clean the river, that was relaunched in August 2009 with reconstituted National Ganga River Basin Authority (NGRBA) with joint Centre- State structure as a planning, financing, monitoring and coordinating authority for strengthening the collective efforts of the Central and State Governments for effective abatement of pollution and conservation of the Ganga. The Ganga Action Plan was very enthusiastic project but somehow failed to succeed in cleaning the river despite of high expenditure. Some major drawbacks in the GAP phase I and II were that the public was not taken into consideration. The urban and industrial wastes release in the river was not controlled properly. The entry of waste water through drains and sewers were not effectively diverted. Burning dead bodies, throwing carcasses, washing of clothes, immersion of idols and cattle wallowing were not checked, less numbers of public toilets forced open defecation along the riverside. All these made the Action Plan a failure. Moreover, "environmental planning without proper understanding of the human–environment interactions, corruption and a lack of technical knowledge"[c] and "lack of support from religious authorities. “were also attributed to its failure. Now, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation,

Government of India, is responsible for conservation, management and development of water as a national Resource. In 2014 our prime minister of India started the “NamamiGange” an Integrated Ganga Conservation Mission for which union budget allocated Rs. 2037 crore (Rs 1500 crore, Rs. 355 crores for on-going NGRBA projects, 100 crores for project in the tributaries including river Yamuna and Rs. 82 crores for National River Conservation Programme) for Financial year 2014-15. With effect from 01.08.2014 the work of rejuvenation of river Ganga and its tributaries is taken up by Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

One of the important functions of the NGRBA is to prepare and implement a Ganga River Basin Environment Management Plan (GRBEMP) that is done by a Consortium of 7 “Indian Institute of Technology” s (IITs). A Memorandum of Agreement (MoA) was signed between 7 IITs (Bombay, Delhi, Guwahati, Kanpur, Kharagpur, Madras and Roorkee) and MoEF for this purpose on July 6, 2010. For the recovery of a wholesome National River Ganga, the commission of analyzing the environment was broken up into eight Thematic Groups, namely: *Environmental Quality and Pollution; Water Resources Management; Fluvial Geomorphology; Ecology and Biodiversity; Socio-economic and Socio-Cultural; Policy, Law and Governance; Geo-Spatial Database Management; and Communication*. Each thematic study is undertaken by selected IIT faculty members and experts, and 7 important missions were identified in the Plan for focused interventions: “*Aviral Dhara*”, “*NirmalDhara*”, “*Ecological Restoration*”, “*Geological Safeguarding*”, “*Disaster Management*”, “*Sustainable Agriculture*”, and “*Environmental Knowledge-Building and Sensitization*”. Based on the findings, action plans are formulated to counter harmful anthropogenic activities in NRGB and promote helpful activities.

Effects of climate change:

Climate change has emerged as a new problem among the existing ones. Unpredicted rainfall, heavy or extreme rainfall, global warming can decrease the ecological flow of the river, may cause flood and drought, can cause glaciers to melt that will certainly hamper and intervene our planning and implementation to clean river Ganga. To fight with it, in 1988, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) came in existence. In the year 2007, in its fourth assessment report, IPCC stated that the Himalayan glaciers are at risk from global warming that will hamper the ecological flow of river Ganga. To combat the impact of climate change, in the year 2008 prime minister of India launched the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) that will bring speed to law formation, adaptation capacity, disaster management and will help develop the capacity to fight with the anticipated and non anticipated dangers. For this it is important that all the objectives of NAPCC are exercised properly.

Reference:

- Annual Report, 2014-15, “Ministry of Water Resources”. (Annual_Report_2014-15_MWR.pdf)
- CPCB 2013, “Pollution Assessment: River Ganga”, Ministry of Environment and Forest, Government of India, Parivesh Bhavan, East Arjun nagar, Delhi-110032. [¼www.cpcb.nic.in½](http://www.cpcb.nic.in/).
- CPCB-2015, “A plan on conservation of water quality of river Ganga-Segmental approach”, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi-110003. [¼gangasegmentapproach_cpcb_2015.pdf½](http://gangasegmentapproach_cpcb_2015.pdf).
- Ganga Wikipedia, (<https://en.wikipedia.org/wiki/Ganga>).
- GRBEMP 2013 “Ganga River Basin Environment Management Plan: Interim report, GRBEMP Interim: IIT consortium. [¼GRBEMPInterimReport.pdf½](http://GRBEMPInterimReport.pdf).

A Note on the Discipline observed in the Ancient Valabhī University**Dr. Vandana Singh¹**

The University of Valabhī was an important centre of Buddhist learning and it championed the cause of Hinayana Buddhism between 600 CE and 1200 CE. Valabhī was the capital of the Maitraka Empire during the period 480-775 CE. It was an important port for international trade located in Saurashtra and presently it is called Vallabhipur located in Bhavnagar district of Gujarat in western India, identical with the old state of Vala. When Hiuen Tsiang (also known as Xuanzang) visited the university in the middle of the 7th century, there were more than 6000 monks studying in this institution. Some 100 monasteries were provided for their accommodation. The citizens of Valabhi, many of whom were rich and generous, made available the funds necessary for running the institutionⁱ.

The Maitraka kings, who ruled over the country, acted as patrons to the university. They provided enormous grants for the working of the institution and equipping its libraries. I-Tsing records that the graduates of Valabhī displayed their skill in the presence of the royalty, nobles, and other eminent people. The Elders Gunamati and Sthiramati were Nalanda's alumni and were teaching there for a time. They are said to be the founders of Valabhī. As the founders came from Nalanda, Valabhī followed the Nalanda pattern in most of its activities. It flourished from 475 to 1200 A.C.ⁱⁱ.

In 775 CE, the patron kings succumbed to an attack by the Arabs. This gave the university a temporary set-back. Even afterwards the work of the university continued incessantly, as the successors of the Maitraka dynasty continued to patronize it with bountiful donations. The defeat of its patron kings had definitely led way to the slow death of all its educational activities in the 12th centuryⁱⁱⁱ.

The rules of discipline were strictly observed at Valabhī University. As for the priests, we have the testimony of Hiuen-tsang that the "rules of Valabhī were severe and the conduct of the priests was pure and blameless," and the same authority has it that "during 700 years since the foundation of the establishment there has been no single case of guilty rebellion against the rules^{iv}". This is all the more remarkable inasmuch as corporal punishment was unknown at these institutions, and the highest punishment that was inflicted was the expulsion from the institution, a punishment meted out only for serious acts of immorality which were indeed rare occurrences.

Resident monks in the monasteries were divided into classes or grades, the criteria being monastic seniority, knowledge of Tripitaka and high moral character.

¹ UGC Post-doctoral Fellow, Malaviya Centre for Peace Research, UNESCO Chair for Peace, Banaras Hindu University (B.H.U.) Varanasi-221005, U.P., India

Those possessing these merits appear to have enjoyed certain privileges and formed a distinct and upper class among the monks and nuns^v.

(1) With regard to the allotment of rooms in the monastery, the respectable and learned monks were allotted some of the best rooms and servants. Not only “venerable priests, if very learned,” but also “to the elders (sthaviras), better rooms were given and thus gradually to the lowest,” Thus three categories were distinguished in the matter of distribution of cells^{vi}.

(2) The senior monks and the venerable priests used small chairs to sit on at a dinner, while for the junior members of the University; blocks of wood were used instead.

(3) If such men delivered daily lectures or sermons, they were freed from the normal duties imposed upon the monks; while going out, they could ride on sedan chairs, though not on horses.

(4) With respect to the distribution of articles, valuables or other commodities, if they were not sufficient for all the monks of the monastery, only the elders took them.

(5) Seniority was counted from the date and actual, precise time of the ordination (upasampadā); those who had spent ten rain-retreats were designated sthaviras, ‘of settled position’; ordinary monks were called Srāmaneras. A sthavira could live by himself, ‘without living under a teacher’s care,’ while a Srāmanera had to live at least five summers, under the tutelage of some elder.

(6) In ceremonial meets of the monastery, the monks took their seats according to their respective ranks.

(7) Those who were worthy of receiving salutation, did not salute to their juniors or inferiors^{vii}.

(8) In observing the uposatha and the pravāranā ceremonies also, the monks and the nuns preceded or followed each other according to their rank, ‘first bhikhsus, next bhikhsunis, then the lower classes of the members’^{viii}.

A Buddhist monk took with him, while travelling, a jar, a bowl, necessary clothes, hanging them over his shoulders and an umbrella in his hand. “This is the manner of the Buddhist priest in traveling.” Besides these he took a separate jar for unclean water and leather shoes in a bag, at the same time holding a metal-staff and going about at ease.

All the Five Assemblies (parishadas) of the homeless ones had to observe the rain retreat (varsāvāsa). The Brethren in India entered on retreat on the first day of the month of Srāvana and went out of retreat on the last day of the month of Āśvin, which is from July-Aug. to Sept.-Oct (Ibid). It was customary to assign rooms to

every member before the commencement of the season; better rooms were given to the elders and thus gradually to the lowest. A member of the low rank could absent himself in case of necessity by requesting another member to apply for permission on his behalf. If there be a sick person or an emergent affair to be attended to, a member could go off; when anyone wanted to absent oneself from the rain-retreat one has to obtain the permission of the Assembly; the maximum time allowed for stay-out was forty nights. The summer or rain retreat lasted for three months^{ix}.

At the end of the retreat, the community observed Sui-i (lit. according to one's wish) that is pravāranā: pointing out the fault of others, as one likes, according to the three points (i.e. what one has seen, what one has heard, and what one has suspected). Then followed confession and atoning for faults^x

For the offences against Vinaya, the order had a gradation of penalties, for a light offence a reprimand was ordered; for an offence next above this gravity, cessation of oral intercourse with the Brethren was to be added. When the offence was serious, the offender was expelled and excommunicated; expelled from a community, the monk became a miserable vagrant and often returned to the homelife of previous state.

The Uposatha day is the fast-day; it is the day of religious observance, feasting and celebration for the lay-men and the monks. It is a weekly festival when the lay-followers goes to see the monk and takes upon himself the uposatha vows, viz. to observe the eight sīlas during the day.

I-tsing states, 'The host first went to the monks, saluted them and invited them for the festival. Utter cleanliness of utensils, chairs and the dining hall, pure and filtered water, worship of and offerings to the images of sages and caityas preceded the distribution of food at the right time, when the sun was nearly at the zenith^{xi}.' .

Preparation of various food articles like rice, ghee, butter, milk, sugar, fruits, soup and bread was held. After the meal, the host offered gifts of various kinds to the priestly guests; the poor made such gifts as they could afford; a handful of food was also offered to the dead and other spirits; when the meals were over, the dānapati offered tooth-woods to the guests. The guests then thanked the host and read some gāthās from the sutras and gave blessings for the good of the lay-devotee. Before the monks withdrew to their monasteries, they were offered sugar-water and betel-nuts (Sarbat and Supāri) as the finishing items. I-tsing says, "monks as well as lay-men did not take onions and flesh, in exceptional cases, however, these could be used^{xii}.

The monks at Valabhī did not eat their daily food without having first washed; before meals they washed their hands and feet; after meals they cleaned their tongue and teeth with a tooth-wood, and hands with a powder made for the purpose. The ground of the house and the kitchen was strewn with cow-dung, and seats were

arranged at intervals of one cubit so that persons sitting on them did not touch one another^{xiii}.

Every monk kept two jugs, one of pottery or porcelain used for keeping drinking water, and another of iron or copper, employed for storing water for cleansing purposes. As a rule, water was always filtered before use; it was the duty of the chief priest of the monastery to see every morning the water of nearby well and arrange its filtration.

The dress of the monks of Valabhī was usually of orange colour. (Kāsāya); silken and woollen cloth was used in preparing the monk's robes^{xiv}.

Rooms in the Valabhī monasteries were allotted according to the rank of the monks; when a strange monk arrived at a monastery, he was welcomed with due hospitality and supplied with food and bed-gear as suited to his rank. When the monks lodged together, in Valabhī separate beds were allowed in an enclosure made by ropes.

Everyone who fell sick had his food cut off for 7 days; during this interval the patient often recovered, but if he could not regain his health, he would take medicine. Various kinds of medicines and various types of skilled medical doctors were known and available in Valabhī. The Buddhist monks were forbidden to wail aloud over a departed one; on the death of a parent they read a service of gratitude^{xv}.

Endnote:

ⁱ Beal, Samuel. (1914). (Tr.). Shaman Hwui-Li.: The Life of Hiuen-tsang. London: Kegan & Paul, p. 70.

ⁱⁱ Apte, D. G. (1973). Universities in Ancient India. Baroda: Maharaja Sayaji Rao University of Baroda Press. p.130.

ⁱⁱⁱ Ibid.

^{iv} Beal, Samuel. (1914). (Tr.). Shaman Hwui-Li.: The Life of Hiuen-tsang. London: Kegan & Paul, p. 70.

^v Joshi, Lal Mani. (1977). *Studies in the Buddhistic Culture of India*. Delhi: Motilal Banarasidass. p. 77.

^{vi} Takakusu, J. (1956). *The Essentials of Buddhist Philosophy*. Bombay: Asia Publishing House. p. 64.

^{vii} Ibid, p. 115.

^{viii} Joshi, Lal Mani. (1977). *Studies in the Buddhistic Culture of India*. Delhi: Motilal Banarasidass. p. 81.

^{ix} Takakusu, J. (1956). *The Essentials of Buddhist Philosophy*. Bombay: Asia Publishing House. p. 35.

^x Mookerjee, Radha. Kumud. (1989). *Ancient Indian Education*. Delhi: Motilal Banarsidass. p. 248.

^{xi} Takakusu, J. (1956). *The Essentials of Buddhist Philosophy*. Bombay: Asia Publishing House. p. 137-138.

^{xii} Virji, Krishna., & Kumari, J. (1952). *Ancient History of Saurashtra*. Bombay: Konkan Institute of Arts & Sciences. p. 130.

^{xiii} Joshi, Lal. Mani. (1977). *Studies in the Buddhistic Culture of India*. Delhi: Motilal Banarasidass. p. 82.

^{xiv} Takakusu, J. (1956). *The Essentials of Buddhist Philosophy*. Bombay: Asia Publishing House, p. 139.

^{xv} Ibid.

Marginalisation Of Women From Fishing Community : An Experience From West Bengal

Tulika Chakravorty¹ and Sanghamitra Choudhury²

Abstract:

Gender Inequalities and oppressions are the continuous process which is embedded in Indian Socio-Cultural practises. The process of inequalities between men and women in outer and inner world related to all spheres of life, dragged down women's condition and pushed them into the disadvantaged and excluded position as dependent on men. Undermining the actual strength and role of women in overall development of society, women have been tied with household activities, child bearing, nurturing and caring the family only. Situation is more vulnerable when one talks about the women from the weaker section of the society like the women from fishing community. This paper tries to analyse the condition of women from fishing community using the lens of exclusion and marginalisation.

Men and women are shaped and reshaped in terms of socio – cultural and economic and political considerations. The privileged on the one hand, and the unprivileged on the other, along with several individuals, families and groups in between the two poles, constitute the structure of social stratification in all human societies. Anti- change and pro- change processes and factors are at work at any time in the society.

India is the original home of the Mother Goddess. In our ancient Historical times, there were many women scholars and women rulers like Gargi, Apala, Maitrayee, Lopamudra, etc. Instances from mythology and folklore are recounted to prove that women in India have always been honoured and respected. But sadly enough, the situation has been deteriorated. A line from *Manusmriti* clearly narrates her condition and the 'subjugated' position:

*“Her father protects (her) in childhood,
Her husband protects (her) in youth,
And her sons protect (her) in old age;
A woman is never fit for independence.”*

(Shastri, 1997, Ch 9, shloka 3,457)

¹ Doctoral Scholar, Dept. Of Peace and Conflict Studies and Management, Sikkim University, India.

² Assistant Professor, Dept. Of Peace and Conflict Studies and Management, Sikkim University, India

Women's stereotyped role has manifold and multiplied impacts on their health, nutrition, education and overall development. Gender gaps in access to resources are rooted in social and cultural practices. Women have to bear the tremendous cost for the existing inequalities which affects the entire generation in the long run.

In India, sons are brought up in such a way that they are the ones entitled for freedom. On the contrary, it is expected that our daughters have to be obedient and submissive. It is a common practice that a daughter will spend three quarters of an hour more than her brother on household work. She will receive less food and less medical attention in comparison to him. She is less likely to be educated, and while primary school enrolment rates are higher, the secondary school dropout rate for girls are really alarming. They are pulled out of school for a variety of reasons. Poverty is one of them. They are married off early or they drop out because the schools they attend do not have separate toilet facilities and so, after puberty, they find it impossible to attend school. Thus percentage of women in higher education is very less compared to their male counterparts.

It is true that hardships and sufferings experienced by women of all communities cannot be swept under the carpet nor glossed over with the rhetoric of freedom of religion. However, placed in the unenviable position of juxtaposing women's right and minority rights, the demand for legal equality can no longer be limited to a simple and straight forward task of preparing a model draft which ensures uniform rights to women of all communities.

The challenge today is to release matrimonial laws from their narrow and archaic confines of marriage defined as more marital conjugality and the consequential presumption of divorce as a termination of this conjugality. We need to broaden its scope to encompass the economic rights of women and children who are trapped within a complex socio-economic system.

Women and Marginalisation:

The nature of formation of Indian society reflects the structure of inequalities or equalities in different domains of social life. Prior to independence, the colonial/feudal formation structured social relations and positions. A challenge to such a structuring emanated from India's Independence in the form of values of equality and democracy (Sharma, 2011, 2). Social stratification refers to the structure and process of allocation and distribution of resources, and to the rationale of decision – making about structuring of high and low positions (ibid, 2) including gender.

India has been a 'just society' or not – is a debatable question particularly in the case of women. A 'just society' provides equal access to different occupations and positions and also equal shares of resources (Rawls, 1999, 3 – 5). And such a society

does not ignore the special contributions of some members on the one hand, and goodness of the worst off sections of the society on the other.

The main questions regarding women's subjugation are: Why women are continually seen as 'Objects'? What makes society to see them as such? Why reproduction, sexuality and socialisation of children are considered as obligations and duties of women? What are the visible and invisible aspects in everyday life of a woman which make her subordinate to a man? What is the real and imagined nature of man – woman relations? Why reforms, legislations and movements have not produced desired results? (Sharma, 2011,105-6).

The phenomena of non- participation may arise several conditions and get operationalised through several processes. The dominated groups may not be provided with adequate social, economic and political opportunities in acquiring the desired potential for full participation in decision-making, having access to the source of power, and in sharing of societal, economic and other resources. Hence, the marginalised may have the desire for full participation but lack the opportunities for the same (Germani, 1980). As most of the Indian women are apart from main course of the societal life after having desire of taking participation.

Marginalisation is again examined in reference to a continuum in society running through inclusion, marginality and exclusion (Luhmann, 1982). An individual is situated depends to a large extent on his or overall possession of and capacity to mobilize not only economic resources, but also social, cultural and symbolic resources (Moller, 1998, 6-21).

Marginalisation as a process is conceptualised as cumulatively acquired and spatially related phenomena of social, economic cultural and political denials and deprivations, in – securities and uncertainty, hierarchy and domination which get legitimized and reproduces by the functioning of several normative and societal arrangements to relegate several sections of the population at the social margin despite their protests and resistance (Singharoy, 2010, 48). As women are deprived for living qualitative life.

The capability approach is a conceptual framework developed by Amartya Sen and Martha Nussbaum for evaluating social states in terms of human well being and quality of life. It emphasises functional capabilities, these are constructed in terms of the substantive freedoms people have reason to value, instead of utility or access to resources. Someone could be deprived of such capabilities in many ways, e.g. by ignorance, government oppression, lack of financial resources, or false consciousness (Chakravorty, 2014, 99). This approach to human well being emphasises the importance of freedom of choice, individual heterogeneity and the multi-dimensional nature of welfare (Sen, 2004, 30-53).

Nussbaum frames these basic principles in terms of ten capabilities of women, i.e. real opportunities based on personal and social circumstances (Nussbaum, 2000, 312). The ten capabilities are- Being able live to the end of human life, being able to have good health with adequate shelter, to move freely with security against violent assault, sexual assault and domestic assault, being able to think, imagine and reason with freedom of choice of religion, literature and so forth, being able to attach oneself to things and people, ability to form a conception of good with critical reflection, ability to live towards others and to recognise with showing concern for others, and having ability to live with other species like animals, plants and the world of nature. Thus these are the indicators of female well being, women who would not capable to be fit in these indicators, are forced to be stick on the margins of the periphery.

Social exclusion revolves around social identities of people or groups and reflects the cultural devaluation of people based on their identities like Caste, ethnicity, religion and gender (Kabeer, 2000, 83-97).

In India, a study by the Washington based International Centre for Research on Women and the United Nations Population Fund found that more than half of the women surveyed said they had experienced some form of violence during their life time. In the same survey, Over 60% of the men admitted to some form of violence against their wife or partner. Globally, according to the World Health Organisation, 35% of women have experienced either intimate partner violence or non – partner sexual violence in their lifetime. Crimes against women increase 69% in India over the last decade. That includes molestation, rape, domestic violence, and so on. This figure does not include marital rape, which is not recognised as a crime in India.

In India, women are subjected to violence even before they are born. An estimated 1300 females foetuses “goes missing” everyday. The national sex ratio, according to government figures for 2011, stood at 914 girls aged 0-6 for every 1000 boys of the same age. A cultural preference for sons along with the increasing availability of pre-natal sex screening, which is officially banned in the country, has led to a worsening of the ratio in the age group of 0-6, even as the ratio for the population as a whole has increased. A society that is dominated by men in terms of numbers is not likely to be in any hurry to end systematic discrimination against women (Bhandare, 2015,1-4).

Studies have portayed that violence against women is closely associated with the complex social conditions such as gender inequality, poverty, lack of education, child mortality, maternal ill-health, HIV (Human immunodeficiency virus) / AIDS (acquired immune deficiency syndrome), and resulting poor quality of life suffered by women who cannot take part in the development process (Maity,2014,384).. In the Indian context (Louis, 2007, 1-12) the following groups are recognised as the excluded and marginalised groups such as Dalits/untouchables/lower castes, Tribals/

Adivasis/Indigenous Peoples, religious and linguistic minorities, the most backward castes, especially women and children among these social groups. Sectoral Groups such as agricultural labourers, marginalised farmers, child labourers, domestic workers, informal workers/unorganised sector workers, contract workers, plantation workers, fisher communities, manual scavengers, rural and forest based communities, vernacular speaking social groups, people with disability are also comes under the broad concept of 'excluded' and 'marginalised'. It has been found from the field work that women from lower castes and specially some communities like fishing communities are doubly marginalised. The objective of this paper is to highlight the position of women of fishing community in West Bengal using the lens of these two concepts: Exclusion and marginalisation.

Women in Indian Constitution:

The Indian Constitution is one of the most progressive in the world, and guarantees equal rights for men and women.

The Constitution of India guarantees to all India women

- Equality before the law. Article 14
- No discrimination by the state on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of these. Article 15(1)
- Special provisions to be made by the State in favour of women and children. Article 15(3)
- Equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. Article 16
- State policy to be directed to securing for men and women equally, the right to an adequate means of livelihood. Article 39(a)
- Equal pay for equal work for both men and women. Article 39 (d)
- Provisions to be made by the state for securing just and humane conditions of work and for maternity relief. Article 42
- To promote harmony and to renounce practices derogatory to the dignity of women. Article 51(A) (e) (Sen and Kumar, 2001, 7).

However, in reality, hardly one can see the implications of these provisions enshrined in the Constitution. The core elements of marginalisation of women are transmitted from one generation to another. Reproductive capability and biological constitution make women susceptible to all kinds of exploitations and sexual abuses. Marginalisation continues with the realities of contemporary social, economic, cultural and political marginalities and have strong positive correlation with illiteracy, low training opportunities, low levels of capacity building and social and human development. These deprivations would contribute in lack of access to new livelihood options, lack of effective political participations, sustenance of poverty, unemployment, ill – health many other related deprivations.

Women of fishing community in West Bengal:

In a caste based stratified society in West Bengal, with persisting economic backwardness and social inequality, marginalisation of a vast section of population has remained attached to its social structure. Herein the interrelated dynamics of denial, deprivation, insecurities, social hierarchies and political dominations have generated rampant poverty, unemployment, illiteracy, ill – health, and downward mobility of vast section of population (Singharoy,2010,51). Women are the most excluded and discriminated segment of the population. The process of marginalisation and exclusion of women can be seen at various levels i.e., in family, society, workplace and all spheres of life. However, women of some particular marginalised communities like fishing community is more marginalised than other ‘ women’ in society.

West Bengal is the fourth most populated state situated in the Eastern Region of India, 91.34 million people stay in the State. It is 2.7% of India's area but about 7.55% of the country's population. This state ranks first in terms of density of 1029 per sq. km as per the 2011 census which is greater than 904 per sq. km in 2001 census. The state holds seventh position in respect of world's population (www.mapsofindia.com). The state consists of 48.63% of female population the boundaries of the state are Nepal, Bhutan and the Sikkim on the North, Goalpara district of Assam and Bangladesh on the East, Orissa and the Bay of Bengal on the South and Bihar on the West.

Fishery is considered as one of the most prosperous industries in India. West Bengal is the second biggest fish producer state in India after Andhra Pradesh (Department of Fisheries, 2015,67). Among the population of the 91.34 million people of West Bengal, (census, 2011) more than 2.9 million are fisher folk.

Fishing communities in West Bengal are quite widespread. Fishing communities adjacent to coastal areas are facing different kinds of problems rather than those who are located and working in inland waters. Security issues are problematic for coastal fishing communities whereas receding up of rivers are the main problems for inland fishing communities. Because of varied problems that they encounter in everyday life, the fishing communities located in various parts of West Bengal faces lots of challenges.

In fact, many a times, they are forced to leave their occupation and find some other livelihood alternatives. Conditions of their female counterparts are more poor and precarious in most of the times. Due to nature of their work with low income, women are forced to look for alternative source for livelihood, apart from helping their male counterparts in fishing. They have to participate in income generating activities which has created a kind of triple burden for them. As a women in general, as a helping hand of their husbands for running their families and as a women from

the marginalised community such as women from fishing community who is forced to look for alternative source of livelihood due to her poor and vulnerable status.

In West Bengal total fisher folk population is 2945941 (in lakh) including male and female. Out of which 1295836 (in lakh) is the female population. The sex ratio of the population is 880 (census, 2011) which is lower than 894 according to the census 2001. The given figures shows how the female population in fishing community is decreasing in West Bengal. The root cause of this declining figure is marginalisation as exclusion from proper health facilities, proper education, proper awareness, proper social activities and due to poverty.

In India, the female work participation rate registered an increase from 22.3 percent in 1991 to 25.6 percent in 2011. While women's work share in organised sector is only 14.7 percent rather than men's 45.1 percent. Whereas in unorganised sector women's participation is 11 percent and men's 6.6 percent (Census of India, 2011). That shows female work participation in unorganised sector is more than men. But fishing is that occupation in unorganised sector that have not any strong data regarding women's participation in fishing based activities in West Bengal. So, women of this community are quite marginalised in West Bengal. While, It is said that 'unorganised sector in India is the women's sector' (Singh Mor, 2001, 31-32).

Most of the women play secondary role in fishing. They mend nets, selling fish door to door, involve in processing fish and assisting their male counterparts in fishing related activities.. Women of such community are still quite behind of their men counterparts in the area of education and economic empowerment. They usually have less access to medical care, property ownership, credit training, and in employment. They are far less likely to be politically active and far more likely to be victims of domestic violence as compared to men. Almost 95% of women of fishing community are facing violence in different forms in their lives in West Bengal.

Due to increasing poverty level, more women from this community are migrating as domestic workers. Mostly they have to leave their places and families for earning their breads, in that situation they have to face several kinds of violence. If they stay at their places, in that case also they are suffering with different sorts of violence. Despite of urbanisation and development women of fishing community is still double marginalised and excluded.

Situations are not different if we can see the status of women of fishing community in health and education. Most of the women can not avail the health facilities. Due to tremendous uses of water they have fungal infections in their hands and foots. Marrying at the age of 15- 16, becoming mother at very small age, they face

lots of health problems and infections. Very few women have institutional birth, mostly they deliver babies at their homes by untrained nurses.

In the case of education, due to poverty and societal stigma, women from fishing community in West Bengal cannot complete their school education. They have to marry at the age 15-16 maximum. Their parents cannot afford their education. They hardly complete class 5 or 8 and after that they do their household activities and helping their mothers. After puberty they are forced to marry with a person, selected by their parents.

It has been observed that the sex ratio is decreasing for fishing communities in West Bengal which was 898 as per Census of India, 2001. Now it is decreasing as 880 as on 31.03.2013 (Department of Fisheries, Government of West Bengal, 2015,74). It has been noticed that generally the sex ratio is lower in fishing communities, than in another communities. With the vanishing part how these communities can be developed and how Sustainable Development will be possible.

In West Bengal, fishers are part of the existing cast hierarchy. Thereby, belonging from a lower strata of the caste hierarchy, this community faces lots of social barrier and deprivations. The people belonging to fishing community are, by and large, not only economically weak in terms of earning and availability of work, the majority of them are not able to procure the minimum nourishment level to have a normal healthy life and the conditions of their women are even worse and precarious. Poverty, gender and violence create a vicious nexus of powerlessness, frustration, anxiety, depression and anger amongst the fishing women folks

There are great connection between female empowerment and sustainable development of livelihood in fisheries. Social recognition and upgrading of the women's roles are proposed as important elements for the transition from crisis to sustainable development in fisheries. The lack of fisher's organisation, integration and confidence to present institutions do not often allow community members to believe that somebody could do something for them in terms of development, rights, dignity or citizenship. The fact is that fisher's organisational structure even though old is not well developed, perhaps because it was originally based in authoritarian and corporativism. (Gasalla, 2002, 1-10).

Role of Women of Fishing community in West Bengal and Sustainable Development:

India, having agriculture as the main occupation and women playing a significant and crucial role in it, is also not an exception. In agriculture, their contributions are at least quantified and are found to be about 50 percent, whereas in fisheries, their picture is not at all visible and their cry is not louder enough to catch

the attention of the outer world (Ashaletta et. al.,2002, 21-43). In West Bengal situations are not apart from this.

There is hardly any authentic figure available on the number of women involved in fisheries-related work, though it is well known that women play important roles in the sector but invisibly. Nilanjana Biswas, revealed the research on women in the fisheries which shows outstanding amount of work that women do in the sector and the various forces that shape the conditions under which this work is done (Biswas, 2011, 41), This stands in direct contrast to the widespread invisibility of women. Sadeka Halim ,addressed women as great contributor to the fishing economy, either directly by harvesting, processing and marketing or indirectly by providing vital extra income, food crops and a lot of supporting activities that ensure the well being of the family(Halim, 2004,1-11).

West Bengal is the second largest fish producing state and accounts for about 20 percent of the total fish production of over nine million tons in India. In fishing communities, the household often functions as an economic unit, and the roles of men and women tend to be complementary, with women controlling land based activities, such as net weaving, processing and marketing of fish, while men engage in fish harvesting. At the same time, women remain responsible for sustaining the fishing household and maintaining community networks and support structures.

Women play a great role in fishing community as playing primary role as fish worker and secondary role for Sustainable Development of their livelihood in West Bengal. Their roles in this sector are as follows:

- As workers (paid and unpaid) within the fisheries, in pre- and post-harvest activities, includes liaisoning work with institutions and agencies.
- As workers in seafood processing plants.
- As workers in Shrimp Cultivation.
- As caregivers and nurturers of the family and in maintaining social networks and the culture of the community.
- As workers in non-fisheries sectors to supplement the household income, and the often erratic returns from the fisher.
- As members of fish worker movements and fishers' organizations.
- As helping hand of their male counterparts.
- As seller by selling fish door to door.
- As paid domestic workers.

In general, while the exact nature of women's work differs by culture and region and between rural and urban areas, the common factor is that it is rarely seen as "productive". It has low social value and is normally seen as an extension of the "domestic" space. Negligible value is attached to the domestic and community tasks

performed by women. Whereas there have been some changes due to development process as ICSF pointed out the issue, Developments in fisheries and technology have led to a change in the division of labour and the nature of work undertaken by women, which has implications for gender relations. For example, machine – made net have almost completely displaced the hand – woven nets made by women (ICSF, 2010, 9).

In reality, however, through their participation, women have strengthened fishworker's organizations and broadened their agendas. Apart from bringing in issues of concern to themselves as workers in the fisheries, they have, more significantly, raised concerns about the quality of life in fishing communities, focusing on access to health, sanitation and education. Women have brought in a community perspective to fisheries issues. Their ability to perform multi-faceted roles, straddle the home, the family, the community and the workplace and thus they play a great role in making their livelihood sustainable that leads the community as well as society towards Sustainable Development.



Steps to be taken for inclusion of women

Source: www.publicwebsite.idrc.ca

It is important to highlight these issues, because women's issue should be dealt with carefully and their needs to be addressed in policy planning and implementation (Choudhury, 2013, 40-45) because women are also the agents of development along with their male counterparts. The authors have come up with a few suggestions for inclusion of women in the mainstream which can be enlisted as follows:

- Gender awareness and knowledge among the socially and economically deprived groups are to be built to increase their self esteem and confidence which is a prerequisite for development.
- Education is the key to achieve Sustainable Social Development by improving the wellbeing of girls and women from fishing community and thus promoting gender equity and making their livelihood durable.
- The various social, psychological, institutional and economic issues challenging empowerment of fisherwomen have to be seriously taken into consideration while chalking out the new development strategies. Policy makers need to pay sufficient attention for identifying the needs of

fisherwomen and thereby generating women – friendly technologies which leads to Sustainable Development in the context of their livelihood.

- The creation of a gendered, democratic, secure and equal society , the state requires the inculcation and incorporation of feminine values, of collective empowerment, of collective rights and duties instead of domination and control of the state institutions and structures. This can begin by relocating women into the state discourse (Mohsin, 2005, 152).
- Focus and publicity of root cause and mechanisms of different forms of crimes against women, which will involve analysis followed by advocacy and awareness campaigns. As Professor Amartya Sen emphasize, ‘There are no good reasons to abandon the understanding that the impact of women empowerment in enhancing the voice and influence of women does help to reduce gender inequality of many different kinds, and can also reduce the indirect penalty that men suffer from the subjugation of women’ (Sen, 2001,).
- Empowerment of women may be achieved when civil society and women themselves would commit sincerely towards women’s needs and their proper management. As a great saint swami Vivekananda addressed women for being leader and hold leadership.
- Caring and sharing principles should be nurtured in the society through equal participation.
- Media should also influence public attitudes through leaders and jointly creating more pressure on policymakers for upliftment of women of marginalised communities like fishing communities.
- Some user friendly services should be provided to the women from marginalised communities like alternative vocational trainings, credit trainings, small bank loans etc.

Conclusion

Despite India’s record of rapid economic growth and poverty reduction over recent decades, rising inequality in the country has been a subject of concern among policymakers, academics and activists alike. Marginalisation in India focuses on social exclusion, which has its roots in India’s historical divisions along lines of caste, tribe and the excluded sex, that is women. These inequalities are structural in nature and have kept entire groups trapped, unable to take advantage of opportunities at economic growth offers. Culturally rooted systems perpetuate inequality and rather than a culture of poverty that afflicts women, it is in fact, these inequality traps prevent the poor women from breaking out. The women often experience triple burden, for securing their livelihoods and for their household duties and last but not the least being a women. While competing with these problems they have to face violence in different manner from their homes to their work place: being a daughter, being a

sister, being a wife, being a mother, being a labourer, being a domestic helping hand in the neighbouring households.

Sustainable Development is a holistic phenomenon for development. Being almost 48% of the total Fisher Folk population in West Bengal, the overall development of the women cannot be ignored. We cannot visualise sustainable development of fishing community without having the development of women. Women play multiple roles for overall development of their community.

A feminist perspective seeks to reshape gender relations by questioning the dominant discourse and those who set its terms. Gender issues thus focus not only on women, but on the relationship between men and women, their roles, rights and responsibilities, while acknowledging that these vary within and between cultures as well as by class, race, ethnicity, age and marital status.. The least we can do is to strive for utmost justice, ethics and morality in our life and work, to create a world for all, to live life with dignity, respect and freedom.

References:

- Ashaletha, S. et.al. (2002). Changing roles of Fisherwomen of India – Issues and Perspectives’, Proceedings of International Conference on *Women in Fisheries*, accessed on 12.5.2014 <http://eprints.cmfri.org.in/5646>.
- Béné, C. And Friend, R. M. (2009). Water, poverty and inland fisheries: lessons from Africa and Asia’, in *Water International*, Vol.34, No. 1, pp. 47-61.
- Bhandare, Namita. (9 March,2015).*What Changed After December2012*, Live Mint, accessed on 9.03.15.
- Biswas, Nilanjana. (2011). Turning the tide: Women’s lives in the fisheries and the assault of capital’, in *Occasional Paper*, p. 41, ICSF, Chennai.
- Brundtland Commission. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, UNO, New York.
- Food and Agriculture Organisation (FAO). (2008). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2004 (SOFIA)*, FAO, Rome.
- Chakravorty, Tulika. (2014). Women of India: Social Exclusion Perspective. in *Reyono*, Vol. 3, (Issue 1), Jan 2014,97-116.
- Chakravorty, Tulika. (2014). Role of Hindu Code Bill between exclusion and inclusion of women in India. in *Sanshodhan*, Vol. 3, 2013-2014, 130-133.

- Chambers, Robert., & Gordan, R. Conway. (1991). Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century,' *IDS Discussion Paper* 296, Brighton, U. K., 1.
- Choudhury, Sanghamitra. (2013). Gender Discrimination and Social Exclusion: Assam Experience', *IJDS* Vol.V, Issue-1.40-45.
- Dutta, Anindita, Sinha, Sachidanand. (1997). Gender Disparities in Social Wellbeing: An Overview. *Indian journal of Gender Studies*, Vol-4, Issue 1, 51-65.
- FAO, 2015, 'The Sustainable Livelihood Approach', *Dept of Fisheries and Aquaculture*, [ttp://www.fao.org/fishery/topic/14837/en](http://www.fao.org/fishery/topic/14837/en). accessed on 06.03.2015,
- Gasalla, Maria A. (2002). Women on the Water? The Participation of Women in Seagoing Fishing off South Eastern Brazil. paper prepared for the International Workshop on *Gender, Fisheries and Aquaculture: Social Capital and Knowledge for the transition towards Sustainable Use of Aquatic Eco – Systems*, European Commission's Directorate General for Research, Brussels, 1-10.
- Germani, G. (1980). *Marginality*, New Jersey: Transaction Books.
- Government of India. (2001). *Census of India*, Registrar General of Population, New Delhi.
- Government of India. (2011). *Census of India*, Registrar General of Population, New Delhi.
- Government of West Bengal. (2015). *Hand Book of Fisheries Statistics 2013-2014*, Department of Fisheries, Kolkata.
- Halim, Sadeka. (2004). Marginalisation or Empowerment? Women's involvement in shrimp cultivation and shrimp processing plants in Bangladesh', in Kazi Tabarak Hossain (eds.), *Women, Gender and discrimination*, University of Rajshahi, 1-11.
- Kabeer, Naila. (2000). *Social Exclusion, Poverty and Discrimination: Towards an analytical Framework*, *IDS Bulletin*, 31(4):83-97.
- Lakra, Christopher. (2010). Poverty and Sustainable Development: Concepts Issues Concerns and Challenges. in Archana Sinha (ed.) *Sustaining Communities Strategies for Sustainable Community Development*. New Delhi: Indian Social Institute.
- Louis, Prakash. (2007). Social Exclusion: A Conceptual and theoretical framework. Paper presented at National Conference on *What it takes to eradicate poverty*, PACS Programme, New Delhi, accessed on 4.5.2014 <http://www.pacsindia.org/news-articles/social-exclusion-paper>, 1-12.

- Luhman, N. (1982). *Differentiation of society*, New York: University of Columbia Press.
- Maiti, Sameera. (2014). A Tough Road Ahead: Intimate Partner Violence During Pregnancy- A Study in Rural Uttar Pradesh. in *Sociological Bulletin*, 63 (3), September- December 2014.
- Mazumdar, Vina., & Kumud, Sharma. (1990). Sexual Division of Labour and the Subordination of Women: A Reappraisal from India. in Tinker Irene (ed.), *Persistent Inequalities: Women and World Development*. New York: Oxford University Press,
- Mukhopadhyay, Lipi. (2007). Consequences of Gender Inequality in Development’, in Sanchari Roy Mukherjee eds. *Indian Women Broken Words, Distant Dream*. Kolkata: Levant Books. 72-86.
- Moller, I. H. (1998). *Understanding Integration and Differentiation: Inclusion, Marginalisation and Exclusion*.
- <http://www.eurozine.com/articles/2002-06-21-moller-en.html>.
- Mohsin, Amena. (2005). Silence and Marginality: Gendered Security and the Nation. State. in Farah Faisal and Swarna Rajagopalan (eds.) *Women, Security, South Asia A Clearing in the Thicket*, Sage Publications, New Delhi: 134 – 153.
- Nussbaum, Martha C. (2000). Women and Human development-The Capabilities Approach’, *Introduction: Feminism and International Development*. U.K: Cambridge U.P.312.
- Rawls, John. (1999). *A Theory of Justice* (Rev ed.), Oxford: Oxford University Press.
- Samantha, R. K. (1995). Improving women farmer’s access to extension services. in Samantha, R. K. (ed.), *Women in agriculture – perspective, issues and experiences*, New Delhi: M. D. Publications.1-23.
- Sastri, Margovind. (1997). The Manusmriti’ (Hindi), in Gopal Sastri Nene (ed.), *The Manusmriti*, Varanasi: Chaubhamba Sanskrit Sansthan.
- Sen, Amartya. (2004). *The quality of life*. New York: Routledge. 30–53.
- Sen, Kalyani. Menon., & A, k. Shiva. Kumar. (2001). *Women in India How Free? How Equal?*. New Delhi: India: Mensa Computers Pvt. Ltd. 7.

- Sen, Amartya. (2001). Many Faces of Gender Inequality,' *Frontline*, November, 2001, Vol- 8, (Issue-22), accessed on 07.03.2015, <http://www.frontline.in/static/html/fl1822/18220040.html>.
- Sharma, K. L. (2011). *Culture, Stratification and Development*, Rawat Publication, Jaipur.
- Singh, Mor. D. P., (2001, December). Women and the Unorganised Sector, *Social Welfare*, 31-32.
- Singharoy, Debal. K. (2010). Marginalisation and the Marginalised: Reflections on the Relational- Cumulative Dynamics' in Debal K. Singharoy (eds.), *Surviving Against Odds The Marginalised in a Globalizing World*, New Delhi: Manohar Publishers and Distributors. 37-72.
- UNDP, (1996). *Human Development Report*. New Delhi: Oxford University Press.
- United Nations Organisations. (1994). *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, UN High Commission for Human Rights, Geneva.
- UNO. (2001). *Universal Declaration of Cultural Diversity*, Paris: UNESCO,

NOTES FOR AUTHORS, The Equanimist...A peer reviewed Journal

1. Submissions

Authors should send all submissions and resubmissions to theequanimist@gmail.com. Some articles are dealt with by the editor immediately, but most are read by outside referees. For submissions that are sent to referees, we try to complete the evaluation process within three months. As a general rule, **The Equanimist** operates a double-blind peer review process in which the reviewer's name is withheld from the author and the author's name is withheld from the reviewer. Reviewers may at their own discretion opt to reveal their name to the author in their review, but our standard policy is for both identities to remain concealed. Absolute technical requirements in the first round are: ample line spacing throughout (1.5 or double), an abstract, adequate documentation using the author-date citation system and an alphabetical reference list, and a word count on the front page (include all elements in the word count). Regular articles are restricted to an absolute maximum of 10,000 words, including all elements (title page, abstract, notes, references, tables, biographical statement, etc.).

2. Types of articles

In addition to Regular Articles, **The Equanimist** publishes the Viewpoint column with research-based policy articles, Review Essays, Book Review and Special Data Features.

3. The manuscript

The final version of the manuscript should contain, in this order:

- (a) title page with name(s) of the author(s), affiliation
- (b) abstract
- (c) main text
- (d) list of references
- (e) biographical statement(s)
- (f) tables and figures in separate documents
- (g) notes (either footnotes or endnotes are acceptable)

Authors must check the final version of their manuscripts. against these notes before sending it to us.

The text should be left justified, with an ample left margin. Avoid hyphenation. Throughout the manuscripts, set line spacing to 1.5 or double.

The final manuscript should be submitted in MS Word for Windows.

4. Language

The Equanimist is a Bilingual Journal, i.e. English and हिंदी. The main objective of an academic journal is to communicate clearly with an international audience.

Elegance in style is a secondary aim: the basic criterion should be clarity of expression. We allow UK as well as US spelling, as long as there is consistency within the article. You are welcome to indicate on the front page whether you prefer UK or US spelling. For UK spelling we use -ize [standardize, normalize] but -yse [analyse, paralyse]. For US spelling, -ize/-yse are the standard [civilize/analyze]. Note also that with US standard we use the serial comma (red, white, and blue). We encourage gender-neutral language wherever possible. Numbers higher than ten should be expressed as figures (e.g. five, eight, ten, but 21, 99, 100); the % sign is used rather than the word 'percent' (0.3%, 3%, 30%). Underlining (for italics) should be used sparingly. Commonly used non-English expressions, like *ad hoc* and *raison d'être*, should not be italicized.

5. The abstract

The abstract should be in the range of 200–300 words. For very short articles, a shorter abstract may suffice. The abstract is an important part of the article. It should summarize the actual content of the article, rather than merely relate what subject the article deals with. It is more important to state an interesting finding than to detail the kind of data used: instead of 'the hypothesis was tested', the outcome of the test should be stated. Abstracts should be

written in the present tense and in the third person (This article deals with...) or passive (... is discussed and rejected). Please consider carefully what terms to include in order to increase the visibility of the abstract in electronic searches.

6. Title and headings

The main title of the article should appear at the top of pg. 1, followed by the author's name and institutional affiliation. The title should be short, but informative. All sections of the article (including the introduction) should have principal subheads. The sections are not numbered. This makes it all the more important to distinguish between levels of subheads in the manuscripts – preferably by typographical means.

7. Notes

Notes should be used only where substantive information is conveyed to the reader. Mere literature references should normally not necessitate separate notes; see the section on references below. Notes are numbered with Arabic numerals. Authors should insert notes by using the footnote/endnote function in MS Word.

8. Tables

Each Table should be self-explanatory as far as possible. The heading should be fairly brief, but additional explanatory material may be added in notes which will appear immediately below the Table. Such notes should be clearly set off from the rest of the text. The table should be numbered with a Roman numeral, and printed on a separate page.

9. Figures

The same comments apply, except that Figures are numbered with Arabic numerals. Figure headings are also placed below the Figure. Example: Figure 1.

10. References

References should be in a separate alphabetical list; they should not be incorporated in the notes. Use the APA form of reference

11. Biographical statement

The biosketch in **The Equanimist** appears immediately after the references. It should be brief and include year of birth, highest academic degree, year achieved, where obtained, position and current institutional affiliation. In addition authors may indicate their present main research interest or recent (co-)authored or edited books as well as other institutional affiliations which have occupied a major portion of their professional lives. But we are not asking for a complete CV.

12. Proofs and reprints

Author's proofs will be e-mailed directly from the publishers, in pdf format. If the article is co-authored, the proofs will normally be sent to the author who submitted the manuscripts. (corresponding author). If the e-mail address of the corresponding author is likely to change within the next 6–9 months, it is in the author's own interest (as well as ours) to inform us: editor's queries, proofs and pdf reprints will be sent to this e-mail address. All authors (corresponding authors and their co-authors) will receive one PDF copy of their article by email.

13. Copyright

The responsibility for not violating copyright in the quotations of a published article rests with the author(s). It is not necessary to obtain permission for a brief quote from an academic article or book. However, with a long quote or a Figure or a Table, written permission must be obtained. The author must consult the original source to find out whether the copyright is held by the author, the journal or the publisher, and contact the appropriate person or institution. In the event that reprinting requires a fee, we must have written confirmation that the author is prepared to cover the expense. With literary quotations, conditions are much stricter. Even a single verse from a poem may require permission.

THE Equanimist

A peer reviewed journal

SUBSCRIPTION ORDER FORM

1. NAME.....
.....
2. ADDRESS.....
.....
.....
.....
.....
TEL.....
MOB.....
....
EMAIL.....
3. TYPE OF SUBSCRIPTION: TICK ONE INDIVIDUAL/INSTITUTION
4. PERIOD OF SUBSCRIPTION: ANNUAL/FIVE YEARS
5. DD..... DATE.....
BANK.....
AMOUNT (IN WORD).....AMOUNT (IN NUMBERS).....

DEAR CHIEF EDITOR,

KINDLY ACNOWLEDGE THE RECIPT OF MY SUBSCRIPTION AND START
SENDING THE ISSUE(S) AT FOLLOWING ADDRESS:

THE SUBSCRIPTION RATE ARE AS FOLLOWS W.E.F. 01.04.2015

INDIA(RS.)

TYPE	INDIVIDUAL	INSTITUTION
ANNUAL	RS.500	RS.800
FIVE YEARS	RS. 2400	RS. 3900

YOURS SINCERELY

SIGNATURE

NAME:

PLACE:

DATE:

Please Fill This Form And The Cash/Demand Draft/Multi City Check Drawn In
Favor Of **Oriental Institute Of Human Development** Payable At **Allahabad** And
Send It To Below Mentioned Address.

Published By

Oriental Institute Of Human Development

121/3B1 Mahaveerpuri, Shivkuti Road.

Allahabad-211004